खण्ड-333, अंक-3
गुरूवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1900
(11 मई, 1978 ई0)

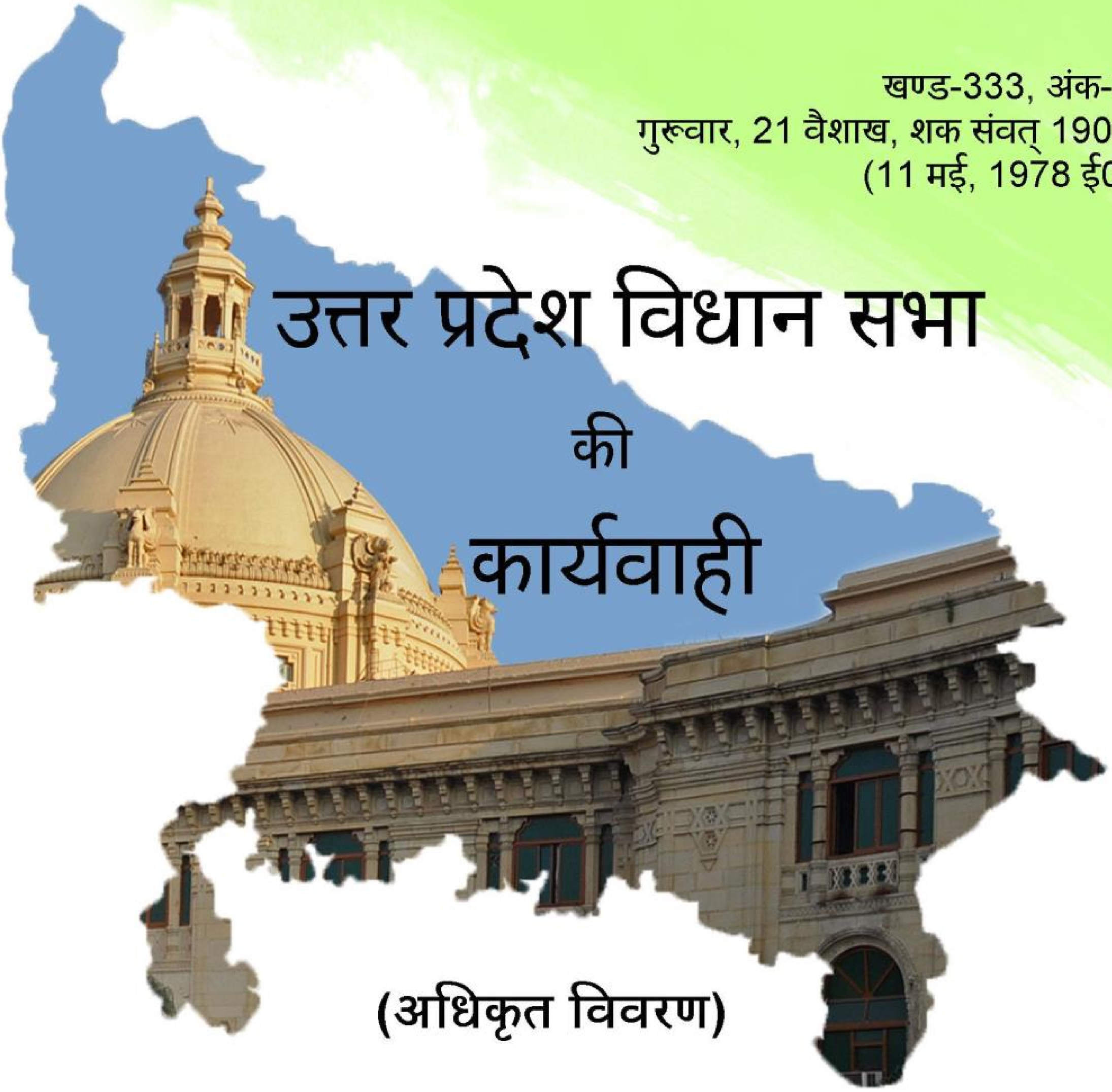

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	281–284
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	285
प्रश्नोत्तर	286–319
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	319–320
अनुदानों के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा सदन में उठाई गई अनुत्तरित बातों का मंत्रियों द्वारा बाद में उत्तर दिये जाने का सुझाव	320
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	320
नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गई सूचनाओं के उत्तर मिलने में विलम्ब की शिकायत	320
कतिपय विषय	320–323
जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों को थिरुआ नाले की बाढ़ से बचाए जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	323–324
प्रदेश में युवतियों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में रोक लगाए जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	224
मेरठ स्थित डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के आफिस कम रैजीडेन्स भवन को उक्त कमिश्नर द्वारा अपने नाम एलाट करने के कथित प्रयास के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	324–325
जनपद बुलन्दशहर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर कमचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	325
भूतपूर्व विधायक, श्री विमल तिवारी व कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री, श्री सतीश दीक्षित पर प्राण घातक हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	325–326
जौनपुर प्रतापगढ़ की सीमा पर के वतली ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	326
बदायूं नगर में भीषण जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	326
नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती में सम्पर्क मार्ग बनाने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	326–327
आज की कार्यसूची की नत्थी (घ) में श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी के तारांकित प्रश्न संख्या 31 क उत्तर में मन्त्री के स्थान पर श्री सत्य प्रकाश मालवीय के हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में आपत्ति	327–330

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 331–332

श्री अजीत सिंह सेठी की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति 332
सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. 333–334

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों की निर्वाचनार्थ सूची में रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम भी शामिल किये जाने की सूचना 334

उत्तर प्रदेश लाटरी के पिछले ड्रा में जाली टिकट पर 17 लाख रुपये का भुगतान के सम्बन्ध में वक्तव्य 334–335

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया) 335

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया) 335–336
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना 336

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 46–कृषि, अनुदान संख्या 47–औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 50–भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या 51–क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या 80–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 96–ऋण और अग्रिम–कृषि (स्वीकृत) 336–380

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 380

दिनांक 5 मई, 1978 को मनकापुर, जिला गोण्डा में श्री राम कृष्ण द्विवेदी सदस्य विधान परिषद् पर किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 380–386

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिये 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) .. 386–387

सचिवालय दीर्घा में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था 387–388
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों क लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने क सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) .. 388–405

नत्थियां 406–412

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार 11 मई, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-327

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश दत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री, (उर्फ भईया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल, गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद गेहरोवा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिराधारी लाल, श्री

गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन, सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटेलाल, श्री
छोटेलाल निर्भय, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद 'त्रिवेदी', श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बल्ले भाई)
बंगाली सिंह डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री

बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव,श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद, सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां ,श्री (उर्फ शन्नू खां)
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्र सेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील अल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री,
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र,
राजबहादुर यादव, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री
राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेंद्र सिंह, श्री
राजेंद्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
रामदत्त जोशी, श्री

राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पांडेय, श्री
रामपति, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंशगोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेंद्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेंद्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुंतला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों से पहले जो दो नये सदस्य निर्वाचित हुये हैं, उनकी शपथ होगी।

(श्री छेदी उर्फ छेदीलाल तथा श्री मानपाल सिंह एडवोकेट ने संविधान की तृतीय अनुसूची के प्रपत्र 7 क अनुसार शपथ ग्रहण की।)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 11 मई, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक परीक्षाओं में नकल एवं अध्यापकों पर आक्रमण रोकने की व्यवस्था

**1—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) अली असगर हुसेन, श्री (जिला बदायूं), श्री नरेशपाल सिंह यादव (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा के समय बड़े व्यापक पैमाने पर नकल होती है एवं अध्यापकों द्वारा नकल रोकने पर अध्यापकों पर आक्रमण तथा उपद्रव होते हैं ? ऐसी दशा में क्या शासन परीक्षा-पद्धति में बदलाव लाने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

परीक्षाओं में नकल रोकने की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तथा अध्यापकों पर आक्रमण एवं उपद्रव आदि की रोकथाम एवं सुरक्षा की विशेष व्यवस्था शासन द्वारा करायी जाती है। जहां तक परीक्षा पद्धति में परिवर्तन का प्रश्न है, इसकी कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

श्रीकृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि यह सही है कि परीक्षा की व्यवस्था माध्यमिक परिषद् करती है, परन्तु विद्यालयों में परीक्षाओं के समय परीक्षा का बहिष्कार तथा व्यापक पमाने पर नकल होती है और ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था परीक्षा पद्धति में करने पर आप विचार कर रहे हैं, जैसे उनको पुस्तक आदि परीक्षा के समय उपलब्ध करा दी जायं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, जहां तक अन्य बातें इस संबंध में कही गई हैं, उनके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका संबंध केवल परीक्षा देने वाले लड़कों से ही नहीं है। वह लड़के जिस समाज की संतान हैं किसी न किसी रूप में वह समाज इन बच्चों में भी विद्यमान है, उन पर इसका भी असर पड़ता है। जहां तक व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रश्न है तो उसके संबंध में इसके जो विशेषज्ञ लोग हैं अपनी सम्मति दें तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी इस चीज को देखते हुये कि विद्यार्थियों को एक तो वर्ष के अंत में परीक्षा देनी पड़ती है और दूसरी जब वह नौकरियों में जाते हैं, उसमें प्रतियोगितात्मक परीक्षा में भी सम्मिलित होना पड़ता है। उसे दो परीक्षा न देनी पड़े और जब वह कक्षा में भर्ती हो, तो साल क अंत में पास कर दिया जाय और सिर्फ प्रतियोगितात्मक परीक्षा में ही सम्मिलित होना पड़े। इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यह तो आप सुझाव दे रहे हैं। इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह बात सही है कि अनुशासनहीनता और चरित्र स्खलन में समाज की रचना का भी प्रभाव पड़ता है फिर भी व्यवस्था का काफी योगदान है। जो आज हमारे सामने नकल की विभीषिका है, इसके संबंध में कोई वैकल्पिक परीक्षा प्रणाली खोजने की जरूरत है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तरह की किसी समिति का गठन करने पर विचार करेंगे, जो इन मामलों पर सर्वांगीण रूप से विचार कर और रिपोर्ट दें कि समस्या के निदान के लिये क्या योजना निकाली जाय ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, इस परीक्षा के संबंध में विगत वर्षों में अनेक तरह की समितियां गठित हुई हैं और उन्होंने अपनी आख्या भी दी हैं। समय-समय पर इसके अनुरूप प्रश्न पत्रों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन जो अपेक्षा थी वह अपेक्षायें संभवतः पूरी नहीं हो पाई। तो श्रीमन्, मैंने सबसे पहले कहा कि जो विद्वतजन इस समस्या के समाधान में रुचि रखते हैं,वह शासन को अपना सुझाव देने का कष्ट करें। यदि आवश्यकता समझी जायेगी तो इस प्रकार की समिति गठित भी की जा सकती है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है और उनके ध्यान में आया है कि व्यक्तिगत लड़के नकल करते हैं, उसके अलावा जगह-जगह पर गैंग लगे हैं और पूरी कापी ही नकल की दे दी गई और कापियां बदल दी गईं। क्या ऐसी शिकायत उनके ध्यान में गाजीपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर से आई हैं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, गाजीपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद से शिकायत नहीं आई हैं। मेरठ और बस्ती से शिकायतें आई थीं। यहां सदन में भी बातें आईं उसकी जांच भी कराई गई। बस्ती के जिस केन्द्र की विशेष शिकायत थी उसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई और वहां दुबारा परीक्षा के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

इस सदन में इस वर्ष इस बात की चर्चा हुई है कि परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल हो रही है। शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर कमेटी बनाने के संबंध में दिया है, उसमें उनकी जो दशा है, उससे लगता है कि इस पद्धति में सुधार करपाने में अपने को असमर्थ और निराश पा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने आवश्वासन दिया है कि अगर सदन के सदस्य सुझाव दें, तो विचार करेंगे और कमेटी भी बना सकते हैं,तो क्या इस सदन में ऐसे सदस्यों, जिनका शिक्षा क्षेत्र में 20–25 साल का अनुभव है उन सदस्यों की कोई कमेटी बना कर इस विषय पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है। जो 20–25 वर्ष से शिक्षा से सम्बन्धित हैं वह स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर विचार विमर्श कर लें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बेअर ऐक्ट ले जाकर परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, क्या इसी प्रकार से पुस्तकों को ले जा कर विद्यार्थियों को परीक्षा में अवसर देकर माइनस मार्किंग सिस्टम परीक्षा में लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरण—

जहां तक इस परीक्षा का प्रश्न है सारी दुनियां में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से इस पर भी कुछ विचार किया है, अनेक विद्वानों ने विचार किया है कि क्या व्यवस्था हो सकती है। लोग सुझाव दें। अगर कोई आवश्यकता समझी गयी, तो समिति बनायी जायगी, समिति की आख्या आने के बाद जो उचित समझा जायेगा, किया जायेगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

सुझाव ही दिया है माइनस मार्किंग सिस्टम का।

श्री अध्यक्ष—

अपना उत्तर उन्होंने दे दिया। आप अब अपना उत्तर उन पर थोप कैसे सकते हैं ?

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय शिक्षा मंत्री ने माना है कि व्यापक स्तर पर नकल हुई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन है, जिसमें ओपेन बुक सिस्टम लागू किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सवाल के उत्तर में शुरू में कहा है कि कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो अध्यापक नकल रोकने का प्रयास करते हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, उनकी सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था है। पुलिस की व्यवस्था परीक्षा केन्द्रों पर की जाती है। जिले के पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र के थाने के थानेदारों को आदेश दिये गये हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। जो केन्द्रीय व्यवस्थापक हैं परीक्षा काल की अवधि तक उनको कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं। आवश्यकता समझी जाती है तो केन्द्र के इर्द-गिर्द और दूरी तक धारा 144 लागू कर दी जाती है। इस तरह से यह व्यवस्था है। अगर कहीं किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, केन्द्र व्यवस्थापक लिखता है, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाती है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

एक प्रश्न। बस्ती जिले का मामला उठा है। वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय नकल की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

जो मामला उठाया था उनके रिश्तेदार पीटे गये हैं, बुरी तरह से।

गेस पेपर के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गेस पेपर्स के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, गेस पेपर्स के प्रकाशन में छूट होने के कारण नकल को प्रोत्साहन मिलता है और जिसके कारण शिक्षा में गिरावट हो रही है और इसके साथ ही साथ छात्रों में गहन एवं ठोस अध्ययन में जो रुचि होनी चाहिये उस पर बुरा असर पड़ा है, तो इस समस्या के निदान के लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के (1) (छ) भाग में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार है। गेस पेपर्स का प्रकाशन भी उसी में आता है। जब यह प्रश्न हमारे सामने आया, तो इस पर मैंने विधि परामर्शी से परामर्श लिया उन्होंने भी बताया कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत इस पर कोई रोक नहीं लगायी जा सकती है, इसीलिये इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे नियमों में जहां पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है वहीं पर अश्लील साहित्य का प्रकाशन और जन हित विरोधी साहित्य का प्रकाशन न करने की बात भी है, तो इस चीज को ध्यान में रखकर जो गेस पेपर्स हैं, जिनसे तमाम प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही हैं, तो क्या इन पर रोक लगायेंगे ? दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने कभी इनको बन्द करने का प्रयास किया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसका उत्तर दे चुके हैं। यह उसमें नहीं आता है। उसका उत्तर आ चुका है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी गेस पेपर्स से छात्रों की रुचि को देखते हुए सरकार भी गेस पेपर्स प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कालीचरण—

अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं, तो उनको इसके लिये अनुमति दी जा सकती है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो इलाहाबाद से गेस पेपर्स निकले हैं उनमें पूरे के पूरे प्रश्न पत्र आउट कर दिये गये हैं। क्या इस तरह की सूचना है ?

श्री कालीचरण—

यह तो यहां पर सदन में माननीय सोहनबीर सिंह तोमर ने उठाया था, इलाहाबाद के बारे में उठाया था.....

श्री अध्यक्ष—

वह मेरठ के बारे में था।

श्री कालीचरण—

मैं उसी पर आता हूं, विशेषज्ञों की राय के लिये सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भेज दिया गया है कि यह आउट हैं या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुशल और अनुभवी अध्यापक गेस लगाते हैं उसी से प्रश्न आ जाते हैं। इसकी सारी जांच के लिए सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भेज दिया गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो गेस पेपर में छप जाते हैं, उनकी भाषा में भी कोई अन्तर नहीं होता है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि जो पेपर सेटर हैं उन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे या उनको पेपर सेटर से अलग करने की व्यवस्था करने का आश्वासन देंगे ?

श्री कालीचरण—

जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाता है उसे परीक्षा के संचालन से वंचित कर दिया जाता है।

क्षेत्र समितियों के कार्यकाल की समाप्ति एवं ब्लाक प्रमुखों के हटाने की मांग

**3—श्री संगम लाल—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खण्ड विकास समितियां भंग कर दी गयी हैं किन्तु विकास खण्डों के प्रमुख अभी बने हुये हैं ? अगर हां, तो क्या प्रमुखों को भी हटाने का विचार कर रहे हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

क्षेत्र समितियों का कार्यकाल न बढ़ाये जाने के कारण वे स्वतः समाप्त हो गई हैं। प्रमुखों को हटाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री संगम लाल—

ब्लाक प्रमुखों के हटाये जाने का जो प्रश्न शासन के विचाराधीन है तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

उसकी कोई तिथि नहीं बतायी जा सकती।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कोई समिति बनाने पर विचार कर रही है ताकि प्रमुखों के हटाये जाने पर समितियों का संचालन और विकास खंडों का कार्य सुचारु रूप से चल सके ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इस सम्बन्ध में जो अधिनियम है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमुख का पद उस समय तक रिक्त नहीं होगा, जब तक उनके स्थान पर चुन कर कोई और न आ जाय। तो क्या आप इस अधिनियम में कोई संशोधन ला रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रमुख तो कार्य कर ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि जब अधिनियम में यह नियम है कि जब तक दूसरा प्रमुख नहीं चुना जायगा तब तक प्रमुख अपना कार्य करेंगे। तो उनके पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या आप उस अधिनियम में कोई संशोधन लाना चाहते हैं, उनको हटाने के लिए ?

श्री जमुना प्रसाद—

जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर क्या विचाराधीन है ? आपने कहा कि प्रमुखों के हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है, तो कैसे विचाराधीन है ? यह तो आपने परस्पर विरोधी बातें कही हैं ।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने इसका उत्तर यह दिया कि जो नियम हैं उनके अनुसार क्षेत्र समितियों के समाप्त होने की बात है । प्रमुख तो कार्य करते रहे हैं । इस समय स्थिति यह है कि प्रमुख कार्य कर रहे हैं । वे हटाये जायेंगे या नहीं, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है । जो निर्णय होगा सदन को मालूम हो जायगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वे ऐक्ट में कोई तरमीम करने जा रहे हैं या उनको पब्लिक की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन मिला है ? किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि मामला विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद—

बहुत से लोगों ने यह सवाल शासन के सामने उठाया कि प्रमुखों को भी हटाया जाय । इसलिए यह विचाराधीन है कि उनको हटाया जाय या नहीं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि क्षेत्र समितियों के कार्यकाल को समाप्त होने के कारण प्रमुख निरंकुश हो गये हैं । तो क्या सरकार उक्त अधिनियम में कोई संशोधन लाकर उनको भी समाप्त करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने बतलाया कि शासन के सामने है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतायें कि कोई ऐसा नियम संशोधन के रूप में लाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मैंने कहा कि जब कोई निर्णय नहीं हुआ, तो कैसे कहा जा सकता है ? जब निर्णय होगा तो कर दिया जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी बजाय प्रमुखों को हटाने के इस पर विचार करेंगे कि ग्राम सभाओं के चुनाव करा दिये जायं ताकि क्षेत्र समितियों के, प्रमुखों के चुनाव भी हो सकें ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, ग्राम सभाओं की अवधि जून तक है और चुनाव तो हम पहले ही कराना चाहते थे लेकिन इसके पहले जब प्रश्न हुये थे, तो बताया था कि चुनाव निदेशालय ने कहा कि जब चुनाव सीधे कराने का शासन का विचार है, तो यह चुनाव अक्तूबर, नवम्बर के पहले नहीं हो सकता । अक्तूबर, नवम्बर में होंगे, तभी प्रधानों के, प्रमुखों के, जिला परिषद् के अध्यक्षों के भी होंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र—

इन्होंने कहा कि विचाराधीन है, ये प्रमुखों को हटाने का विचार कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय विचार कर रहा है या विचार कर चुका, अथवा मंत्रि-परिषद विचार कर रहा है या नहीं विचार कर रहा है, स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने कहा मंत्रि-परिषद् या अलग-अलग . .

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं गोपनीयता की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो वाक्यात जानना चाहता हूं, क्योंकि मंत्रि-परिषद के बिना यह मामला तय नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यह विचार किस स्टेज पर है ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह मंत्रि-परिषद् के समक्ष है ।

श्री संगम लाल—

म जानना चाहूंगा कि क्या हटाये जाने के प्रश्न के साथ प्रमुखों के चुनाव की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, प्रमुखों का चुनाव कराने की प्रक्रिया और चुनाव का तरीका क्या हो, यह विचार हो रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रमुख हटाये तो नहीं गये हैं लेकिन अब भी उनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है और आदेशों के न होते हुए भी वे बेकार बैठे हैं, तो अगर कार्य नहीं किया जा रहा है, तो जब तक इस पर निर्णय न हो जाय तब तक के लिए स्पष्ट आदेश जारी करेंगे कि प्रमुख अपना काय करते रहेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कार्य नहीं कर रहे हैं । कार्य कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अध्यापकों / डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के संबंध में हाई कोर्ट का स्थगन आदेश

*1—श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर मार्च, 1978 से लगे प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कोई हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या यह शासन की जानकारी में है कि स्थगन आदेश के बाद सरकारी मेडिकल कालेज में कार्यरत डाक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं परन्तु सरकारी अपस्तालों में कार्यरत डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं ? सरकारी चिकित्सकों को मार्च, 1978 का नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता व वेतन देने के सम्बन्ध में अब तक सरकारी आदेश प्रसारित न करने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

जी हां, लेकिन शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को स्पष्ट कर दिया है कि स्थगन आदेश केवल रिट याचिकायें दायर करने वाले अध्यापकों/डाक्टरों के सम्बन्ध में ही लागू है। जिन अध्यापकों/डाक्टरों ने प्राइवेट प्रैक्टिस समाप्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध रिट याचिकायें दायर नहीं की हैं और 1 मार्च, 1978 से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन्हें नान प्रैक्टिसिंग भत्ता अथवा नान प्रैक्टिसिंग वेतन एवं भत्ता, जैसे अनुमन्य हो, देय होगा। इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश संख्या 3214 से 1/पांच-497/75 टी0 सी0, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

फैजाबाद जिले में छोटी चेचक का प्रकोप

*2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद म छोटी चचक से सैकड़ों मृत्यु हो चुकी है और ब्लाक कटेहरी, भीटी तथा मया के कुछ क्षेत्र इस बीमारी से अधिक प्रभावित है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह---

जनपद फैजाबाद में छोटी चेचक (चिकिन पाक्स) से इस वर्ष दिनांक 1 जनवरी, 1978 से दिनांक 30 अप्रैल, 1978 की अवधि में कोई मृत्यु नही हुई ? प्रश्नगत ब्लाकों में उक्त अवधि में चिकिन पाक्स के प्रकोप की स्थिति निम्नवत् रही:---

ब्लाक			ग्रसित	मृत
(क) कटेहरी	..	..	54	..
(ख) भीटी	..	..	67	..
(ग) मया	..	..	23	..

चिकिन पाक्स की रोकथाम के लिये कोई वैक्सीन नहीं बनी हैं किन्तु इससे सम्भावित काम्प्लीकेशन्स की रोकथाम तथा उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था है। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता गांव-गांव जाकर लोगों को सर्दी से बचाव करने तथा रोगी को स्वस्थ लोगों से अलग रखने को कहते हैं।

उक्त ब्लाकों में दिनांक 1 जनवरी, 1978 से 30 अप्रैल, 1978 की अवधि में लगाये गये टीकों की संख्या निम्न प्रकार है:---

प्राथमिक टीके (प्राइमरी वैक्सीनेशन)	पुनर्भेद टीके (री-वैक्सीनेशन)
6,583	8,135

इसके अतिरिक्त समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारी अपने-अपन क्षेत्रों का भ्रमण करें, रोग के प्रसार को रोकने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही करें तथा जन-साधारण को शिक्षित करें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरी सूचना है कि छोटी चेचक से ग्रसित कई बच्चों की मृत्यु ब्लाक कटेहरी तथा भीटी में हुई है। स्वास्थ्य विभाग वाले निमोनिया से मृत्यु बताते हैं। माननीय मंत्री जी यही बतला दें कि इसी बीमारी से कुल कितन बच्चों की मृत्यु हुई हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, कुछ तो मौतें खसरे के कारण हुई हैं, और कुछ ब्रॉको निमोनियां से हुई है। चिकिन पाक्स से कोई मृत्यु नहीं हैं। खसरे के प्रकोप से जो मृत्यु हुई हैं उनके आंकड़े मै बता रहा हूं—जनवरी माह में—कटेहरी ब्लाक में, ग्रसित 2, मृत कोई नहीं। भीटी में ग्रसित 35, मृत कोई नहीं। मया में ग्रसित 6, मृत कोई नहीं। फरवरी में—कटेहरी में ग्रसित—6, मृत जीरो। भीटी में ग्रसित 19, मृत 1। मया में ग्रसित 14, मृत जीरो। मार्च में—कटेहरी में ग्रसित 50, मृत 6, भीटी में—ग्रसित 35, मृत जीरो। मया में ग्रसित 10, मृत जीरो। अप्रैल में—कटहरी में ग्रसित 33, मृत 5, भीटी में ग्रसित 27, मृत जीरो, मया में ग्रसित 3, मृत जीरो।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि डाक्टरों में से किसी ने तथा स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी ने बीमारी के समय किसी भी रोगी की जांच नहीं की, न किसी का इलाज किया, और मत्यु के पश्चात वहां जाकर, लोगों से जानकारी प्राप्त करके, लोगों की जानकारी के आधार पर, यह रिपोर्ट बाद को वहां बना कर भेज दी ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में जो भी प्रीवेन्टिव मेजर्स लिये जाते हैं वे लिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गये भी हैं। मेरी प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक कर्मचारी नहीं गया था जिसने लापरवाही बरती, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

बीमारी के दौरान किसी डाक्टर ने या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने किसी की जांच की ?

श्री कल्याण सिंह—

जितने भी कर्मचारी कार्यरत थे उनमें से एक केवल नहीं गया, जिसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न उनका यह है कि जब बीमारी हुई तब किसी ने जाकर जांच की ?

श्री कल्याण सिंह—

में मान्यवर, सदन को सूचना जांच कराने के बाद ही दे रहा हूं। उस जांच के आधार पर एक कर्मचारी की लापरवाही पायी गयी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को बस्ती जनपद से भी छोटी चेचक के प्रकोप की शिकायतें मिली है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने कहा कि जांच कराने के बाद सूचना दे रहा हूं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग खसरे से मरे हैं, उन मरने वालों का वैक्सीनेशन किन तारीखों को किन-किन अधिकारियों ने किया था ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बड़ा विस्तार का प्रश्न है। इतने गांव हैं। इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री विक्रमा राय—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, वहां लोग खसरे और निमोनियां से मरे है तो वह जब तक किसी हास्पिटल में भर्ती नहीं थे, तो मरने के बाद कौन सा थर्मामीटर था जिससे पता चला कि वह निमोनियां और खसरे से मरे हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

मैंने निवेदन किया कि चिकिन पाक्स की रोकथाम के लिये कोई वैक्सीन नहीं बनी किन्तु इसे संभावित काम्पलीकेशन्स की रोकथाम तथा उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था है। काम्पलीकेशन्स जो डेवलप हो जाते हैं, उसके रोक-थाम क उपाय किये जाते हैं। जो सूचना एकत्रित हुई है, जो इसके लक्षण होते हैं उसके आधार पर हुई है। ब्रॉको निमोनिया क लक्षण जो मुझे बताये गये हैं उससें सांस फूलती हैं और फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें जो काम्पली-केशन्स होते हैं वह खॉसी, सांस फूलना, बुखार, पसली चलना आदि है। तो यह सब लक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या स्वास्थ्य मंत्री विशेषज्ञों से यह जानकारी करने की कृपा करेंगे कि चेचक की बीमारी हो जाने के बाद अक्सर निमोनियां हो जाया करता है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या इसकी जानकारी है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, चेचक का केस उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं, देश और विश्व में हुआ ही नहीं है। चिकन पाक्स में निमोनियां होता है।

श्री ऊदल—

मैंने पूछा था कि निमोनियां होता है या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह—

चिकिन पाक्स के कांम्पलीकेशंस जो हैं, ब्रॉको निमोनिया उनमें से एक है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटहरी ब्लाक में इस वक्त चेचक की रोक-थाम के लिये कितने प्रतिशत बच्चों के टीके लगाये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत ब्लाकों में प्राथमिक वैक्सीनेशन 6,583 और री-वैक्सीनेशन में 8.135 टीके लगाये गये।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी, इस पर बहुत प्रश्न हो गये।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मंत्री जी ने कबूल किया कि खसरे में निमोनियां हो जाता है। मैं व्यक्ति-गत जानकारी के आधार पर, डाक्टरों की राय के मुताबिक कह रहा हूं। इसको रोकने के लिये क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे, निमोनियां को रोकने के बारे में ?

श्री कल्याण सिंह—

कम्पलीकेशंस होते हैं उनके चिकित्सा की व्यवस्था हैं ही लेकिन चिकिन पाक्स की वैक्सीन अभी नहीं निकली है।

गोरखपुर नगरपालिका में जल-कर एवं भवन-कर में कथित वृद्धि

*3—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका में मार्च, 1978 से जल-कर और भवन-कर बढ़ा कर वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त बढ़ोत्तरी का कारण क्या है और क्या सरकार वसूली रोक कर तर्क संगत कर निर्धारण करेगी? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या होगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे तो प्रश्न नहीं उठता है लेकिन जरा इसके पीछे बता दें कि वसूली किस आधार पर हो रही है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, गोरखपुर में सन् 77 के आदेश के बाद न तो कोई टैक्स इन्क्रीज किया गया है और न कोई नया टैक्स लगाया गया है। पुराने टैक्स के आधार पर वसूली हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी 1977 में जो टैक्स लगा हुआ है उसके संदर्भ में सदन को जानकारी देने का कष्ट करेंगे?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, 20-7-77 को एक जनरल जी० ओ० निकला कि किसी भी शहर में नया टैक्स न लगाया जाय और न पुराने कर में वृद्धि ही की जायेगी। चूंकि चुनाव नजदीक में होने वाले हैं इसलिये जब इलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव आये तो वह जैसा समझें, वह करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं जानकारी चाहूंगी कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऐसे बहुत से बूढ़े और रोगी मकान मालिक हैं या जो विधवा स्त्रियां है जिनके आय का दूसरा साधन मकान के किराये के अलावा नहीं है तो क्या उनको भवन कर से मुक्त करने का प्रश्न आपके सामने विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष :—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपने कहा वह सही है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नया टैक्स लगाने या बढ़ाने का सवाल नहीं, ऐसे आपके आदेश हैं लेकिन म्युनिसिपल मैनुअल की प्रक्रिया है उसके अनुसार कुछ मजबूरी है नगरपालिकाओं की कि वह 5 साल पूरे होने पर उनको एसेसमेन्ट पूरा करना होता है और वह प्रक्रिया जारी है टैक्स बढ़ाये दे रहे हैं जिसके कारण असंतोष व्याप्त है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, गोरखपुर में क्विनकुनियल एसेसमेन्ट प्रारम्भ किया गया लेकिन फिर रोक दिया हमने कि इसको नहीं किया जायेगा जब तक इलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव न आ जाय। रचनात्मक प्रक्रिया का जिक्र किया तो वह भी रुकी हुई है।

श्री राम दत्त जोशी—

मान्यवर, यह गोरखपुर में ही नहीं सर्वत्र आपके आदेश के बावजूद जारी है।

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

मान्यवर, प्रश्न गोरखपुर के बारे में था वहां रोक दिया है।

*4—आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली के कार्यालय पर अनशन

*5—श्री मुकीमुर्रहमान (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, बरेली के दरवाजे पर जनपद बरेली के पत्रकारों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की घांधली एवं कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये 15 अप्रैल, 1978 से अनशन कर रखा है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

एक व्यक्ति ने जो कि पत्रकार नहीं है, अपनी कतिपय मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 14 अप्रैल, 1978 से अनशन किया था उसकी मांगों पर आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है। उक्त व्यक्ति ने तीन दिन के बाद स्वयं अनशन समाप्त कर दिया है।

हरिजन एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टरों की नियुक्ति

*6—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें, कि सन 1976 में उत्तीर्ण हरिजन एम0बी0बी0 एस0 डाक्टरों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह।

सूचना एकत्रित की जा रही है।

(उत्तर पढ़ने के बाद)

मान्यवर, मुझे आज इसके सम्बन्ध में सूचना मिल गयी हैं उसको मैं दे रहा हूं। मान्यवर, वर्ष 1976 में एम0 बी0 बी0 एस0 परीक्षा पास करने वाले कुल हरिजन डाक्टर 46 हैं, इनमें से 23 ने इन्टर्नीशिप पूरी नहीं की थी इसलिये वह सेवा के लिये योग्य नहीं थे। शेष 23 में 8 ने नियुक्ति हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिये, 15 ने एप्लीकेशन दिया था लेकिन उनमें से 3 साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे किन्तु आये नहीं और जो शेष 12 बचे हरिजन डाक्टर वह सेलेक्ट कर लिये गये चूंकि वह उपस्थित हुए थे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद

मान्यवर, क्या इस बात को जानते हुए कि जो साक्षात्कार की तारीख निश्चित की गयी थी कुछ एम0 बी0 बी0 एस0 इन्टर्नशिप पूरी कर चुके थे और उनकी दरख्वास्तें आयीं लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया। तो क्या मंत्री जी अब उनके ऊपर विचार करेंगें?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, निर्धारित अवधि के अन्दर जो कैन्डीडेट योग्य थे और जिसकी एप्लीकेशन आयी थीं, उनमें से 15 कैन्डीडेट थे लेकिन इनमें 3 एपियर नहीं हुए और 12 एपियर हुए जो कि ले लिये गये हैं। कुछ डेट इक्सपायर होने के बाद एप्लीकशन आयी हैं जिनको लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

वृन्दावन, (मथुरा), की मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिखाई गई हरित भूमि पर मे0 चन्द्र गोपाल गोस्वामी एण्ड ब्रदर्स द्वारा अनधिकृत रूप से गोदाम का निर्माण

*7—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बृन्दाबन (मथुरा) की मास्टर प्लान भूमि को हरित भूमि दिखाई गई है इस पर मे0 चन्द्र गोपाल एण्ड सन्स, वृन्दाबन, जिला मथुरा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गोदामों का निर्माण बैंकों से रुपया लेकर करा रहे हैं तथा इसी भूमि पर व्यवसायिक निर्माण हेतु वृज प्राधिकरण द्वारा निर्माण पर रोक लगा दी है तो फिर भी निर्माण कार्य कैसे जारी है ? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में वृन्दाबन के प्रमुख समाज सेवी नागरिक श्री प्रिया शरण गोस्वामी ने प्रदेशीय सरकार के पास जिला प्रशासन की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गयी ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री भगौती सिंह)—

मे0 चन्द्र गोपाल एण्ड सन्स वृन्दाबन, जिला मथुरा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूमि जो हरित महायोजना में दर्शायी गयी है, पर गोदामों का निर्माण नहीं किया गया है। माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध सम्भवत: मे0चन्द्र गोपाल गोस्वामी एण्ड ब्रदर्स बिहारीपुरा, वृन्दाबन (मथुरा) द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण कराये गये गोदामों से है। यह सत्य है कि मे0 चन्द्रगोपाल गोस्वामी एण्ड ब्रदर्स, बिहारीपुरा, वृन्दाबन (मथुरा) द्वारा मास्टर प्लान में आवासीय दिखायी गयी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये गोदामों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। प्राधिकरण को अवैध निर्माण का पता चलने पर प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 17 जून, 77 को अवैध निर्माणरोकने के आदेश दिये गये। कार्यवाही किये जाने पर फर्म की ओर से मामला कम्पाउन्ड किये जाने की प्रार्थना की गयी और गोदामों के मानचित्र दाखिल किये गये। इसमें 6 गोदामों का अनधिकृत निर्माण दिखाया गया था और 2 गोदाम प्रस्तावित निर्माण के लिये नक्शे में दिखाये गये थे। अपनी 25 जनवरी, 1978 की बैठक में विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि मामले में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन से संस्तुति की जाय। विकास प्राधिकरण की संस्तुति आ गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। चूंकि उपरोक्त प्रस्तावित 2 गोदामों का निर्माण कार्य जारी रखा गया था अत: फर्म के विरुद्ध अलग मे कारण बताओ नोटिस तथा स्थगन आदेश जारी किये गये जिसका उत्तर उसमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रिया शरण गोस्वामी का एक शिकायती पत्र दिनांक 27 मार्च, 78 जो श्री हुकम चन्द्र तिवारी, विधायक को सम्बोधित है, शासन को प्राप्त हुआ था। उन पर उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दाबन विकास प्राधिकरण (जिलाधिकारी) की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, जब इसे मानचित्र में हरित भूमि के रूप में नहीं दिखाया गया है तो शासन के पास इसका परपज चेन्ज करने का मामला क्यों विचाराधीन है ?

श्री भगौती सिंह

जो तथ्य आए हैं, उनको देखते हुए शासन विचार कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि यह हरित प्लान के मुताबिक भूमि थी, जिस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। अनधिकृत गोदाम बन गया, तो उनका कहना यह है कि फिर उसको अधिकृत करने के लिये यह संस्तुति किस आधार पर की गई है ?

श्री भगौती सिंह--

वैसे इस सम्बन्ध में अभी तक यह प्राविधान था कि किसी निजी उपयोग के लिए ऐसे मामलों में भू-उपयोग नहीं बदला गया है, केवल सरकारी निर्माण के लिए भू-उपयोग बदला गया है, लेकिन वहां के प्राधिकरण से जो सिफारिश आई है, उसमें यह कहा गया है कि सम्पूर्ण तथ्य भेजे जायें और हम इससे सहमत नहीं हैं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मंत्री जी ने श्रीमन्, अभी यह बताया कि उन्होंने लैन्ड यूज बदलने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि प्राधिकरण तो तभी बनाने के लिए इजाजत देगा जब लैन्ड का यूज बदल जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने कहा कि कम्पाउन्ड करने के लिए या उसका उपयोग परिवर्तन करने के लिए उक्त फर्म से कोई प्रार्थना-पत्र दिया है या स्वतः ही संस्तुति दे दी है ?

श्री भगौती सिंह--

उस फर्म ने प्राधिकरण को कम्पाउन्ड किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है।

और प्राधिकरण का यह.....।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं, कम्पाउन्ड करने के प्रार्थना-पत्र में क्या भूमि के उपयोग बदलने की भी प्रार्थना है या नहीं ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जब यह हरित भूमि है और उसके उपयोग को बदलने के लिए प्राधिकरण ने संस्तुति की है, तो पूछना चाहता हूं कि प्राधिकरण ने अपने आप संस्तुति की है या फर्म की प्रार्थना पर की....

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है कि उस फर्म ने प्राधिकरण से कोई निवेदन किया हो भू-उपयोग को बदलने के लिए, लेकिन वहां के प्राधिकरण ने जरूरी संस्तुति की है कि उपयोग बदलने पर सरकार विचार करे।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, वह साफ नहीं हो पाया है। मेरा प्रश्न यह था कि जब भूमि में निर्माण हो चुका है, तो उस भूमि का लैन्ड यूज किस प्राविधान के अन्तर्गत बदलने के लिये प्राधिकरण संस्तुति कर सकता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि कम्पाउन्ड केवल उन्हीं कालोनीज में होता है, जो एप्रूव्ड होती हैं और यह कोई एप्रूव्ड कालोनी नहीं है, लिहाजा कम्पाउन्ड करने की बात किस अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत विचाराधीन है ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, जहां तक भू-उपयोग बदलने की बात है वह शासन के पास विचार करने के लिए आयी है, जैसा मैंने निवेदन किया कि शासन ने सारे तथ्य मांगे है और.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह नहीं था माननीय सदस्य कहते हैं कि जो एमूण्ड कालोनी होती है और उस पर अगर अनाधिकृत मकान बनते हैं, तो उनका कम्पाउन्ड होता है। यह भूमि हरित है, तो क्या ऐसी भूमि में भी ऐसा कोई प्राविधान है कि वहां पर भी कम्पाउण्ड किये जा सकते हैं ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अनाधिकृत कन्स्ट्रक्शन हुए और कम्पाउन्ड की अर्जी दी और प्राधिकरण ने भूमि के उपयोग बदलने के लिये सरकार से कहा, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं कोई बेईमानी है, कोई भ्रष्टाचार है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर कोई . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि कम्पाउन्ड का प्राविधान नहीं है, कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया, भूमि का उपयोग बदलने के लिए, तो प्राधिकरण ने इतनी दिलचस्पी ली, इस पर माननीय सदस्य को संदेह है तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि इसमें क्या राज है ?

श्री भगौती सिंह—

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 27 मार्च, 1978 को जो मेरे नाम पत्र सम्बोधित किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जिले के और प्रांत के बड़े-बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं, क्या उस पत्र की जांच करा लेंगे, ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगौती सिंह—

माननीय सदस्य का जो पत्र है उसकी जांच करा लूंगा और मुझे विश्वास है कि एक महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जायगी।

*8—श्री कल्पनाथ सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*9—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

समाचार-पत्र दैनिक जागरण, कानपुर के कर्मचारियों का वेतन-मान

*10—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दैनिक जागरण, कानपुर के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों को वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार अभी तक कोई अन्तरिम राहत नहीं दी जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

जी नहीं,

इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1977 से ही वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार संस्तुत अन्तरिम राहत के 50 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत दी जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 50 प्रतिशत अन्तरिम राहत दी जा रही है, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जागरण में 131 पत्रकार और 85 गैर पत्रकार कर्मचारी हैं और मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब जागरण मालिकों द्वारा दायर की गई अपील पर उच्च न्यायालय ने स्टे देने से एक बार नहीं, दो बार इंकार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इन पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों को क्या पूरी अन्तरिम राहत दिलाने का निदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था 1-9-77 को जो दैनिक जागरण के सेवा योजक हैं, उनमें और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच में और उस तारीख के फैसले के मुताबिक सेवायोजक 1-9-77 से ही 50 प्रतिशत की अन्तरिम राहत दे रहे हैं। जहां तक इनके प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है, उसमें, श्रीमन्, स्थिति यह है कि सेवायोजकों ने एक रिट दायर कर रखी है, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में और उनकी अपील पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी श्रम विभाग ने 31-3-78 को चीफ मैट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायलय में श्रमजीवी पत्रकार एवं गैर पत्रकार के सम्बन्ध में अलग-अलग दो परिवाद में "श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें एवं विविध प्राविधान) अधिनियम, 1955" के अन्तर्गत अभियोजन दायर कर दिये हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जागरण प्रतिष्ठान के मालिकों और कर्मचारियों के मध्य में एक समझौता हुआ था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह समझौता क्या था और क्या उस समझौते का लेबर कमिश्नर के यहां विधिवत् पंजीकरण किया गया था ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं उस समझौते को पढ़कर सुनाये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इतना समय नहीं है। आप यह बतालीजिये कि जो समझौता हुआ, उस पर अमल किया गया या नहीं, इतना पर्याप्त होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक—

उस पर अमल हो रहा है।

हरदोई जिले के कस्बा बिलग्राम में मकान मालिक द्वारा गिराया गया मकान

*11—श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका बिलग्राम, जनपद हरदोई में दिनांक 9 अप्रैल, 1978, समय 11 बजे दिन को मकान मालिक ने हथियार बन्द 100-150 आदमियों के साथ एकाएक जाकर बाजार की तीन दुकानें गिरा दी तथा दुकानों का माल फेंक दिया व लूट लिया ? परिणामस्वरूप दिनांक 10 अप्रैल, 1978 को बिलग्राम बाजार बन्द रहा तथा दूकानदारों के शान्तिमय जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है।

नोटः—नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम के निवासी श्री शम्भू दायल दीक्षित ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 8–12–77 द्वारा बिलग्राम की सदर बाजार में स्थित अपने पुराने मकान को गिराने की अनुमति नगरपालिका से मांगी थी। नगरपालिका द्वारा सम्बन्धित अभियन्ताओं से रिपोर्ट मांगी गयी। उन अभियन्ताओं ने उक्त मकान का निरीक्षण कर उसको गिराने की जो आख्या दी थी उसके आधार पर प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका बिलग्राम ने नियमान्तर्गत अपने आदेश दिनांक 29–3–78 द्वारा उक्त मकान को उक्त जनहित म गिरान की अनुमति इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की कि मकान के आस-पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। तदनुसार मकान मालिक ने अपने उक्त मकान में स्थिति दुकानों के 3 दूकानदारों को मकान खाली करने का नोटिस दिनांक 30–3–78 का देने तथा उन दूकानदारों को लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद मजदूरों की सहयाता से उनका समान हटवाकर दिनांक 9–4–78 को उक्त पुराने मकान को गिरा दिया। दुकानों का कोई माल नहीं फैका गया, न ही लूटा गया। उन दुकानदारों द्वारा दिनांक 10–4–78 को कुछ लोगों के भड़काने से बिलग्राम कस्बे में जुलूस निकाला गया तथा सदर बाजार बन्द रहा परन्तु जुलूस पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया।

अंत: वर्णित स्थिति में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठाता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

आगरा जिले के ग्राम दिगनेर में देशी शराब की दुकान हटाने की मांग

*1—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि आगरा जिले की सदर तहसील के गांव दिगनर में शराब के ठेके की दुकान सन् 1977 में जब खोली गई तब इस क्षेत्र की जनता तथा विधायक और जिले के अन्य प्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया था और उनकी परवाह न करके इन दुकानों का सरकारी ठेका अब तक जारी है, क्या सरकार जनता तथा विधायकों के विरोध पर विचार करते हुये दुकान का ठेका रद्द करने पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, वर्ष 1977–78 के लिये ग्राम दिगनेर में खोली गयी देशी शराब की दुकान का माननीय विधायकों ने विरोध किया था। अत: अब यह दुकान ग्राम दिगनेर को बाहर सड़क के पार अन्य उपयुक्त स्थान के लिये ग्रुप में नीलाम की गयी है। अनुज्ञापी ने निर्दिष्ट स्थान पर उपयुक्त दुकान न मिलने के कारण उसे गत वर्ष के स्थान पर ही चालू कर दिया था जो नीलाम की शर्त के विपरीत था। अत: यह दुकान बन्द करा दी गयी है। अनुज्ञापी स्वीकृत स्थान पर दुकान चलाने के लिये प्रयत्नशील है। ऐसी स्थित में ठेके को रद्द करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

बहादराबाद, जिला सहारनपुर की शराब की दुकानें

*2—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरिद्वार ड्राई एरिया के 10 किलोमीटर के भीतर नियमानुसार कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती? यदि हां, तो बहादराबाद, जिला सहारनपुर, श्यामपुर कांगड़ी, जिला बिजनौर तथा गौरीशंकर मंदिर के सामने जिला बिजनौर की दुकानें किसने और किसकी अनुमति से खोलीं ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जी हां, शासन ने 1 अप्रैल, 1978 से मद्यनिषेध क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर का दुकान रहित क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय लिया है।

हरिद्वार वर्ष 1948 से शुष्क घोषित है। उस समय के आदेशानुसार शुष्क क्षेत्र की परिधि के 5 मील के अन्दर कोई आबकारी नहीं खोली जा सकती थी। बहादराबाद जिला सहारनपुर की प्रश्नगत दुकान इस स्थान पर वर्ष 1948 से चली आ रही है। बहादराबाद का फासला हरिद्वार शहर से लगभग 10 किलोमीटर से अधिक है। जो क्षेत्र परिधि ज्वालापुर से आती है, उसमे बहादराबाद का फासला 8 किलोमीटर से अधिक है।

जिन क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 1978 से पूर्व से मद्य निषेध लागू था उनमें पूर्ण मद्य निषेध लागू किये जाने के संबंध में शासकीय अधिसूचना 8 अप्रैल, 1978 को निर्गत हो पायी, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त दुकान के संबंध में इस वर्ष विचार नहीं हो सका।

जिला बिजनौर के श्यामपुर कांगड़ी तथा गौरी शंकर मंदिर के सामने देशी शराब की कोई दुकान इस वर्ष नही खोली गयी है।

आपातकाल में सुल्तानपुर के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों की पुर्ननियुक्ति

*3—श्री राम फेर कोरी (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के दौरान जनपद सुल्तानपुर में निकाले गये परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक माह अगस्त, 1977 में पुनः राजकीय सेवा में ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी सेवायें लगातार मानते हुए उक्त अवधि का पैसा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नही, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री कल्याण सिंह—

आपातकाल के दौरान जनपद सुल्तानपुर में निकाले गये कुल 8 परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों में से 6 स्वास्थ्य सहायकों को पुनः सेवा में ले लिया गया है। शेष दो स्वास्थ्य सहायकों को प्रशासनिक आधार पर पुनः सेवा में लिया गया है। पुनः नियुक्त किये गये 6 स्वास्थ्य सहायकों में एक को पुरानी सेवाओं का लाभ दे दिया गया है तथा उनका अवशेष भुगतान कर दिया गया है। शेष 5 स्वास्थ्य सहायकों का मामला विचाराधीन है।

सुल्तानपुर जिले की कतिपय तहसीलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों को दिया गया यात्रा-भत्ता

*4—श्री रामफेर कोरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना तथा अमेठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वर्ष 1977-78 में परिवार कल्याण का कितना बजट दिया गया है ? उसे किन-किन कर्मचारियों में कितना-कितना वितरित किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त बजट का 3/4 भाग स्थानीय प्रसार शिक्षकों को दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद सुल्तानपुर को वर्ष 1977-78 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये रु0 11,70,875 का बजट दिया गया जिसमें से तहसील मुसाफिरखाना तथा अमेठी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को यात्रा भत्ता के मद में जिलास्तर से रु0 22,650 की धनराशि

आवंटित की गयी। आवटित धनराशि में से निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शायी गयी धनराशि का यात्रा भत्ता क रूप में भुगतान किया गया:—

	रु0
1—चिकित्साधिकारी	6,212.00
2—प्रसार शिक्षक	6,023.45
3—लेखाकार	5,575.15
4—स्वास्थ्य सहायक	2,705.80
5—परिवार कल्याण कार्यकर्त्री	1,195.75
6—ड्राइवर	860.60
7—स्वास्थ्य निरीक्षक	267.25
योग ..	22,940.00

यह सच नहीं है कि उक्त धनराशि का 3/4 भाग स्थानीय प्रसार शिक्षकों को दिया गया।

[11 मई, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

महापालिका कर्मचारियों की मांगें

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु दिसम्बर, 1977 के मध्य में हड़ताल करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं, उस बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या करना विचाराधीन है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां।

मांगों तथा उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 406 पर)

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

पटेल शिक्षा सदन, बंगाही, कानपुर द्वारा भवन हेतु भूमि की मांग

*3—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल शिक्षा सदन, बंगाही, कानपुर जो सन् 1971 से चल रहा है उसने नगर महापालिका कानपुर से जमीन की मांग इमारत हेतु किया है और इस सम्बन्ध में उसके संस्थापक श्री रामसमुझ चौधरी ने नगर महापालिका को तथा भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री को सन् 1975 में तथा सन् 1976 में कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं और प्रश्नकर्ता ने भी सन् 1976 में दो पत्र स्वायत्त शासन मन्त्री को तथा दिसम्बर, 1977 में एक पत्र माननीय मन्त्री जी को लिखा है ? यदि हां, तो उक्त संस्था को जमीन देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। श्री राम समुझ चौधरी ने पटेल शिक्षा सदन विद्यालय, बगाही (बाकर गंज) के समीप की भूमि को विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मांगा था। यह भूमि सार्वजनिक पार्क हेतु सुरक्षित है अतः उसम से उक्त विद्यालय को भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य को सूचित किया जा चुका है कि यदि उक्त शिक्षा सदन अन्यत्र स्थान पर चाहें तो उस पर विचार किया जा सकता है। इसका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

टाउन एरिया, घोसी, आजमगढ़ में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पथकर संबंधी शिकायत

*4—श्री ऊदल

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवघोषित टाउन एरिया कमेटी, घोसी, जिला आजमगढ़ में परगनाधिकारी, घोसी ने बिना चयन समिति के नियुक्तियां कीं। बिला बाइलाज के अवैध (सरकारी) के पथकर आदि लगा दिया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नागरिकों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को माह दिसम्बर, 1977 के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में दिया गया है ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

टाउन एरिया कमेटी, घोसी जिला आजमगढ़ में एक बख्शी तथा एक लिपिक के अतिरिक्त सभी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों का चयन चयन-समिति द्वारा नहीं किया जाता है। बख्शी की नियुक्ति शासन द्वारा की गयी है। केवल एक लिपिक जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियमित वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। पथकर से सम्बन्धित बाईलाज की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गयी। वे ही इसके लिये सक्षम अधिकारी हैं।

इन विषयों पर परगनाधिकारी, घोसी, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध श्री जफर आजमी तथा नफीसुल हक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-12-77 जो स्वायत्त शासन मन्त्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी को भी नागरिकों द्वारा शिकायतें दी गईं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा बलात सेवामुक्त कर्मचारी

*5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि परिवार नियोजन विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में परिवार नियोजन विभाग के कितने कर्मचारी बलात सेवा-मुक्त किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, इन पदों के अभी तक स्थायी न किये जाने के कारण इस विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं किया गया है। इन पदों को स्थायी किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

फरवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में परिवार कल्याण विभाग के बलात सेवामुक्त किये गए कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के कतिपय राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में कथित रेडियोलाजिस्ट के पद एवं उन पर नियुक्ति

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, बरेली, झांसी, हरिद्वार, अतर्रा, जिला बांदा तथा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में रेडियोलाजिस्ट प्रवक्ताओं के पद पर चयन कराने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में आज कल निर्धारित योग्यता से कम प्रवक्ता इस पद पर चयन किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, साहूराम नारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली, बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झांसी, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार, आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा जिला बांदा तथा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में रेडियोलाजिस्ट प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत नहीं हैं। अतः इस पद पर चयन के मापदंड का प्रश्न ही नहीं उठता है। चूंकि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में रेडियोलाजिस्ट के प्रवक्ता का कोई पद नहीं है, इसलिए किसी अनर्ह व्यक्ति के चयन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, लखीमपुर में जल की आपूर्ति

*7—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद खीरी की नगरपालिका लखीमपुर में बहुत कम समय पानी मिल पाता है और जनता को पानी के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निबटने के लिए शासन ने कोई व्यवस्था की है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, इस समय जल आपूर्ति के लिए 19 लाख गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता है किन्तु केवल 7 लाख गैलन ही दिया जा सकता है।

वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में आवश्यक जल आपूर्ति के लिए एक और नलकूप बन चुका है किन्तु बिजली की कमी के कारण 24 घंटे नहीं चल पाता। राज्य विद्युत् परिषद् को लिख दिया गया है कि जनसाधारण को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक विद्युत् आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करें।

वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डल के नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के अधिकारी, श्री जगदीश नारायण पाण्डेय के अवकाश की स्वीकृति

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराणसी तथा गोरखपुर मंडलों के जिन-जिन जिलों में शहरी सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी कार्यरत हैं, उनमें से कितने ऐसे अधिकारी हैं जो सन् 1976 और 1977 में अर्जित अवकाश पर गये थे लेकिन उनका वह अवकाश दिनांक 1 जनवरी, 1978 तक शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डलान्तर्गत केवल वाराणसी एवं गोरखपुर दो ही नगर-बस्तियों में लागू है और वर्ष 1976 व 1977 में वहां से कुल तीन अधिकारी अवकाश पर गये थे, जिनमें किसी को भी अवकाश 1 जनवरी, 1978 तक स्वीकृत नहीं हुआ था। इनमें से पालिका केन्द्रीयित सेवा के दो अधिकारियों से वाराणसी नगर-बस्ती के श्री आर0एस0 यादव को 1 जुलाई, 1976 से 17 नवम्बर, 1976 तक तथा गोरखपुर नगर बस्ती के श्री माधो सिंह को 6 सितम्बर, 1976 से 20 दिसम्बर, 1976 तक व 11 जुलाई, 1977 से 31 जुलाई, 1977 तक का अवकाश 30 मार्च, 1978 को स्वीकृत (शासन द्वारा) कर दिया गया। गोरखपुर नगर-बस्ती के ही तीसरे अधिकारी श्री जगदीश नारायण पाण्डेय, तहसीलदार, राजस्व परिषद् संगठन के हैं। इनका अवकाश जिला अधिकारी, देवरिया से श्री पाण्डेय की सेवा पुस्तिका एवं अवकाश विवरण प्राप्त न होने के कारण निदेशक, उत्तर प्रदेश, नगर भूमि सीमा रोपण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत किया जाना शेष है। श्री पाण्डेय को 16 नवम्बर, 1977 से 28 नवम्बर, 1977 तथा 3 दिसम्बर, 1977 से 21 फरवरी, 1978 तक का यथा देय अवकाश स्वीकृत करने के निमित्त संबंधित अधिकारियों को निदेश भेज दिये गये हैं।

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—
[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित]

खीरी जनपद के होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर का हाउस रेन्ट एलाउन्स

*11—श्री नरेश चन्द्र—
क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि मेडिकल मैनुअल के पैरा 437 जी0 ओ0 संख्या 2851/बी–549, 1944 के अनुसार होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर भी हाउस रेन्ट एलाउन्स पाने के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर को खीरी जनपद में यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—
जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है?

टाउन एरिया गोसाईगंज, फैजाबाद के वार्डों के गठन के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*12—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया गोसाईगंज के वार्डों के गठन के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल जायसवाल, भूतपूर्व चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज जनपद फैजाबाद का दिनांक 20 जनवरी, 1978 का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 1 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ मिल गया है? यदि हां, तो सारे मामले की जांच कराकर प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित त्रुटियों को दूर करने हेतु तथा उन त्रुटियों के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—
जी हां ।

मामले की जांच करा ली गई है और कोई त्रुटि नहीं पायी गयी । सभी कार्यवाही नियमतः हुई है । इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

भटनी चीनी मिल देवरिया के फाटक पर भूख हड़ताल एवं मजदूरों व किसानों की मांगें

*13—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भटनी (देवरिया) चीनी मिल के फाटक पर मजदूरों व किसानों की मांगों को लेकर किसी ने मार्च, 1978 के प्रथम सप्ताह में अनिश्चित कालीन अनशन किया था ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री रमा शंकर कौशिक—
श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी, मंत्री, भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ, भटनी ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की भटनी इकाई के फाटक पर दिनांक 26–2–78 को सायं 5.30 बजे से भूख हड़ताल प्रारम्भ किया था जिसे 4 मार्च, 1978 को रात्रि के 11.00 बजे परगना मैजिस्ट्रेट सलेमपुर की सलाह पर समाप्त किया । मांगों का सूची संलग्न है । भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ भटनी पंजीकृत यूनियन नहीं है अतः श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में प्रधान व्यवस्थापक भटनी इकाई ने श्री त्रिपाठी को यह आश्वासन दिया है कि वह पंजीकृत यूनियनों से वार्ता कर रहे

हैं और उनकी सभी मांगों को सुलझा देंगे । अभी कोई समझौता सम्पन्न नहीं हुआ है । गन्ना विभाग से सम्बन्धित मांगों पर स्थानीय गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की गई है और दोषी पाये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 408 पर)

*14—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री दीनानाथ सेवक—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

गाजियाबाद के मास्टर प्लान वाले-आउट प्लान की प्रतियां

*15—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में मास्टर प्लान गाजियाबाद एवं उसके तहत स्वीकृत ले-आउट प्लानों की प्रतियां जनता को शुल्क दिये जाने पर भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं? यदि हां, तो फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान गाजियाबाद और ले-आउट प्लानों के प्रयोग का वैधानिक औचित्य क्या है ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ परिस्थितियोंवश मास्टर प्लान की प्रतियां बेची नहीं जा रही थीं, परन्तु अब निर्धारित मूल्य पर प्रतियां उपलब्ध कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत ले-आउट प्लानों की प्रतियां निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र देने पर जन-साधारण को उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

मास्टर प्लान तथा ले-आउट प्लानों का पूर्ण वैधानिक औचित्य है ।

नगरपालिका बोर्ड, सहारनपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री भगवान दास के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*16—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री भगवान दास) के खिलाफ पद के दुरुपयोग, धन का अपव्यय और गबन आदि की शिकायत-पत्र उन्हें 24 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां । नगरपालिका बोर्ड सहारनपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री भगवान दास के विरुद्ध 24-8-77 को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें 17 आरोप लाये गये हैं । आरोपों की जांच करायी गयी है इनमें से आरोप संख्या 1, 2, 3, 4 सिद्ध पाये गये हैं । आरोप संख्या 8, 9, 14 व 17 की जांच अभी जारी है । शेष आरोप निराधार पाये गये हैं । सिद्ध पाये गये आरोपों के विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक की योग्यता

*17—श्री बेचू राम (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि वर्तमान आयुर्वेद निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस पद हेतु निर्धारित योग्यता न रखते हुए भी 1 जुलाई, 1976 ई० को तत्कालीन सरकार ने आपात-कालीन स्थिति के दौरान पदासीन कर दिया था ? यदि हां, तो इस पद हेतु निर्धारित योग्यतायें क्या होनी चाहिये और वर्तमान निदेशक की योग्यतायें क्या हैं और क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी को जो योग्य नहीं है, तत्काल हटाने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

इस पद पर निर्धारित योग्यताओं तथा वर्तमान निदेशक की योग्यताओं का विवरण संलग्न है। अतः इन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 409 पर)

*18--श्री ईश्वर प्रसाद--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

प्रतिभा थियेटर में आवास-विकास परिषद, लखनऊ द्वारा भवन आवंटन हेतु बनाई गयी सूची

*19--श्री तेज भान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी, 1978 को प्रतिभा थियेटर लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद् द्वारा अल्प आय वर्ग के मकानों का आवंटन करते समय तृतीय दौर तथा चतुर्थ दौर में पंजीकृत लोगों को सम्मिलित करके एक प्रतीक्षा सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को अभी तक अल्प आय वर्ग के मकानों का आवंटन क्यों नहीं किया गया जबकि नियमित रूप से आवंटित आवंटियों में से 12 लोगों के आवंटन दिनांक 15 मार्च, 1978 के पूर्व ही निरस्त किये जा चुके हैं?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां।

दिनांक 3 जनवरी, 1978 को प्रतिभा थियेटर में भवन आवंटन हेतु हुए लाटरी ड्रा में 35 व्यक्तियों की प्रतीक्षा-सूची बनाई गई थी। उक्त आवंटन में सफल 13 व्यक्तियों ने अपने आवंटन निरस्त कराये। उक्त 13 भवन प्रतीक्षा सूची में से ज्येष्ठता के आधार पर 13 व्यक्तियों को आवंटित कर दिये गये।

कार्डियोलाजी संस्थान मेडिकल कालेज, कानपुर के निदेशक प्रोफेसर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*20--श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री की जानकारी में है कि सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो कि कार्डियालोजी संस्थान मेडिकल कालेज, कानपुर के निदेशक प्रोफेसर के विरुद्ध अनियमिताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा था, ने जनवरी, 1978 में शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है? यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य सामने आये हैं और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा गोपनीय छानबीन की गयी है। रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

बरेली हेल्थ स्कूल में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं कु० फ्रांसिस का प्रत्यावर्तन

*21--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची दिनांक 6 अप्रैल, 1978 प्रथम सत्र 1978 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० 64 नत्थी 'ग' के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हेल्थ स्कूल, बरेली में टीचिंग एवं क्षेत्रीय अनुभव तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाली दो अधीक्षिकाओं की नियुक्ति किस आधार पर की गई जब कि उसी स्कूल की कार्यरत अधीक्षिका कुमारी फ्रांसिस को निर्धारित योग्यता न रखने के कारण प्रत्यावर्तित कर दिया है ?

श्री कल्याण सिंह--

बरेली हेल्थ स्कूल में अधीक्षिका का एक ही पद है जिस पर टीचिंग एवं क्षेत्रीय अनुभव तथा निर्धारित योग्यता रखने वाली अधीक्षिका की नियुक्ति की गई है। कु० फ्रांसिस को निर्धारित योग्यता न रखने के कारण प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतनमान

*22--श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्रम विभाग द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्सकों को राजकीय चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो इन दोनों प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनमान तथा नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं में क्या अन्तर है तथा इस अन्तर का क्या कारण है? सरकार के सम्मुख यह अन्तर समाप्त करने का प्रश्न कब से विचाराधीन है?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, यह सही है।

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतनमान रु० 400-750 है, जबकि राजकीय चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सक ग्रेड--दो का वेतनमान पहले रु० 450--850 तथा ग्रेड--एक का वेतनमान रु० 500--1000 था। 21 जनवरी, 1978 से चिकित्सा विभाग के अधीन दोनों ग्रेडों के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतनमान रु० 550--1200 हो गया है।

श्रम विभाग तथा चिकित्सा विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिये निर्धारित योग्यताओं में कोई अन्तर नहीं है।

वेतनमान के अन्तर को दूर करने का प्रस्ताव सितम्बर, 1977 से शासन के विचाराधीन है।

*23--श्री सुख पाल पाण्डेय--

[दिनांक 24--4--78 को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

*24--श्री अब्दुल वहीद--

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*25--श्री अब्दुल वहीद--

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल के कर्मचारियों का मांग-पत्र

*26--श्री रामदत्त जोशी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को विगत मार्च, 1978 तथा अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में राजकीय बेक्सीन संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त कर्मचारी परिषद् के माध्यम से भेजे गये कितने मांग-पत्र, स्मृति-पत्र तथा कितने तार (टेलीग्राम) उन्हें प्राप्त हुए हैं और उन पर अबतक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह--

मार्च, 1978 से अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह के बीच राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल क कर्मचारियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से भेजे गये मांग-पत्रों की 18 प्रतियां, दो स्मृति-पत्र और 5 तार तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, नैनीताल द्वारा भेज गये 3 पत्र एवं 3 तार शासन में उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधि मण्डल से दिनांक 25-4-78 को शासन स्तर पर विचार-विमर्श हुआ और स्थिति से अवगत करा दिया गया ।

मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये निर्धारित अंक

*27--श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1977 में सी0 पी0 एम0 टी परीक्षा में हरिजन छात्रों के लिए इंण्डियन मेडिकल कौंसिल, देहली ने 45 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये थे, इस आधार पर लगभग 70 हरिजन छात्रों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिलना था? ऐसे छात्रों को उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में न लिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री कल्याण सिंह--

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये सी0 पी0 एम0 टी0, 1977 में 45 प्रतिशत अर्हकारी अंक निर्धारित थे । शासन ने मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया को इन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये 45 प्रतिशत से कम अंक निर्धारित किये जाने के लिये अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अक्तूबर, 1977 में अंकों से छूट देने का प्रस्ताव न केवल अस्वीकार कर दिया बल्कि काउंसिल की संस्तुतियों का कड़ाई से पालन हेतु आग्रह किया । तदनुसार रिक्त सीटें भर दी गयीं। इसके बाद शासन को जनवरी, 1978 में सूचना मिली कि मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत करने की संस्तुति भारत सरकार को की है । फरवरी, 1978 में शासन को सूचना मिली कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत अर्हकारी अंक निर्धारित कर दिये है तथा तदनुसार रेगुलेशन्स में संशोधन कर दिये हैं । ये संशोधित रेंगुलेशन्स वर्ष 1977 की सी0 पी0 एम0 टी0 तथा मडिकल कालेजों में वर्ष 1977 के लिये प्रवेश समाप्त हो जाने के बाद लागू हुए हैं । भारत सरकार के इस निर्णय के मुताबिक सी0 पी0 एम0 टी0 1978 से कार्यवाही की जायगी ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, बरेली के भवन निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि तथा ठेकेदारों को कियागया भुगतान

*28--श्री अली असगर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, बरेली में 2 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक कितना रुपया चिकित्सालय की नई बिल्डिग बनवाने एवं चिकित्सालय की मरम्मत में खर्च किया गया एवं उपरोक्त खर्च में कितना रुपया पी0 डब्लू0 डी0 और कितना रुपया ठेकेदारों को दिया गया है?

श्री कल्याण सिंह--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बरेली में 2 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक चिकित्सालय का नया भवन बनवाने में कुल 23,307.01 रुपये तथा मरम्मत कार्य में 2000 रु0 का व्यय किया गया ।

उपरोक्त कार्य पर कुल 23,307.01 रु0 का भुगतान ठेकेदार को किया गया तथा पी डब्लू0 डी0 को कोई भुगतान नहीं किया गया ।

हजरतगंज, लालबाग, कैसरबाग, लखनऊ के फुटपाथ पर लगायी गयी रेलिंग

*29--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि हजरतगंज, कैसरबाग और लालबाग, लखनऊ में फुटपाथ पर वर्ष 1976 में जो रेलिंग लगायी गयी थी उसे निकटवर्ती दूकानदारों ने यत्र-तंत्र काट लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

हजरत गंज, कैसरबाग और लालबाग लखनऊ में फुटपाथ पर लगी रेलिंग यत्र-तंत्र काटी गयी है। चूंकि अभी यह ज्ञात नहीं है कि रेलिंग किन व्यक्तियों द्वारा काटी गयी है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

*30—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[7वें सोमवार (8-5-78) को तारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत उत्तरित]

ललितपुर जिले के ग्राम धौरी के पेय जल की टंकी गिरने से श्री गोपाल की मृत्यु तथा उसके परिवार को मुआवजा

*31—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 के प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि आंधी आने पर ही जो टंकी गिर गई उसकी लागत का कितना रुपया ठेकेदार को भुगतान किया गया और उक्त टंकी किन-किन इंजीनियरों व अधिकारियों की देख-रेख में बन रही थी? उनमें से कितनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और मृतक श्री गोपाल मजदूर के परिवार वालों को कितना रुपया मुआवजा स्वरूप दिया गया?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

(1) ठेकेदार को 30,521.00 रु0 का भुगतान किया गया।

(2) टंकी निम्नांकित इंजीनियरों एवं अधिकारियों की देख-रेख में बन रही थी:—

(1) श्री नवीन चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता।

(2) श्री एस0 आर0 दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता।

(3) श्री वी0 पी0 वार्ष्णेय, सहायक अभियन्ता।

(4) श्री आर0 एल0 गोयल, सहायक अभियन्ता।

(5) श्री आर0 एस0 पुन्डोर, अवर अभियन्ता।

(3) जांच आख्या पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) स्थानीय न्यायालय ने मृतक (श्री गोपाल) के परिवार वालों को 6,000 रु0 का मुआवजा ठेकेदार द्वारा भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में ठेकेदार की अपील लम्बित है।

अतारांकित प्रश्न

बेतिया हाता कालोनी, गोरखपुर की दुकानों का आवंटन

1—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेतियाहाता आवास विकास कालोनी, गोरखपुर में इस वर्ष कितनी दुकानें बनी हैं और अब तक उन्हें किराये पर क्यों नहीं दिया गया?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की बेतियाहाता कालोनी के अन्तर्गत 9 दुकानों का निर्माण किया गया है।

दुकानों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाता है। नीलामी द्वारा आवंटन दुकानों की आरक्षित कीमत से अधिक बोली बोलने वाले के पक्ष में किया जाता है। उक्त दुकानों को नीलामी दिनांक 28 जुलाई, 1977 को की गई थी परन्तु उक्त नीलामी में आरक्षित किये गये मूल्य के अनुसार उच्चतम बोली प्राप्त नहीं हुई, अतः किसी भी दुकान का आवंटन नहीं किया जा सका।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंडिया, इलाहाबाद की जीप

2—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंडिया के लिए सरकारी जीप गाड़ी अर्सा दो वर्ष से एलाट की गई है, परन्तु अभी तक वह गाड़ी स्वास्थ्य केन्द्र, हंडिया को नहीं दी गई? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, किन्तु यह जीप गाड़ी जिले के अन्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों में उपयोग में लाये जाने के कारण इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंडिया को नहीं भेजी जा सकी। अब दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को यह गाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हंडिया को भेज दी गई है।

नाविक जल मजदूर संघ, देवरिया तथा गोरखपुर के मांग-पत्र

3—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को जनपद देवरिया में सलेमपुर तहसील पर तथा दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को जनपद गोरखपुर की बांसगांव तहसील पर नाविक जल मजदूर संघ ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो सरकार नाविक जल मजदूरों की मांगों पर क्या कार्यवाही कर रही है, और उनकी मांगें क्या हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां,

दिनांक 30-9-77 को अखिल भारतीय नाविक जल मजदूर संघ ने संलग्न (परिशिष्ट-1) 8 सूत्रीय मांग-पत्र परगना अधिकारी, तहसील सलीमपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। मांग-पत्र की समस्त मांगें शासन के स्तर से निस्तारित होनी थीं। अतः परगना अधिकारी ने नाविकों को यह सुझाव दिया कि वे अपनी मांगों के सम्बन्ध में सीधे शासन के सम्बन्धित विभागों से अनुरोध करें।

दिनांक 1-9-77 को नाविक जल मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश शाखा, गोरखपुर ने संलग्न (परिशिष्ट-2) 11 सूत्रीय मांग-पत्र जनपद गोरखपुर की बांसगांव तहसील पर परगना मैजिस्ट्रेट बांसगांव, गोरखपुर को प्रस्तुत किया। समस्त मांगें शासन की नीति पर निर्भर हैं। अतः जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर शासन के सम्बन्धित विभागों से पूछतांछ कर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 410 पर)

श्री बंशीधर मिश्र, निवासी ग्राम गहरी, जिला सुल्तानपुर की नसबन्दी

4—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री बंशीधर मिश्र, निवासी ग्राम गहरी (खनिया, पच्छिम), जिला सुल्तानपुर के आपातकाल में अविवाहित होते हुए भी जबरन नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 जनवरी, 1977, 26 जून, 1977, 24 जुलाई, 1977, 17 सितम्बर, 1977 तथा 9 सितम्बर, 1977 के पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायगी?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं, प्रश्न में उल्लिखित दिनांक के पत्र तो प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु इनके दिनांक 24-4-77, 31-8-77, 14-9-77 एवं एक दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जांच से पाया गया कि नसबन्दी आपरेशन के लिए श्री मिश्र द्वारा भरे गये फार्म पर उनके 2 बच्चे होना अंकित है।

श्री मिश्र की नस उनके ही अनुरोध पर पुनः मेडिकल कालेज, कानपुर में जुड़वा दी गई है। इनकी जबरन नसबन्दी कराये जाने की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से कराई जा रही है।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के प्रान्तीयकरण की मांग

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि क्या सरकार राज्य के कुछ आयुर्वेदिक कालेजों का प्रान्तीयकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कालेज कौन-कौन है तथा उनका प्रान्तीयकरण कब तक कर लिया जायगा?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) साहू राम नारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली तथा स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेदिक कालेज, रामपुर (मुजफ्फरनगर) के प्रान्तीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है और इन कालेजों का प्रान्तीयकरण शीघ्र किये जाने की सम्भावना है।

लाला गंगा सहाय चैरिटेबिल डिस्पेन्सरी, लौनी, गाजियाबाद के डाक्टर एम0 एम0 पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती पत्र

6—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तिथि 1 सितम्बर, 1977, 6 सितम्बर, 1977, 24 अक्तूबर, 1977 को मेडिकल आफिसर इन्चार्ज डा0 एम0 एम0 पांडे लोनी लाला गंगा सहाय चैरिटेबिल डिस्पेन्सरी लोनी, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध कोई अभिक्षोभ-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। शिकायतों की जांच के उपरान्त उसमें उल्लिखित शिकायतें निराधार पाई गई।

आपातकाल में नसबन्दी के फलस्वरुप मृतकों के आश्रितों को दी गयी आर्थिक सहायता

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान नसबन्दी आपरेशनों के कारण प्रदेश में कितने पुरुषों एवं स्त्रियों की मृत्यु हो गई? क्या उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई?

श्री कल्याण सिंह—

आपात कालीन स्थिति के दौरान नसबन्दी आपरेशनों के उपरान्त प्रदेश में 74 पुरुषों तथा 138 स्त्रियों की मृत्यु हुई। इनमें से 57 पुरुषों व 124 स्त्रियों के आश्रितों को प्रत्येक मामले में 5000 रु0 एक्सग्रेसिया के रूप में भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया। शेष मामलों में नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य न होने के कारण आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

सीतापुर जिले में नसबन्दी से संबंधित क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता की मांग

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में माह फरवरी, मार्च, तथा अप्रैल, 1977 में इस आशय के कितने आवेदन पत्र मिले जिसमें नसबन्दी के कारण हुई क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता की मांग की गई थी? उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कल्याण सिंह--

कथित अवधि में ऐसी तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दो के बारे में कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं पाई गई तथा एक में रु0 2000 की आर्थिक सहायता दी गई।

सुल्तानपुर जिले के बेसिक हेल्थ वर्करों की वेतन वृद्धि एवं दक्षता रोक

9--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुर जिले के अधिकांश बेसिक हेल्थ वर्करों की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक पार करने की अनुमति सन् 1977 से नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद सुल्तानपुर में 152 बेसिक हेल्थ वर्कर कार्यरत हैं। केवल 5 बेसिक हेल्थ वर्करों की वेतन-वृद्धि तथा 7 बेसिक हेल्थ वर्करों की दक्षता रोकपार करने की अनुमति दी जाने को थी। ऐसे 12 कर्मचारियों में से 11 के मामले तय करके आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। केवल एक बेसिक हेल्थ वर्कर का मामला लम्बित है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दे दिये गये हैं कि अभिलेख एक पत्रकरके इसे भी निस्तारित कर दिया जाय। उक्त स्थिति में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

वनस्पति घी के निर्माताओं के यहां से लिये गये घी के नमूने

10--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई से अक्तूबर, 1977 के बीच बनस्पति घी के निर्माताओं के यहां से बनस्पति घी के कितने नमूने जांच के लिए गए ? क्या उन नमूनों में से किन्हीं में अपमिश्रण पाया गया ? यदि हां, तो वे किन वस्तुओं का तथा निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत अवधि में बनस्पति घी के निर्माताओं के यहां से ऐसे घी के कुल 8 नमुने प्राप्त किये गये किन्तु कोई नमूना अपमिश्रित नहीं पाया गया अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

11-12--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

लखीमपुर के चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के दुर्घटना ग्रस्त वाहन चालक

13--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कितने वाहन चालकों को वर्ष 1975 में दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण सेवामुक्त किया गया ? क्या उनकी पेंशनें स्वीकृत कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दी जायेंगी?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष 1975 में दुर्घटना के कारण लखीमपुर जनपद में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी भी वाहन चालक को सेवा निवृत्त नहीं किया गया।

नगरपालिका, कर्वी, बांदा के ठेकेदारों के बिल का भुगतान

14—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका कर्वी, बांदा में 11 अगस्त, 1977 की रात्रि में ठेकेदारों आदि के फर्जी बिलों का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार इसकी गुप्तचर विभाग से जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगरपालिका कर्वी (बांदा) द्वारा 11 अगस्त, 1977 की रात्रि में किसी बिल का भुगतान नहीं किया गया।

मोहल्ला कटरा, बांदा के निर्माण, विद्युत, पेयजल की व्यवस्था की मांग

15—श्री राम सजीवन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कटरा, बांदा के निर्माण, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? तथा कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं।

गोरखपुर शहर की शराब की दुकानों की नीलामी एवं बन्द की गयी दूकान

16—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में गोरखपुर शहर के शराब की दुकानों की जो निलामी की गयी थी उसमें से कितनी शराब की दुकानें नीलाम होने के चार माह बाद बन्द कर दी गयीं जिससे दो लाख राजस्व की क्षति हुई है? यदि हां, तो दुकानों को बन्द करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया है बन्द करने के क्या कारण थे?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 1977 में गोरखपुर शहर में नीलाम की गई देशी शराब की दुकानों में से कोई दुकान नीलाम होने के चार माह बाद बन्द नहीं की गई। मोहल्ला हुमाऊंपुर की एक दुकान ऐसी है जिसे नीलामी के पश्चात् प्रबल जनविरोध के कारण जिलाधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के हित में अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया था। शासन ने भी इस दुकान को बन्द रखने का निर्देश दे दिया है।

17—श्री हामिद रजा खां—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

18—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

मौदहा एवं खांडह, जिला हमीरपुर के शराब के दुकानदार श्री भैयादीन से बकाया धनराशि की वसूली

20—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि जनवरी, 1976 में मौदहा व खांडेह, जिला हमीरपुर की आबकारी की दुकानों के अन्य दो साझीदारों के साथ दो माह के लिए ठेका लेने वाले श्री भैयादीन पुत्र श्री जगदेव प्रसाद निवासी मौदहा, हमीरपुर से बकाया किस्त की अकेले एक पुस्त वसूली करके उनके संयुक्त परिवार के मकान की नीलामी की जा रही है? जिसके सम्बन्ध में श्री भैयादीन ने प्रश्न कर्ता के पत्र सहित दिनांक 4 फरवरी, 1978 को राज्य सरकार को शिकायत भेजी है? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 1975–76 में जिला हमीरपुर की मौदहा तथा खांडेह की शराब की दुकान की नीलामी सर्वश्री भैयादीन, रामेश्वर और रामस्वरूप के नाम हुई थी । बकाया धनराशि रुपया 28,498.00 की वसूली श्री भैयादीन तथा अन्य दो साझीदारों से नियमानुसार की जा रही थी । बकाया की धनराशि भैयादीन से उनके संयुक्त परिवार के मकान के केवल 1/4 भाग को नीलाम करके की जा रही थी, लेकिन यह कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दीगई है। प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जिलाधिकारी को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित श्रीभैयादीन का एक पत्र दिनांक 4–2-78 को शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य बात यह थी कि बकाया की वसूली तीनों साझेदारों से की जाये । शासन ने इस आशय का आदेश इसके पहले ही श्री भैयादीन से प्राप्त एक अन्य प्रार्थना पत्र के आधार पर जिलाधिकारी को जारी कर दिया है ।

गोरखपुर जिले की तहसील महराजगंज के अन्तर्गत, स्वीकृत पेयजल योजना

21—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत, गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के घुघली, परतावल, महराजगंज, नदुआ, श्यामदेउरवा, भिटौली एवं रामपुर, बल्डीहा कस्बे लिये गये हैं? यदि हां, तो इस योजना की क्या रूप रेखा है ? कार्य कब से प्रारम्भ होगा एवं कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील की निम्नलिखित जल सम्पूर्ति योजनाओं के प्राक्कलन बनाये जा चुके हैं और तकनीकी स्वीकृति भी जल निगम द्वारा दी जा चुकी है । योजनाओं की रूप रेखा संलग्नक में दी हुई है ।

1—महाराजगंज जल सम्पूर्ति योजना ।

2—परतावल ग्राम समूह पेयजल योजना ।

3—घुघली ग्राम समूह पेयजल योजना ।

उक्त योजनाओं का कार्यान्वियन जिला परिषद् गोरखपुर का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा किया जायगा ।

नदुआ, श्यामदेउरवा, बिटौली एवं रामपुर बल्डोहा के लिये जल सम्पूर्ति योजनाओं के प्राक्कलन अभी नहीं बिरचित किये गये ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 412 पर)

फैजाबाद जिले के होम्योपैथिक एवं यूनानी अस्पताल

22—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद फैजाबाद के यूनानी व होम्योपैथिक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जिससे गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फैजाबाद के टाण्डा कस्बा में कोई यूनानी या होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की कोई योजना बना रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

इस समय फैजाबाद जनपद में निम्नलिखित राजकीय यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं:

राजकीय यूनानी चिकित्सालय—

(1) देवगांव
(2) बड़ागांव
(3) राजे सुल्तानपुर

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

(1) अहरौली गोविन्द साहेब (न्योरी)
(2) तेन्दुई कलां
(3) चोरे बाजार
(4) रसूलाबाद

फैजाबाद जनपद के टान्डा कस्बे में राजकीय यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की वर्तमान में कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा कार्यालय के लिपिक श्री लक्ष्मी मोहन शर्मा का स्थानान्तरण

23—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी मोहन वर्मा, औषधि लिपिक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तृतीय, मथुरा को दिनांक 27 जून, 1977 से 24 जनवरी, 1978 तक कितने स्थानों पर कितनी बार तबादला किया गया तथा क्यों? क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1977 से जनवरी, 1978 तक का बिना किसी कारण के वेतन रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह —

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय) मथुरा के कर्यालय में श्री लक्ष्मी मोहन वर्मा नाम के नहीं वरन् श्री लक्ष्मी मोहन शर्मा नाम के एक औषधि लिपिक हैं। जनहित में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये छः बार पांच स्थानों पर उन्हें उसी जनपद के विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने के आदेश दिये गये थे। श्री लक्ष्मी मोहन शर्मा को माह अक्टूबर, 1977 तथा जनवरी, 1978 के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। नवम्बर, 1977 तथा दिसम्बर, 1977 के वेतन का भुगतान उन्हें इस कारण नहीं हो सका क्योंकि श्री शर्मा उक्त अवधि के अधिकांश काल में बिना सूचना दिये कार्यालय से अनुपस्थित रहे।

मथुरा रिफाइनरी के प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारतों पर पड़ने वाला कुप्रभाव

24—श्री देव कुमार—

क्या यह सही है कि मथुरा रिफाइनरी के लग जाने से वायु प्रदूषण के कारण मथुरा के मन्दिरों, ताजमहल और अन्य मुगलकालीन इमारतों को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां तो सरकार इन इमारतों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत रिफाइनरी की स्थापना के फलस्वरूप प्रदूषण तथा ऐतिहासिक इमारतों पर पड़ने वाले कुप्रभाव का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह मामला भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—

सुदामा प्रसाद जी, जब तक मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं लायेंगे, मै किसी बात की इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी के पुनः कुछ कहने पर)

मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाहते हैं। आप बैठिये। मै अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अल्प सूचित प्रश्न है हमको उनकी सूचना मिलनी चाहिये कि स्वीकृत हुये या नहीं, ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास आनी चाहिए।

श्री शंकर सिंह—

8 तारीख को मैंने प्रश्न दिया उसकी स्वीकृति की जानकारी नहीं आई। उस दिन भी आदेश दिया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, कल मेरा एक प्रश्न और था उसकी जानकारी नहीं आई। प्रश्नों की स्वीकृति की जानकारी न होने के कारण यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। कल का प्रश्न चला गया।

श्री अध्यक्ष—

इन प्रश्नों के बारे में जो आपकी शिकायत है, इसका उत्तर मैं यहां नहीं दे सकता। इसमें पत्रावली देखेंगे और जांच करने के बाद आपको सूचित करेंगे।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या 31 का जो उत्तर मुझे मिला है वह श्री सत्य प्रकाश मालवीय स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से मिला है। मै यह जानना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है . . . . . .

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

यहां पर मंत्रिगण होते हुये भी मंत्री का नाम श्री सत्य प्रकाश मालवीय उत्तर में दिया दिया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये, बिना अनुमति के सदन का समय नष्ट करते हैं। आप इतने पुरानें सस्दय हैं इतनी जानकारी आप को है इस तरह से बात नहीं करते।

अनुदानों के संबंध में सदस्यों द्वारा सदन में उठाई गई अनुत्तरित बातों का मंत्रियों द्वारा बाद में उत्तर दिये जाने का सुझाव

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। दफा 300 में आप के संज्ञान में लाया था सुबह। अनुदान के संबंध में जो वहस यहां होती है, जो भाषण होते हैं उसके लिये लगभग तीस दिन यहां होते हैं, लेकिन जो मंत्रिगण है, समय पूरा न होने के कारण ब्योरेवार हमें उत्तर नही दे सकते हैं। जैसा कि देश के अन्य सदनों में है। संसद में कभी-कभी होता है मेरा निवेदन यह है कि आप अपनी व्यवस्था दे या मंत्रियों को निर्देश दें या सलाह दें उनकी जानकारी कर के व्यवस्था दें कि जो कुछ हम लोगों की सलाह यहां पर होती है उस पर ये दो महीने तीन महीने के अंदर फैसला कर के हमें बतायें कि क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर के देंगे तो इस प्रस्ताव पर मै विचार करूंगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

मेरे प्रश्न के बारे में जो जानकारी दी गयी है मंत्री जी द्वारा, वह सही नहीं है। मेरा तो प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—

धर्मगज सिंह जी, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह अवसर नहीं है। इसको आप प्रश्नों का घण्टा बनाना चाहते है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गई सूचनाओं के उत्तर मिलने में विलम्ब की शिकायत

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष आपने इस सदन में व्यवस्था भी दी है कि शून्य प्रहर में नियम 301 के अन्तर्गत जो बातें इस सदन के संज्ञान में लायी जायेगी उसका उत्तर संबंधित मंत्री जी एक सप्ताह के अंदर जो संज्ञान में लाने वाले लोग हैं उनको देंगे। मैंने 26 अप्रैल, 1978 को बहराइच जिले के विकास बैंक द्वारा बकाया वसूली और अग्नि पीड़ित लोगों के बारे में आपके द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया था। आज 16 दिन हो रहे हैं कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपको कोई अन्तरिम उत्तर मिला ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष —

मनानीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मै इस सम्बन्ध में लिखित निर्देश दे चुका हूं कि 301 की जी सूचनायें हैं उनका उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा यदि शीघ्र न दिया जा सके तो कम स कम एक सप्ताह के अन्दर अन्तरिम उत्तर दे दिया जाय और फिर उसके बाद माननीय सदस्य को पूर्ण उत्तर दे दिया जाय। लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बार-बार यह प्रश्न सदन में उठता है। यह बहुत अनुचित है। आप बतलायें क्यों इस प्रकार की अवज्ञा की जा रही है।

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)—

यह बात सही है कि कहीं न कहीं चूक हो रही है। मैंने इस संबंध में अब व्यवस्था कर दी है। पिछली बार जब यह प्रश्न उठा था तो मैंने आपको सुना था। मैंने व्यवस्था कर दी है कि जीरो आवर में जो प्रश्न लाये जाते हैं उनकी नकल मेरे पास भेजी जाय और संसदीय कार्य के स्तर पर भी प्रयास किया जाय मैंने व्यवस्था कर दी है कि उनका जवाब दिया जाय। अगर जवाब नहीं दिया जाता तो मै उसको देखने वाला हूं। चूंकि हाल ही में यह व्यवस्था की है इसलिये कुछ समय लगेगा। जिन मानीय सदस्यों को कठिनाई हो तो वह मुझ से मिल लें। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आगे उन्हे कोई कठिनाई न हो और शिकायत करने का अवसर न मिले।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह तो आगे की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

पहले के लिये भी है।

(व्यवधान)।

कतिपय विषय

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

यहां मंत्री ठंडी हवा खा रहे हैं। कहीं इस्तीफा देते है, कहीं कहते है नहीं रहेंगे। बाहर जायेंगे तो बीमार हो जायेंगे। इतना रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं?

श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मै पचासों बार खड़ा होता हूं आप मुझे अवसर नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—

आपको अनुमति नहीं दी है। आप बैठ जायें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

नियमों में स्पष्ट है कि जब प्रश्न का उत्तर विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर से आयेगा तो वह इस सदन की प्रापर्टी हो जायगा। जो माननीय सुदामा जी को जवाब मिला है...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। मैं अनुमति नहीं देता। प्रश्नों के बारे में इस तरह का औचित्य का प्रश्न नहीं आ सकता। (व्यवधान) किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था चाहते हैं?

श्री रियासत हुसैन—

नियम 300 के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस बात की व्यवस्था चाहते हैं कि जो आदमी आज मंत्रि-परिषद् का सदस्य नहीं है, उसके नाम से कोई भी पत्र मंत्री की हैसियत से आज की तारीख में यहां नहीं रखा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 में इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, अभी आपने व्यवस्था दी और पहले भी व्यवस्था दे चुके हैं शून्य प्रहर में जो लोक महत्व का प्रश्न हम उठाते हैं, आज तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने गोंडा जिले के बारे में दो मामले रखे थे। आज तक सरकार से, बार-बार आपकी चेतावनी के बाद कोई जवाब नहीं मिला। कोई भी मंत्री इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—

अब आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं। कृपया बैठ जायं। आपको माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है, आप उनको लिखकर दे दें।

श्री दीप नरायन—

माननीय मंत्री जी तो रोज आश्वासन देते रहते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री धर्मगज सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम में व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री धर्मगज सिंह—

नियम 49 में।

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री धर्मगज सिंह—

आप आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे देंगे तो विचार कर लेंगे। सदन में उसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, एक सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया सदन का समय न नष्ट करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपसे सूचना चाहता हूं कि आप उपाध्यक्ष का चुनाव करायेंगे कि नहीं यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मै आपको चेतावनी देता हूं कि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको सदन के बाहर निकाल दिया जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह तो आपके अधिकार की बात है। जब चाहें निकाल दें। हमने तो आपको उस पद पर बिठा दिया है। मैं तो यह जानकारी चाहता था कि आप उपाध्यक्ष का चुनाव करायेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने शायद एजेंडा पढ़ा नहीं। कृपया आप खामोश बैठिये। जब नम्बर आयेगा तो कहियेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, माननीय सुखपाल पाण्डेय जी के बारे में तो आपकी पुरानी व्यवस्था है कि इन पर कोई व्यवस्था नहीं लागू होगी। ये नियमों से परे है।

श्री अध्यक्ष—

मैने कहा था कि 5—00 बजे के बाद वह लागू है जब वह सुखपाल के बजाय दुखपाल पाण्डेय हों, तब।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों थिरूआनाले की बाढ़ से बचाये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से इस माननीय सदन का ध्यान जनपद फैजाबाद के उन 28 गांवों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो थिरूआनाला के किनारे बसे हुए है और जहां पर हर वर्ष बरसात के मौसम में बाढ़ की भयंकर विनाशलीला देखने को मिलती हैं। हजारों एकड़ क्षेत्रफल की फसल डूब जाती हैं और सैंकड़ों लोग बेघर-हो जाते है। इस इलाके में हर वर्ष बरसात में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा लाखों रुपये का अनुदान नकद धनराशि और खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के रूप में सहायतार्थ दिया जाता है। शारदा सहायक परियोजना के कार्यान्वयन से उक्त क्षेत्र में सिंचाई के सुविधा के साधनों में जहां निर्विवादारूप से विस्तार हुआ है, वहीं पर बरसात में बाढ़ की विनाशलीला का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। और यदि बरसात के पूर्व इसका हल न निकाल लिया गया तो उक्त 28 गांवों के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो जायेगा।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा थिरुवा नाला के बाढ़ व कटान से उक्त 28 गांवों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उक्त सभी गांवों को 50 सी0 एम0 एच0 एल0 तक ऊंचा करने की लगभग पौने चार लाख रुपये की एक योजना बनाकर जिलाधिकारी, फैजाबाद के पास कार्यान्वयन हेतु भेजी गयी थी। उक्त कार्य के लिये मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ से 3.757 लाख रुपये का एस्टीमेंट भी आ गया था जिसे जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्रांक 3060/3—डी0पी0सी0/थिरुआ/77—78, दिनांक अप्रैल, 6, 1978, द्वारा सचिव, राजस्व अनुभाग (10) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पास स्वीकृत कराकर संबंधित विभाग द्वारा कार्यान्वित कराने के अनुरोध के साथ भेज दिया है।

मान्यवर, शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उक्त योजना के कार्यान्वयन में नौकरशाही द्वारा जिस प्रकार विलम्ब किया जा रहा है, उससे उक्त 28 गांवों क लोगों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

अतः आपकी अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त योजना के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक स्वीकृति एवं निर्देश शीघ्र प्रसारित करें ताकि वर्षी के पूर्व कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा सके और थिरुआ नाले की बाढ़व कटान से प्रभावित होने वाले गांवों को बचाया जा सके।

प्रदेश में युवतियों के क्रय-विक्रय के संबंध में रोक लगाये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

महोदय, कृपया प्रक्रिया नियमावली 301 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित घटना के विषय में शून्य प्रहर में विधान सभा में पढ़ने की आज्ञा प्रदान की जाय।

अभी कुछ दिन पूर्व रुद्रपुर की पुलिस ने एक बंगाली लड़की को पकड़ा है जिसे एक व्यक्ति कलकत्ता से भगा कर लाया था। उस व्यक्ति ने इस कन्या को 1,500 रुपये में बेच दिया था। इस घटना से एक बहुत बड़े पैमाने में युवतियों के क्रय विक्रय के कलुषित व्यापार का स्पष्ट संकेत मिलता है। ज्ञात हुआ है कि एक ऐसा गिरोह है जो अहिन्दी भाषी लड़कियों की शोचनीय पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठा कर उन्हें काल्पनिक प्रलोभन दे कर ले आता है और उन्हें बेच देता है। यह भी ज्ञात हुआ है कि पिछले 6 महीनों में कई दर्जन लड़कियां देवरिया, बलिया, गोरखपुर जिलों के तथा आसपास के इलाकों में खरीदी व बेची गई है। इन में अधिकतर युवतियां बंगाल, केरल, कर्नाटक व आदिवासी क्षेत्र की हैं।

मान्यवर, युवतियों के क्रय-विक्रय का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। स्थिति गम्भीर होती जा रही है। सरकार से प्रार्थना है कि सम्पूर्ण प्रदेश में युवतियों के क्रय-विक्रय के जहां जहां अड्डे है उन पर छापा मारा जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय नहीं तो प्रदेश का नैतिक और सांस्कृतिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

मेरठ स्थित डिप्टी इक्साइज कमिश्नर के आफिस कम रजीडेन्स भवन को उक्त कमिश्नर द्वारा अपने नाम एलाट करने के कथित प्रयास के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोण्डा)—

महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरठ स्थित एक भव्य भवन, जो डिप्टी इकसाइज कमिश्नर के आफिस कम रेजीडेंस के नाम से आवंटित है, के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में मैंने इसके पूर्व आपके माध्यम से ध्यान दिलाया था। मेरे पूर्व नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर कुछ दिन पूर्व मिला है जो भ्रामक व असंतोषजनक है। इस पत्र में कहा गया है कि संबंधित मामले की जांच की जा रही है और जांच के उपरान्त ही निर्णय लिया जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जांच का यदि कोई निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाय तो उचित होगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। इस समय जो डिप्टी इक्साइज कमिश्नर हैं वह रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उस मकान को कार्यालय के नाम से परिवर्तित करके अपने स्वयं के नाम में या तो आवंटित करा लिया है या उसे आवंटित कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। इस कार्यालय को सरकारी शराब गोदाम जिसके दो कमरे टूटी स्थिति में थे उनको बनवाने के लिये शराब के केठेदारों से माली फंड के लिये 10,000 रु0 एकत्रित करक उनकी मरम्मत आदि करा कर अब उसमें कार्यालय भेजा जा रहा है। उस भव्य भवन की कीमत लगभग 4 लाख रुपये ह तथा उन्होंने लगभग डेढ़ लाख रुपये में सौदा तय किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह परिपाटी हमेशा से रही है कि जो भवन सरकारी कार्य के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं उस अधिकारी के तबादला हो जाने के बाद या रिटायर होने के बाद जो अधिकारी उसके स्थान पर आता है उसको दिया जाता है। परन्तु यह परिपाटी इस मामले में नहीं अपनाई जा रही है। यह भवन इस समय सरकार के पास केवल 80 रुपये माहवार में है। इतनी ही जगह दूसरे स्थान पर लेने से लगभग 15,000 रुपये में मिलेगी। यदि यह सत्य है कि उक्त अधिकारी इस कार्यालय की इमारत को अपने नाम से आवंटित कराने की कार्यवाही पूर्ण कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ करके यह कार्य कराया जा रहा है उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये तथा इस भवन को इस सरकारी कार्यालय के लिये ही उपयोग में आने के आदेश देने की कृपा करें।

जनपद बुलन्दशहर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर गेहूं उत्पादन में प्रदेश का सर्वप्रथम जिला है। गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद से सरकार की नीति एवं कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से किसानों में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। किसान जब कांटों पर जाता है चाहे वह कांटा एफ0 सी0 आई0 का हो या आर0 एफ0 सी0 का हो या पी0 सी0 एफ0 का हो या अन्य किसी सहकारी संस्था का हो। सभी कांटे रुपये का अभाव, बोरियों की कमी, ट्रकों की कमी बता कर गेहूं खरीद में आनाकानी कर रहे हैं। इसी कारण किसान मजबूरी में गेहूं 100 रु0 क्विंटल पर मन्डी में बेच रहा है और वही गेहूं कर्मचारियों से सांठ-गांठ होकर शाम को सरकारी खरीद केन्द्रों पर चला जाता है। इस प्रकार किसान को 12 रु0 50 पैसा प्रति क्विंटल का भारी नुकसान हो रहा है। जिससे पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। अन्य सहकारी छोटी संस्थाओं को पी0 सी0 एफ0 रुपया नहीं देता है जिससे छोटी संस्थाओं को अपना काम चलाने में और परेशानी हो रही है।

अतः मैं माननीय सदन और सरकार का दोनों का ध्यान गेहूं खरीद से उत्पन्न किसान की परेशानियों की ओर आकर्षित करते हुये शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं।

भूतपूर्व विधायक, श्री विमल तिवारी व कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, श्री सतीश दीक्षित पर प्राण घातक हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)

मान्यवर, 1/2 मई, 1978 को रात को फर्रुखाबाद शहर में भूतपूर्व विधायक श्री विमल तिवारी और कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री सतीश दीक्षित पर पूर्व नियोजित ढंग से प्राण घातक हमला किया गया। जब यह दोनों व्यक्ति रात में स्टेशन जा रहे थे तब इन पर कुछ राजनैतिक द्वेष रखने वाले लोगों ने गुन्डों की सहायता से हमला किया। श्री विमल तिवारी जी के अनेक चोटें आयी और गंभीर चोट उनके मुंह पर आयी और श्री दीक्षित के शरीर पर गहरी चोट आयी। जब इन लोगों को मारा जा रहा था उसी समय शहर कोतवाल फर्रुखाबाद पहुंच गये उनके हस्तक्षेप से इन दोनों की जानें बच गयी। इस सन्दर्भ में उसी समय कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और अपराधियों के विरुद्ध धारा 147, 307, 336 और 323 का मुकदमा दर्ज हो गया और अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ज्ञात हुआ है कि राजनैतिक दबाव के कारण स्थानीय पुलिस असमंजस की स्थिति में है। इस सन्दर्भ में डी0 आई0 जी0 की भी जांच हो चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

आपके माध्यम से मैं शासन से आग्रह करूंगा कि अविलम्ब उन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाय तथा दुर्घटनाग्रस्त सम्भ्रान्त नागरिकों की सुरक्षा की अविलम्ब व्यवस्था हो।

जौनपुर प्रतापगढ़ की सीमा पर केवतली ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में सरकार का ध्यान केवतली ग्राम में घटित भीषण अग्निकांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह ग्राम जौनपुर तथा प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित है। दिनांक 3 मई, 1978 को लगभग दो बजे दिन में श्री राजमणि के खलिहान में आग लग गई। इस भीषण गर्मी में तथा हवा के प्रकोप के कारण अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। आग की लपट धीरे-धीरे बढ़ने लगी, परिणाम यह हुआ कि खलिहान में रखी हुई सारी फसलें जलकर राख हो गई। अधिक संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुये और आग बुझाने का प्रयास किया परन्तु आग काबू में न आ सकी। गांव में लगभग 3/4 घर जलकर राख हो गये। इस प्रकार से इस अग्निकांड से लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ। सबसे अधिक खलने वाली बात यह हुई कि इस अग्निकांड में दो अबोध बालक भी मर गये। इस प्रचंड अग्निकांड में दो बालक, जो राजमणि के पुत्र थे, एक की उम्र 8 वर्ष की और दूसरे की उम्र 6 वर्ष की थी, जलकर मौत के घाट उतर गये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस भीषण अग्निकांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि क्षतिग्रस्त परिवार पीड़ित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की कृपा करें।

बदायूं नगर में भीषण जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान बदायूं नगर के भीषण जल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं।

बदायूं नगर में गत दो सप्ताह से जल का भीषण संकट है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, एक प्रकार से बदायूं में पानी का अकाल पड़ गया है। नगर के लगभग 10 मुहल्ले जो ऊंचाई पर स्थित है, जैसे काजी टोला, शेखपट्टी, मु0 चौधरी, मु0 नागरान, सोधा, फरसोरी टोला, सय्येदेवाड़ा आदि है, वहां पर तो गत दो सप्ताह से पानी की एक बूंद भी नहीं गई है, जिसके कारण वहां के निवासियों में घोर असंतोष तथा रोष व्याप्त है। बदायूं नगर में जल निगम का चतुर्थ नलकूप बनकर तैयार हो गया, परन्तु विभाग की लापरवाही के कारण वह चालू नहीं होपा रहा है। यदि वह नलकूप भी शासन शीघ्र चालू करा दे तथा विद्युत विभाग जल निगम की सेवाओं को आवश्यक सेवा समझकर बिजली की कटौती न करे तो भी बदायूं का जल संकट कुछ अंशों में समाप्त हो सकता है तथा बदायूं की प्यासी जनता को राहत मिल सकती है।

अतएव मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के जल निगम का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती में सम्पर्क मार्ग बनाने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में सरकार द्वारा सम्पर्क मार्ग बनाने वाले हजारों मजदूरों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की देखरेख में कटहना महरथा घाट मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सोहरतगढ़ चेतियां पनजवां बरगदवा, मण्डी समिति द्वारा शिशवा बसहया फरवरी-मार्च, 78 में कराया गया है। हजारों निरीह मजदूरों ने काम किया, परन्तु अभी तक मजदूरी नहीं दी गई। मजदूर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, परन्तु कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जिला अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने पर भी निराशा हाथ लगी।

मान्यवर, गरीब मजदूरों जिन्हें दो जून पेट पर भोजन भी नहीं मिलता, उन अर्थ निरीह व्यक्तियों को मजदूरी न देने से शासन के प्रति घोर असंतोष एवं उत्तेजना बढ़ रही है।

आपके माध्यम से या ग्राम्य विकास मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री; से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करके एक हफ्ते में मजदूरों को मजदूरी दिलाने की कृपा करें।

आज की कार्यसूची की नत्थी (घ) में श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर में मंत्री के स्थान पर श्री सत्य प्रकाश मालवीय के हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके माध्यम से फिर उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 32 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर जो मिलेगा उसे एक दिन पहले कंसर्न मंत्री देगा और वही सदन की मेज पर रखा जायेगा। तो जो आज नत्थी 'घ' में 31 प्रश्न है उसका जबाव जो मिला है उसमें श्री सत्य प्रकाश मालवीय का नाम लिखा है जो कि सदन की मेज पर आया है। एक दिन पहले उसका जबाव पहुंच गया तो कल भी माननीय सत्य प्रकाश मालवीय स्वायत्त शासन मंत्री नहीं थे और आज सदन की मेज में जो आया है उसमें श्री सत्य प्रकाश मालवीय हैं। इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं देख लूंगा। नियम में लिखा है कि उत्तर संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जायेगा। जिस समय यह प्रश्न आया था उस समय तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री जी ने इसे मंजूर किया था। चूंकि वह प्रश्न आज सप्लीमेंट्री तक नहीं आया है, इसको मैं देख लूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जहां तक नियम 32 की बात है उसमें स्पष्ट है कि उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया जायेगा। जिस दिन सुनाया जायेगा उस दिन संबंधित मंत्री का होना जरूरी है यह शब्दावली से निकलता है। यह नहीं है कि उस दिन मंत्री हो जिस दिन प्रश्न दिया हो।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं नियम से ही बोल रहा हूं। श्रीमन्, माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी इसी बात को आपसे कहना चाहते थे, आप अपना जबाव दे देते, टाइप की गलती हो गयी, या विभाग की गलती है तब शायद वह संतुष्ट हो जाते। आपने कहा कि आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं। इसलिए नियम हम को तलाश करना पड़ा। श्रीमन्, इतना अभी कह दूं कि इस नियमावली के बरखिलाफ आपने कह दिया, रूलिंग भी हो सकती है कि जब यह प्रश्न स्वीकार हुआ तब सत्य प्रकाश मालवीय जी इस विभाग के मंत्री थे। किसी को उस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं कि जब प्रश्न स्वीकार हुआ तो कौन मंत्री था कौन नहीं था। जैसा कि मिश्र जी ने कहा हमारी नियमावली में दिया है—"लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]
कर दी जायगी। उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायगा। तो सम्बद्ध मंत्री हैं आज माननीय गणेश दत्त बाजपेयी जी। उनके द्वारा होना चाहिये था। प्रश्न कब स्वीकार हुआ कब नहीं हुआ उससे हम से न कोई मतलब है न माननीय सदन से मतलब है। अगर श्रीमन्, ऐसी व्यवस्था आप देखेंगे कि उस वक्त वह मंत्री थे जब स्वीकार हुआ तो मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया नियमावली का भी उल्लंघन होगा।

श्रीमन्, एक बात उठती है, अगर सत्य प्रकाश मालवीय जी के नाम से उत्तर है और उत्तर स्वायत्त शासन मंत्री पढ़ें तो वह भी हमारी नियमावली के विरुद्ध है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप को इस मामले में इस प्रश्न पर व्यवस्था देनी चाहिये और बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, आप उत्तेजित न हों, बहुत कुछ मामले इस तरह भी शान्त हो सकते हैं। आपने यह व्यवस्था दी है कि अगर हम कोई विषय समाप्त करें तब कोई विषय लेते हैं। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। माननीय सुदामा प्रसाद जी ने उस वक्त आपका ध्यान आकर्षित किया आप कह देते कि यह त्रुटि हुई, यह त्रुटि विभाग की है या टाइप करने वाले की है। आप यह कह देते तो शान्त हो जाते। त्रुटि भी न हो तब तो मैं कहूंगा कि यह प्रक्रिया नियमावली का बिलकुल उल्लंघन है। इस पर मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्रश्न जब तक अध्यक्ष के संज्ञान में न लाया जाय तब तक उठाया नहीं जा सकता है। नियम 300 में लिखा है, या तो उस दिन का कार्य हो, उस कार्य के विनियमन के बारे में या किसी नियम के निर्वचन के बारे में हो। यह सदन में परिपाटी बन गयी है, व्यवस्था का नाम लिया और कोई भी वक्तव्य देने लगे जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ता है। इसलिये यह उचित है कि जैसे अभी रियासत साहब ने नियम 32 का हवाला दिया या आपने दिया, उसी प्रकार मैं प्रत्येक सदस्य से चाहता हूं और इस बात की व्यवस्था है नियमों में कि या तो मेरे कक्ष में आकर बताया जाय कि हम फलां प्रश्न को उठाना चाहते हैं या यह बतायें कि नियमावली के अन्दर किस नियम के अन्तर्गत है। लेकिन आज क्या है? प्रश्नों के घंटे में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं? उसमें कोई प्रश्न विचाराधीन है नहीं, सिवा प्रश्नों के। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था का नाम ले कर उठता है। यह प्रश्न आपने उठाया है। माननीय मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं?

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता था जिसको मिश्रा जी ने कहा। इसी नियम 32 के अन्त में अंतिम पंक्ति में है कि उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया जायगा। आज सम्बद्ध मंत्री पढ़ कर सुना दें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

नाम था सत्य प्रकाश मालवीय का, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं भी चुनकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो यह नहीं कि आप सदन में व्यवधान करें।

तो यह प्रश्न पहले 20 अप्रैल के लिए था । 20 अप्रैल को प्रश्नों की सूची में लिस्टेड था । वह स्थानान्तरित हो गया तो इसे आज उठाया है, तो मैं रिकार्ड देखूंगा तब मैं सदन को सूचित करूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, आप नियम 300 देखें । जो तत्काल विषय आते हैं । एक तो बराबर आते हैं, आपके संज्ञान में लाते हैं और उठाते हैं । मान्यवर, सुदामा प्रसाद जी ने उठाया, यह मेरा अधिकार है, या जब आप यहां से अपने कक्ष में आयें तब हम आपके कक्ष में उसे बतावें, यह तो किसी नियम में है नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 में स्पष्ट लिखा है कि इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । दूसरा, औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा । (श्री श्यामधर मिश्र के बोलने पर) आप टिप्पणी करते हैं । मैं कहता हूं कि किसी प्रश्न पर विचार चल रहा है । विचार में आप कहते हैं कि पुनरावृत्ति हुई है और आप कहते हैं कि आक्षेप हुआ है, परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो । तो कार्य विन्यास जैसे मान लीजिये उपाध्यक्ष का चुनाव है, यह लिस्टेड है और फिर कोई कहता है कि व्यवस्था नहीं हो रही है, फिर आगे उप नियम (1) व (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे, जो अंतिम होगा । तो इसी में आगे है कि कोई सदस्य जानकारी के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए या जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या काल्पनिक या विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेंगे । जब कोई प्रश्न विचाराधीन है तो उसमें संज्ञान की आवश्यकता नहीं आप तुरन्त ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं । जो एजेन्डा में है, यह कार्य विन्यास हुआ अन्यथा आपको मेरे संज्ञान में लाना चाहिये ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

अब मैं इसको समाप्त कर चुका हूं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं पुलिस भ्रष्टाचार के बारे में आपसे कह चुका हूं और जब देता हूं तो आप रिजेक्ट कर देते हैं । कल आपके कमरे में गया और आपसे कहा कि शून्य प्रहर में लाये । आप उसी बात को काट देते हैं । आज मैंने दिया ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो प्रश्न यहां पर उठा उसमें शासन से स्पष्टीकरण मांगे जाने का प्रश्न था, केवल औचित्य का प्रश्न नहीं था । अतः मैं आग्रह करूंगा कि आपका दायित्व है, और जिससे आप भली-भांति अवगत हैं कि आप माननीय सदस्यों की सहायता करें ताकि एक ओर तो वे नियमों का पालन कर सकें और दूसरी ओर जन प्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज भी आपके माध्यम से नियमानुसार सदन में उठा सकें और अगर शासन द्वारा कोई गल्ती हो रही है तो उसको भी बता सकें । तो आपकी सहायता, आपकी कृपा, आपकी सद्भावना सदस्यों पर बनी रहे । मान्यवर, नियमों में सभी पारंगत नहीं होते हैं लेकिन नियमों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अगर कोई स्पष्टीकरण या इंटरप्रिटेशन कराना चाहे तो आप माननीय सदस्यों की अवश्य सहायता करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । मैं आपका ध्यान नियम 290 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कभी-कभी केवल औचित्य के प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि शासन से स्पष्टीकरण के भी प्रश्न होते हैं । औचित्य के प्रश्न तो ऐसे हैं जिन पर आप ही व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन बहुत से प्रश्न भी ऐसे होते हैं जो औचित्य के प्रश्न तो नहीं होते लेकिन शासन से स्पष्टीकरण के प्रश्न होते हैं । जैसा कि नियम 290 में दिया है कि जब चर्चा के बीच स्पष्टीकरण के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें विवाद कहां है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य, झांसी, कोई औचित्य का प्रश्न न उठाकर, सरकार से यह जानना चाहते थे कि जो मंत्री आज नहीं हैं, उनके हस्ताक्षरों से प्रश्न का उत्तर दे दिया । तो इसमें क्या गलती हुयी, स्पष्टीकरण हो जाता । तो मैं समझता हूं कि इसमें तो असंगत बात नहीं है जिस पर इतना ज्यादा विवाद उठा ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 290 में सदन में बराबर परिपाटी रही है कि कोई मंत्री अपनी बात कहता है तो स्पष्टीकरण भी करता है या कोई सदस्य चाहता है तो स्पष्टीकरण भी देते हैं ।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपका इस प्रकार से खड़ा होना अनुचित है, आप कृपया बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुन लें ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

(श्री देव बहादुर सिंह के बराबर खड़े रहने और बोलने की चेष्टा करने पर)

जो माननीय देव बहादुर सिंह कहेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

अब आप बोलें जाइये, वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब तक आप अनुमति नहीं देंगे, मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह तरीका बहुत अनुचित है । मैंने कहा कि प्रश्नों का घंटा जब समाप्त हो गया, उनके स्पष्टीकरण के लिये आप मेरे कक्ष में आकर कह सकते हैं । नियम 49 में आप लिख कर देंगे, उस पर आख्या होगी तो मैं उसकी ग्राह्यता देखूंगा । लेकिन अगर प्रश्नों के समय के बाद औचित्य के प्रश्न को लेकर एक दर्जन सदस्य खड़े होते हैं तो उससे सदन के काम में मदद नहीं होती है ।

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जैसा कि कार्य सूची की आइटम 3 और 4 पर छपा है शासन ने यह निर्णय लिया था कि आज हम उपाध्यक्ष का चुनाव यहां करेंगे। मैंने अभी कुछ देर पूर्व विरोधी दलों के सभी नेताओं से विचार विमर्श किया और जैसा कि हमारा इरादा पहले था कि यह उन्हें मिले हमने आपस में बैठकर यह तय किया कि 13 तारीख को प्रातः सभी विरोधी दलों के नेता शासकीय दल के प्रतिनिधि व नेता सदन और मैं बैठकर पुनः एक बार फिर विचार करेंगे और 13 तारीख को अंतिम रूप से चुनाव कर लिया जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि 13 तारीख तक के लिये इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

यह सही है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपा करके पौने 12 बजे लाबी में आये और यह सुझाव रखा कि इस संबंध में विरोधी दल के नेताओं के बीच में नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री के बीच में परामर्श हो। श्रीमन्, इस संबंध में इसको अधिक टालने के पक्ष में तो हम बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई एक मत हो सकता हो तो उसका प्रयास करना चाहिये। और दो में कोई विशेष हानि नहीं हो जाती, इस बात को देखते हुए, अन्य विरोधी दल के नेता भी सहमत हैं, दो दिन का मामला है अगर विरोधी पक्ष को देना चाहते तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

विरोधी पक्ष की ओर से किसी को और कुछ कहना है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है उसकी सहमति हमारी भी है उसमें और ज्यादा न कहकर मैं चाहता हूं कि वह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हम लोगों से बातचीत करके रखा है, इसलिय मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार किया जाय।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव मुनासिब है उसे मान लिया जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह तो ठीक है कि इतने दिनों से परामर्श चल रहा है, तय अभी तक नहीं हो पाया इस विषय पर। क्या अब उम्मीद कर ली जाय कि 13 मई तक जो तारीख निश्चित की जा रही है उस दिन चुनाव हो जायगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ? यह बार-बार टालने की नीति के बारे में जानना चाहता था कि आज होगा या नहीं ? तो मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उस पर विरोधी दल के नेता लोग और नारायण दत्त तिवारी जी एक मत हो जाते है तब तो ठीक है वरना चुनाव करा दीजिये। टालने की कोशिश मत कीजिये कि टालते चले जाइये।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार स्पष्ट सदन को आश्वासन दिया था कि अब की बार समय किसी कीमत पर बढ़ाया नहीं जायगा। तो हमारी संस्तुति है कि आपने जो एक बार व्यवस्था दे दी है और सदन को आश्वासन दे दिया है कि आज के दिन चुनाव टाला नहीं जायगा तो उसे और न टाल कर आज ही उपाध्यक्ष का चुनाव अवश्य करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आज अपने कार्यक्रम में रखा हैं । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव इस चुनाव को 13 तक स्थगित करने का रखा है और विरोध पक्ष के सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया हैं । तो मेरी तरफ से यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि मैं स्थगित करता हूं । लेकिन यह सदन तो सक्षम है । इसलिये अगर आप नहीं चाहते है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को आप अस्वीकृत कर दीजियेगा । मैं तो आपके विचारार्थ रख रहा हूं ।

प्रश्न यह हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव 13 मई तक के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अजीत सिंह सेठी की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि आज जो 301 के अन्दर माननीय सदस्य गुलाब सेहरा ने जो वक्तव्य पढ़ा हैं वही वक्तव्य मैंने 9 तारीख को दिया और 10 तारीख को दिया । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या हम लोग जो कोई चीज दें आपको तो उसकी महत्ता कम होती है और किसी खास व्यक्ति के देने से उसकी महत्ता बनती हैं ? तो क्या हमारे लिये यही रास्ता हैं कि हम 301 के मातहत गुलाब सेहरा को लिखकर दे दिया करें ? आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा । श्रीमती बख्शी व श्री गुलाब सेहरा ने सूचनायें दी तो तुलनात्मक दृष्टि से मुझे अध्ययन करना होता है । सभी माननीय सदस्यों के तो स्वीकार करना संभव नहीं हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मेरी श्रीमन्, बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप सेठी जी, अब बैठें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । अब यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी ((जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, उसमें श्री सेठी जी का भी नाम जोड़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियम हैं नहीं ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा, ने आज माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया हैं और उसकी सूचना दी हैं। माननीय श्री वर्मा का कहना हैं कि माननीय सिंचाई मंत्री ने 10 मई, 1978 को कार्यसूची के नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर जानबूझ कर गलत दिया हैं। इसके पूर्व कि मैं इस पर अपना निर्णय दूं, मैंने इस संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री का स्पष्टीकरण मांगा हैं यदि वे इस समय सदन में स्पष्टीकरण देना चाहें तो अब दे दें, या मुझे लिख कर भेज दें, उसके बाद मैं अपना निर्णय इस पर दूंगा।

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कई बार आपकी यहां व्यवस्था हो चुकी है कि सदन में उत्तर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही दिया जाता है। अगर गलत सूचना कोई देता है तो उसके लिये सूचना देने वाले की जिम्मेदारी होती है। माननीय वर्मा जी ने जिन बातों का जवाब चाहा था उनका जवाब दिया गया है। इसके बाद जो और जवाब चाहते थे उसके लिये उत्तर में लिख दिया गया था कि "इन आदेशों के पश्चात् वर्ष 1977 में शारदा सहायक खंड 42, रायबरेली एवम् शारदा सहायक खंड 12, लखनऊ के निजी ट्रैक्टर कम्पेक्शन के कार्य पर लगाये जाने के विषय में विवरण प्राप्त किया जा रहा है।" अब या तो यह पोजीशन होती कि मैं कहता कि सूचना एकत्र की जा रही है, पर वह सदन को मान्य न होता। इसलिये जो भी सूचना हमारे पास थी वह हमने दी और जो आगे चाहते थे उसके लिये सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं। इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। जो बात आज कही जा रही है वह नयी बात कही जा रही है। जो सूचना हम एकत्र कर रहे हैं जब वह आ जायेगी तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, दिनांक 10 मई, 1978 की नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 62 के सन्दर्भ में माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया था "मुख्य अभियंता (शारदा) के पत्र दिनांक 18–12–75 द्वारा शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत कम्पेक्शन कार्य निजी ट्रैक्टरों द्वारा न कराये जाने के आदेश दिये गये थे। शासनादेश दिनांक 8–4–77 द्वारा निजी ट्रैक्टर केवल उसी कार्य पर लगाने के आदेश दिये गये जिनकी माप सम्भव हो। कम्पेक्शन का कार्य इस श्रेणी में नहीं आता। इन आदेशों के पश्चात् वर्ष 1977 में शारदा सहायक खंड 42, रायबरेली एवम् शारदा सहायक खंड 12, लखनऊ के निजी ट्रैक्टर कम्पेक्शन के कार्य पर लगाये जाने के विषय में विवरण प्राप्त किया जा रहा है।"

श्री अध्यक्ष—

मुझे सिर्फ इसी प्रश्न पर विचार करना है कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, जानबूझकर गलत बयानी की है।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि मंत्री जी ने स्वयं यह बात कही है, ट्रैक्टरों के द्वारा जिनकी माप संभव हो, वही काम कराया जायगा। 26–4–77 को अनुबंध किया जाता है कि किस अनुबंध के तहत निजी ट्रैक्टरों को वहां पर काम दिया गया। यह अनुबंध बाद में होता है जब शासनादेश था तो बाद में अनुबंध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—
देव बहादुर जी, आप बैठिये ।

आप का प्रश्न तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने जानबूझ कर झूठ बोला । आपका कहना है कि फिर इस नियम को क्यों बदला गया । तो झूठ तो बोला नहीं गया । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप यह प्रमाण दीजिए कि माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया, जान-बूझकर झूठ दिया ।

श्री राम आसरे वर्मा—
मान्यवर, जो शासनादेश जारी हुआ, वह और अनुबंध, दोनों शासन के पास थे । शासनादेश के बाद, अनुबंध किया गया तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया । इस पर परदा डाला गया । माननीय मंत्री जी इसको सदन में ला सकते थे । मैं समझता हूं कि गलत सूचना देने की मंत्री जी की नियत थी ।

श्री अध्यक्ष—
मैंने सुना है । इसमें कोई तथ्य और प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो कि माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर भ्रमित किया है । और मैं कई दफे व्यवस्था दे चुका हूं और इस पीठ से मेरे पूर्वाधिकारियों ने व्यवस्था दी है कि जो भी मंत्रिगण वक्तव्य देते हैं वह प्राप्त सूचना के आधार पर देते हैं । यदि कोई सूचना गलत होती है तो मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वह जानकारी करायें और जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उनको उचित दंड दें । इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की निर्वाचनार्थ सूची में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का भी नाम शामिल किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—
एक सूचना मुझको देनी है । कल मैंने एक घोषणा की थी जिसमें एक त्रुटि रह गयी थी ।

अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा के लिये पांच विधान सभा सदस्यों के निर्वाचनार्थ नियत समय के भीतर प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों, उनकी सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त वैध पाये गये नामांकन पत्रों के फलस्वरूप अभ्यर्थियों के नामों एवं नामों की वापसी तथा मतदान संबंधी सूचना कल दिनांक 10 मई, 1978 को सदन को दी गयी थी ।

इस विश्वविद्यालय की सभा के लिये श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा का एक वैध नाम निर्देशन-पत्र भी नामांकन-पत्रों की प्राप्ति के लिये निर्धारित तिथि तथा समय के भीतर प्राप्त हो गया था किन्तु उसके अन्य कागजात में मिल जाने के कारण, श्री तिवारी का नाम उक्त सभा के लिये अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित करने से रह गया था, जिसके लिये खेद है । श्री तिवारी का नाम अब उक्त सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ।

"उत्तर प्रदेश लाटरी के 70 वें ड्रा में जाली टिकट पर 17 लाख रुपये का भुगतान" के संबंध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—
मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के पिछले किसी भी ड्रा में जाली टिकट पर 17 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है । वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि उ0 प्र0 राज्य लाटरी के 70 वें ड्रा में जो दिनांक 17-9-77 को मेरठ में सम्पन्न हुआ था बिके हुए लाटरी टिकट

संख्या पी पी–499590 पर 17 लाख रुपये का बम्पर पुरस्कार घोषित किया गया था। इसी नम्बर का एक टिकट श्री एस0 सुन्दराजन, सलेम (तामिल नाडु) ने बैंक के माध्यम से लाटरी निदेशालय को भेजते हुए इस प्रकार 17 लाख रुपये के पुरस्कार की मांग की थी। लाटरी निदेशालय ने अपने स्तर पर जांच करने पर यह पाया कि इस टिकट के नम्बरों में कुछ हेरा-फेरी की गई है और टिकट को विस्तृत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0 प्र0, लखनऊ को भेज दिया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि श्री सुन्दराजन द्वारा प्रस्तुत टिकट संख्या पी पी 499590 में प्रथम अंक 4 के बाद सभी में हेरा-फेरी करके इन्हें बदला गया है। लाटरी निदेशालय द्वारा दिनांक 18–4–78 को थाना इन्चार्ज हजरतगंज, लखनऊ को एक पत्र भेजते हुए श्री एस0 सुन्दराजन के विरुद्ध जालसाजी तथा धोखाधड़ी का प्रयास करने के अभियोग में एक रिपोर्ट दर्ज करने को लिखा गया क्योंकि श्री सुन्दराजन ने हेरा-फेरी किये गये टिकट पर 17 लाख रुपये प्राप्त करने की कोशिश की थी।

खेद का विषय है कि उक्त घटना को समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी ने गलत रूप से यह प्रकाशित तथा प्रसारित कर दिया कि जाली टिकट पर 17 लाख का भुगतान किया गया है। लाटरी निदेशालय द्वारा बाद में इस गलत समाचार का खण्डन समाचार पत्रों पायनियर दिनांक 23–4–78 तथा टाइम्स आफ इंडिया दिनांक 24–4–78 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा आकाशवाणी द्वारा दिनांक 25–4–78 को रात्रि 8.45 की न्यूज बुलेटिन में प्रसारित कराया जा चुका है। जसा कि ऊपर कहा जा चुका है श्री सुन्दराजन द्वारा प्रस्तुत किया गया टिकट जाली नहीं था, टिकट सही था किन्तु उसके नम्बरों में हेरा-फेरी की गयी थी।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, 1978†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978†

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 11 मई, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काली चरण—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री रियासत हुसैन से प्राप्त हुआ है कि जिला बांदा के पाढ़ा क्षेत्र के 250 ग्रामों में पानी के अभाव के कारण जनता में व्यापक असंतोष है। इसमें न तो यह स्पष्ट है कि वहां पानी की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा है या जल निगम द्वारा है और स्वायत्त सेवी संस्थाओं के प्रति इस तरह का प्रस्ताव नहीं आता है। इसलिये मैंने इसे अस्वीकृत किया है।

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 46—कृषि, अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या 50—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या 51—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—कृषि

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,25,32,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,50,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले अनुदान संख्या 50—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,61,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,48,54,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,07,75,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,95,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष जी, गत वर्ष जब जनता सरकार द्वारा कृषि का प्रथम बजट पेश किया था इस माननीय सदन के सामने तो कृषि की कुछ नई योजनायें, नीतियों की घोषणा की गई थी। उस नवीन कृषि नीति के कुछ आधारभूत सूत्र थे। जिनमें से एक यह था कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जाये।

दूसरा यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर कृषि का जो भार है, उसको कम किया जाये और रोजगार के नये साधन जुटाये जायें।

तीसरा सूत्र था जो उत्पादन कृषक करते हैं, उनका लाभप्रद मूल्य उन्हें मिले। इस के लिये आवश्यक प्रयत्न किये जायें।

चौथा यह था कि जो लेटेस्ट टेक्नालोजी और वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनका प्रचार और प्रसार किसानों तक पहुंचाया जाये तथा कमजोर किसानों को महत्व दिया जाये। श्रीमन्, इन तमाम सूत्रों के आधार पर जनता सरकार ने कुछ कार्य किये हैं।

सबसे पहला काम जो किया, वह यह था कि हमने उर्वरकों के मूल्यों में 20 प्रतिशत की कमी की, जिसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष के मुकाबले उर्वरकों की खपत जो थी, उसने एक रिकार्ड कायम किया 8.60 लाख मैट्रिक टन तत्व के रूप में किसानों ने खादों को इस प्रदेश में खरीदा और उसका इस्तेमाल किया। श्रीमन्, इसके साथ-साथ आप यह देखेंगे कि विगत खरीद में इन्हीं सब साधनों की वजह से सरकार की नीतियों के कारण खरीफ उत्पादन 77 लाख मैट्रिक टन की बनिस्बत 78.60 लाख मैट्रिक टन हुआ। एक नया कीर्तिमान इस प्रदेश ने स्थापित किया धान के क्षेत्र में 51.40 लाख मैट्रिक टन का। इसी तरह से रबी में हमारा अनुमान है कि 128 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन कर सकेंगे। इसी तरह से जो लक्ष्य 77–78 के लिए 215 लाख मैट्रिक टन का था उसमें निश्चित तौर से कुछ कमी हुई लेकिन उसके कुछ कारण थे। श्रीमन्, गत वर्ष 31 जिलों में भयंकर बाढ़ तथा 8 जनपदों में सूखा का भयंकर प्रकोप इस प्रदेश में हुआ। इसके साथ-साथ श्रीमन्, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि फरवरी और मार्च में जब कि फसलें तैयार थीं, उस समय जो सीजन था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जो वर्षा के दिन नहीं थे उसमें वर्षा हुई, तो इस अनिश्चित सीजन की वजह से हमारे उत्पादन में कमी आयी। बहुत से क्षेत्रों में काफी किसानों को हानि उठानी पड़ी। श्रीमन्, यह जो कमी हमारे उत्पादन में हुई उसका मुख्य कारण अनिश्चित मौसम रहा, उसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर पड़ा।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

श्रीमन्, जो 31 जनपदों में भयंकर बाढ़ तथा 8 जनपदों में सूखा का जिक्र किया उससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसके लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक एकड़ तक के जो किसान थे, हमने रबी में उनको मुफ्त खाद तथा बीज का वितरण किया। श्रीमन्, उसी तरह से तिलहन के क्षेत्र में, सभी माननीय सदस्य जानते है, इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में पिछले दिनों तिलहन का उत्पादन काफी कम हुआ है। इस सरकार ने यह कोशिश कम की कि उस कमी को पूरा करने के लिये भरसक प्रयास किया जाय। उसी परिपेक्ष में कुछ किसानों को इनीशिएटिव देने की वजह से 30 रुपया प्रति हेक्टेयर का अनुदान, कृषि पर छिड़काव आदि के लिये, माहू से बचने के लिये, कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने का प्राविधान किया गया। उसी संदर्भ में प्रथम बार इस प्रदेश में इटावा जनपद में हवाई जहाज से इस दवा का छिड़काव कराया गया। गत वर्ष तिलहन का उत्पादन 16 लाख मैट्रिक टन था और हम आशा करते है कि इस साल का इसका उत्पादन 20 लाख मैट्रिक टन होगा। श्रीमन्, इन्हीं योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसार हमारा ऐसा विश्वास है कि हम आशा करते हैं कि इस वर्ष का उत्पादन 23 लाख मैट्रिक टन करने का विचार है। श्रीमन्, इसी तरह से दालों के अन्दर भी इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी कमी आयी है और सभी माननीय सदस्य जानते है दालों में बहुत तेजी रही, उसी कमी को पूरा करने के लिये पिछली बार भी कुछ प्रयास किये गये। लेकिन उसके बनिस्बत में, इस बार हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर मूंग की खेती का प्रोग्राम बनाया है। श्रीमन्, हम कोशिश कर रहे है, बल्कि मूंग तो बोई जा चुकी है। 3 लाख हेक्टेयर के अन्दर इस साल हमारा मूंग बोने का प्रोग्राम रहा है। काफी कामयाबी हो रही है। श्रीमन्, मुझे सदन में यह बताते हुये खुशी है कि यह प्रोग्राम इतना अधिक कामयाब हुआ कि इस प्रदेश के अन्दर मूंग के बीज की किसानों में इतनी मांग थी कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे कहीं अधिक मांग हमारे किसानों के अन्दर जाग्रत हुई और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी आवश्यकता थी, उतनी, जो मांग किसानों से आई हम उसकी पूर्ति भी नहीं कर सके, क्योंकि जो हमारी योजना थी, हमारा जो प्लान था, हमारी जो सम्भावना थी, उससे कहीं अधिक मांग किसानों के अन्दर जाग्रत हुई मूंग के बीजे के लिये। तो मैं आशा करता हूं कि इससे दाल की कीमत में कमी होगी हमारा उत्पादन बढ़ जायेगा। इसलिये 10 रुपया प्रति हेक्टियर के हिसाब से अनुदान शासन ने स्वीकृत किया है जो खाद इसके लिये आवश्यक है, उसके लिये और उसको किसानों में वितरित किया गया है।

श्रीमन्, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो रसायनिक चीज उसके लिये आवश्यक है उसको हमने कुछ जनपदों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराया है। यह योजना हमें केन्द्र से मिली है, वह करीब 16 जिलों के लिये है। यह योजना किसानों को मदद पहुंचायेगी। रसायनिक खाद भी हम पहुंचा रहे हैं कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से। जो हमारे एग्रो, कृषि विभाग और विकास निगम हैं, इनके द्वारा सेवा केन्द्रों से कम कीमत पर हमने ट्रैक्टर इत्यादि उनको उपलब्ध कराये है तथा किसानों को कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराये हैं। श्रीमन्, ऊसर सुधार की दिशा में भी गत वर्ष इस शासन ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों को उत्साहित करने के लिहाज से 50 से 75 प्रतिशत जिप्सम और पाइराइट के लिये अनुदान दिया। उसका अच्छा असर किसानों में हो रहा है, उसकी मांग काफी बढ़ी है।

(इस समय 1 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

जैसा मैंने कहा, जो मूलभूत हमारा सिद्धान्त था, उसको दृष्टिगत रखते हुये सभी माननीय सदस्य जानते है कि किसानों को, जो उनका उत्पादन है, उसका लाभप्रद मूल्य भी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। उसी दृष्टिकोण से इस बार सरसों, तिलहन की कीमत 225 रुपया सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने निश्चित की है।

गेहूं की कीमत 110 रुपया से बढ़ा कर 112.50 रु0 प्रति क्विन्टल निश्चित किया गया। 125 रुपया चने की कीमत निर्धारित की गई है। सोयाबीन की कीमत 165 रुपया प्रति क्विन्टल निर्धारित की गई है। जैसा मैंने कहा तिलहन किस्मों के बारे में, हमारे प्रदेश में सोयाबीन पहाड़ी क्षेत्रों और बुन्देलखंड में बहुत बड़ी मात्रा में बोया जाता है और इसका उत्पादन लोकप्रिय होता जा रहा है। श्रीमन्, मुझे यह कहते हुये खुशी है कि विदेशी सरकार भी हमारे यहां से सोया बीन खरीदने के लिये लालायित है एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास पेंडिंग है योगोस्लाविया की सरकार हमारे यहां से सोयाबीन खरीदना चाहती है करीब 3 लाख टन प्रति वर्ष। वह काफी इनसेन्टिव भी देना चाहती है। इसी दृष्टिकोण से कि हमारे किसानों को अच्छी कीमत मिल सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, हम यह कोशिश कर रहे हैं और यह हमारा प्रयास होगा कि हम तराई के एरिया में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में एवं बुन्देलखंड में जहां पर सोयाबीन काफी कामयाब हुआ है। हम उसकी खेती को इनटेन्सिव कल्टीवेशन के रूप में परिणित कर उससे और अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य 6 लाख टन का है लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि एक दम 6 लाख टन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है किन्तु हम आशा करते हैं कि आने वाले दो तीन वर्षों में इस लक्ष्य को निश्चित तौर पर पूरा करने में हम सफल हो सकेंगे।

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा उर्वरकों के इस्तेमाल से किसानों में जागृति आई है और स वर्ष हमने एक कीर्तिमान भी फर्टीलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन में हासिल किया है। श्रीमन्, इसी सिलसिले में यह भी नितांत आवश्यक है कि फर्टीलाइजर का इस्तेमाल सन्तुलित रूप से किसानों द्वारा होना चाहिये और यह तभी हो सकता है कि जब भूमि का परीक्षण समय–समय पर किसान कराते रहें। श्रीमन् उसी विचार से हमारे प्रदेश में 51 प्रयोगशालायें हैं, दस सचल प्रयोगशालायें है, एक आइ0 इ0 एल0 की सचल प्रयोगशाला है जो इस कार्य में लगे है तथा एक एफ0 सी0 आई0 की प्रयोगशाला, मृदा प्रयोगशालायें इस प्रदेश में कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष जो हमारा लक्ष्य था वह सात लाख नमूने का था उसके मुकाबले 8 लाख 61 हजार नमूनों का परीक्षण किया गया। यह ठीक है कि इतने परीक्षण के बावजूद भी यह औसत करीब 18 प्रतिशत पड़ता है जो बहुत कम है और हमें इस दिशा में काफी प्रयास करने हैं ताकि इस 18 प्रतिशत की संख्या को बढ़ा सकें। इसी के साथ-साथ यह भी देखने में आया कि जो किसान परीक्षण करते भी हैं वह इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। परीक्षण के आधार पर मुझे यह सूचना मिली है कि सिर्फ 12 प्रतिशत किसान हैं जो परीक्षण किये हुये विश्लेषण से लाभ उठा सके हैं। हमें इस दिशा में काफी प्रयास करने हैं। यह सिर्फ खाद डालने से ही संभव नहीं होगा कि उत्पादन बढ़े बल्कि तभी संभव होगा जब कि खाद की उचित मात्रा का इस्तेमाल किया जाय। हम इस साल 20 जिलों में ऐसा परीक्षण करने जा रहे हैं। इन में तीन चीजों फासफेट, पोटास, नाइट्रोजन की जरूरत है, का ही विश्लेषण होता है। जो हम इनटेन्सिव परीक्षण करने जा रहे हैं उसमें सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करने का भी शासन का इरादा है क्योंकि जमीन के अन्दर जिंक, आइरन तथा मैगनीज आदि बहुत से तत्व होते हैं जिनसे कभी कभी फसल को नुकसान होता है। इसी विचार से इन प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया और यह प्रयास किया जा रहा है कि सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण इन प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाय और किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें तथा जो संचालित उर्वरक का प्रयोग होना चाहिये वह हमारे प्रदेश के अन्दर हो सके।

जैसे कि मृदा के लिए परिक्षण कार्यक्रम हमने किया है, उर्वरक के मामले में भी शासन की यह नीति रही कि किसानों को जो फर्टीलाइजर मिले वह अच्छी क्वालिटी का हो, मिक्स न हो,

[श्री राजेन्द्र सिंह]

उनको स्टैन्डर्ड फर्टिलाइजर मिले। इस शासन ने प्रथम बार श्रीमन् कौशिग को विभिन्न अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार थे वहां कारखानों में मिक्सचर बनते है उनके सैम्पिल्स लिये। 976 छापे मारे गये। 1500 नमूने एकत्रित किये और उनका विश्लेषण करवाया और उन्हीं के आधार पर 4 मशहूर फर्मों को जो कि किसानों को लूट कर रही थी, बन्द कर दिया। इनमें बना हुआ खाद निम्न स्तर का होता था। जो एन्टी केक बनायी जा रही थी प्रदेश में उसको भी बन्द कर दिया। उसका किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचता था और वह एक तरह से फ्राड था। किसानों को निम्न स्तर का खाद न दिया जाय इसलिए उसका उत्पादन और वितरण प्रदेश में बन्द कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरठ के अन्दर बागपत, हापुड़ और अमीनगर के अन्दर छापे मारे गये और गलत किस्म का मिक्स्चर बनाते हुए लोग पकड़े गये। उनके खिलाफ केसेज इंस्टीट्यूट कर दिये गये ह। वह वगैर लाइसेन्स के खाद बना रहे थे। इसी तरह से बस्ती में 45 बोरे नकली खाद के पकड़े गये। लखनऊ में गोसाईगंज और इलाहाबाद में भी नकली खाद पकड़ा गया।

श्रीमन्, हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। प्रदेश के अन्दर जो जमीन है अन्डर प्लान वह 172. कुछ हैक्टेयर भूमि है जिस पर खेती होती है। इसी तरह से हमारे प्रदेश में 12.13 लाख हैक्टेयर ऊसर जमीन है। तीसरी कटेगरी कल्चरेबुल वेस्ट लैण्ड की है। ऐसी जमीन जिस पर खेती हो सकती है लेकिन अभी वेस्ट है वह 14.93 लाख हैक्टेयर है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये और किसानों की आर्थिक स्थिति को और बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक रास्ता यह भी है कि वह जमीन जिस पर खेती की जा सकती है उसको कृषि के योग्य बनाया जाय। इसी विचार धारा से एक लैण्ड रिक्लेमेशन कारपोरेशन, भूमि सुधार निगम की स्थापना की गयी है जिसकी पूंजी एक करोड़ रुपया है। इसके माध्यम से हम उन जमीनों को ऊसर या रेवाइन्स है रिक्लेम करेंगे। इसके लिए प्रथम वर्ष में 2,500 हैक्टेयर ऊसर तथा 1 हजार हैक्टेयर रैवाइन ले रहे हैं। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था एक भूमि सेना इसी कार्य के लिये बनायी जायगी। यह निगम पांच छः हजार व्यक्तियों को भर्ती करेगा। कुछ लेबर फावड़े का काम करेगा। उनको कंट्रोल करने के लिये कृषि विशेषज्ञ होंगे। निगम उनको पूरा वेतन देगा। यह प्रक्रिया तीन साल तक चलती रहेगी। अनुमान है कि 5 हजार रुपया प्रति हैक्टेयर की लागत उसको रिक्लेम करने में आयेगी। लेकिन यह करना नितान्त आवश्यक भी है। पूरा इनफ्रास्ट्रचर उस जमीन पर निगम लगायेगा। उसके अपने ट्रैक्टर्स होंगे, अपने ट्यूबवेल्स होंगे। मजदूरों को लाने के लिये पूरा प्रबन्ध करेंगे। जितने मजदूर होंगे, वे भूमिहीन मजदूर होंगे जो खेती का कार्य करते हैं। यह उसकी क्वालीफिकेशन होगी। इस तरह से तीन साल बाद जब खेती के योग्य जमीन हो जायेगी और उसमें इकोनामिक प्रोडक्शन हो सकेगा, जैसा कि हम आशा करते हैं, तो उस तीन साल के बाद यह जमीन उन्हीं लोगों को जिन्होंने कि इसको रिक्लेम किया है, वितरित की जायेगी और जो खर्च कारपोरेशन का उसको रिक्लेम करने में आया है, आसान किस्तों में उनसे वसूल किया जायेगा। वह फिर उसकी हो जायेगी जिसने कि उसको तोड़ा है, जोता है, और कार्य किया है। तो पहली बार इस तरह का कदम जो उठाया गया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा कदम शासन का होगा। हम उन जमीनों को जो आज बेकार पड़ी हुयी हैं, जिन पर कृषि सम्भव नहीं है, उन हरिजन भाइयों को दे सकेंगे जिनको अभी ऊसर पल्लर भूमि दी गयी है। उनके लिये हमारी नीति यह होगी कि हम उनको जो खेती में काम करने वाले मजदूर हरिजन हैं, वह जमीन देंगे जो वास्तव में खेती के योग्य है और जिस पर खेती हो सकती है और जिस पर तीन साल निगम स्वयं खेती करके निश्चित कर लेगा कि यह खेती के योग्य हो गयी है ताकि वे अपनी जीविका का साधन अर्जित कर सके। तो मान्यवर, यह बहुत बड़ा स्टेप है।

इसी तरह से रेवाइन्स के अन्दर योजना है। एक से तीन मिलीमीटर के पैचेज में सिट्रेस के बागात लगाने की योजना है। नीबू और नारंगी, मान्यवर, इस प्रदेश के बाहर से आते हैं। इससे हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये हमें मौका मिलेगा। इससे उस क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सिट्रेस की बहुत बड़ी मांग है। यह दक्षिणी भारत से आता है। काफी महंगा भी यह पड़ता है। यह यहां कामयाब भी होगा। इसमें एक्सपेरीमेंट भी कर लिया है। तो इस तरह से यह विचार है कि इस निगम के माध्यम से हम बहुत बड़े बागात बहुत बड़े एरिया में, क्योंकि वे वहां कामयाब हो सकते हैं, लगायें जायं और वह हो सकता है। वह भूमि उनके लिये उपयुक्त है। खेती से ज्यादा आमदनी सिट्रेस दे सकेंगे। इस तरह बागात लगाकर उसको उद्यान विभाग को हस्तान्तरित कर देंगे। मान्यवर, अभी इस बारे में तो निश्चय नहीं हो सका कि क्या शासन उन बागात को मजदूरों को देना चाहेगा कि नहीं क्योंकि अभी जल्दी-जल्दी में यह चीज हुयी है। भूमि के बारे में तो तय कर चुके हैं लेकिन जहां तक बागात का सवाल है, वे हैं। जब वे फलने के करीब आ जायेंगे तो हार्टीकल्चर विभाग को हस्तान्तरित कर देंगे। तो, मान्यवर, यह बहुत बड़ी चीज है। इससे न केवल हमारे प्रदेश के गरीब किसानों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी।

श्रीमन्, जैसा कि कहा गया है, खेती के लिये अधिक उत्पादन के लिये सिर्फ अधिक खाद का होना या सही खाद का होना ही जरूरी नहीं। मान्यवर, उसके लिये अच्छे बीज, सार्टीफाइड सीड, उन्नत किस्म के बीजों का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि मैंने पिछले बजट भाषण के समय सदन को आश्वस्त किया था, इस साल हम सीड कारपोरेशन का निर्माण कर देंगे तो सीड कारपोरेशन का निर्माण, मान्यवर, कर दिया गया है। उसमें वाशिंगटन से वर्ल्ड बैंक से खाली कनसेंट आना बाकी है। देश के पांच स्टेटस के प्रोजेक्टस इस समय वर्ल्ड बैंक के सामने पेंडिंग है। उसमें से इस प्रदेश का भी है। उसमें अभी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि भारत सरकार एक टीम वाशिंगटन को भेजने वाली है। और हमें उम्मीद है कि फार्मल सैंक्शन कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जायगी। पिछली दफा मैंने अच्छे किस्म का बीज उगाने के लिये सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुदृढ़ीकरण की बात कही थी और उस दृष्टि से हमने उसका सुदृढ़ीकरण भी किया। पिछली खरीफ में हमने 398.01 हेक्टेयर जमीन में आधारित बीज का प्रमाणीकरण किया और 6783.20 हैक्टेयर में प्रमाणित बीजों का प्रमाणीकरण किया गया। रबी 77.—78 में इस बीज प्रमाणी संस्था ने 2018.88 हैक्टर में फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन किया और 18743.21 हैक्टर में प्रमाणित बीज का सर्टिफिकेशन किया। इस तरह से इस एजेंसी ने 76—77 की तुलना में 72.20 प्रतिशत अधिक एरिया का सर्टिफिकेशन किया। यह मैंने कृषि निदेशालय के सम्बन्ध में कहा।

इसके साथ हमारा उद्यान निदेशालय भी है। मुझे खुशी है इस सदन को अवगत कराते हुए कि गत वर्ष आल इंडिया कम्पीटीशन में हमारे प्रदेश के एक किसान भाई का सेव उद्यान में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और आम के क्षेत्र में द्वितीय उद्यान पंडित का पुरस्कार इस प्रदेश के किसान भाई को मिला। इस तरह से हमने उद्यान में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष हमारा अन्दाज है कि 33 लाख मीटरिक टन से अधिक आलू का उत्पादन हमने किया है। आलू की बढ़ी हुई मांग को देखते हुये हमने गत वर्ष तीन नये-नये परिक्षेत्रों में आलू के बीज का उत्पादन कार्य शुरू किया और आलू की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इसके लिये करीब साढ़े 6 लाख टन सर्टिफाइड सीड की आवश्यकता हमारे प्रदेश के किसानों को होती है जबकि अभी तक उद्यान विभाग करीब 40 हजार क्विन्टल फाऊंडेशन सीड को पैदा कर सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में काफी प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिये हम नये परिक्षेत्र इस दिशा में ला रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको संक्षेप में बोलना है। फिर जबाव भी आपको देना है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

एक योजना और है उद्यान के सम्बन्ध में। वह यह कि लखनऊ के आस-पास दशहरी आम के बागात हैं जिनसे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। उस एरिया में कुछ भट्ठे हैं जिनसे आमों को काफी हानि पहुंचती है। हमारा विचार है एक कानून बनाने का और उसे बेल्ट डिक्लेयर करने का ताकि हम वहां उनको प्रोटेक्शन दे सकें बीमारियों से, भट्ठों से ताकि वहां के रहने वाले किसानों की और अधिक सुविधायें जो आवश्यक हैं आमों के उत्पादन के लिये हम उनको दे सकें। गाजियाबाद में एक नया प्रोजेक्ट लिया है। दिल्ली में साग सब्जी की बहुत मांग है। यह हमारा प्रयास है कि दिल्ली के आस पास गाजियाबाद, मेरठ और बुलन्द-शहर की जनपदों में हम अधिक से अधिक छोटे किसानों से साग सब्जी का उत्पादन करायें और उसके लिये विभाग रोग रहित बीज, पेस्टिसाइड्स तथा फर्टिलाइजर एक चौथाई तथा एक तिहाई अनुदान के रूप में उनको दें जिससे साग सब्जी का प्रोडक्शन बढ़ सके ताकि हम दिल्ली को अधिक से अधिक ग्रीन वेजीटेबुल सप्लाई कर सकें श्रीमन्, इस के दो फायदे हैं। एक तो हम इससे दिल्ली के मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे और दूसरा लाभ यह होगा कि हमारे किसान भाइयों को शाक-सब्जियां सप्लाई करके काफी पैसा मिल जायेगा। शाक-सब्जी में काफी पैसा मिल जाता है इसलिये इससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी।

शीतगृहों की बात यहां पर कही गई थी कि जितना उत्पादन हम करते हैं उसको देखते हुये हमारे यहां शीतगृहों की कमी है। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुये हमने निश्चय किया है कि अब तक जो इंशुलेशन में काफी खर्चा होता था उसमें हमने भूसी जो होती है उसके इंशुलेशन के लिये लोगों को परमिट कर दिया है। इससे काफी लोग आगे आयेंगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी फायदा होगा। श्रीमन्क्षेत्रीय विकास एक विभाग है जो विकास कार्यक्रमों को देखता है। उसके तीन कमान्ड एरियाज हैं जैसे एक एस० एफ० डी० ए० है, इसी तरह की और भी योजनायें हैं। एक विशेष योजना भारत सरकार हमें दे रही है—इंटेन्सिव रूरल डेवलपमेंट—जिसमें यह है कि हमारे जितने ब्लाक्स हैं उसका 40 प्रतिशत वे कवर करेंगे। इस प्रकार हमारे 874 ब्लाक्स में से 350 ब्लाक्स इस इस स्कीम के अन्तर्गत आ जायेंगे। उससे यह फायदा होगा कि 5 लाख रुपया फी ब्लाक के हिसाब से वे हमें देंगे जिसे हमारे ब्लाक्स को काफी फायदा हो जायेगा।

श्रीमन्, अब मैं ऐग्रो पर आता हूं। पिछले दिनों कुछ माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया था और नाराजगी जाहिर की थी कि मैं क्यों ऐग्रो का चेयरमैन बना दिया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ कि किसी कृषि मंत्री को ऐग्रो का चेयरमैन बना दिया गया हो। इससे पूर्व भी कई माननीय कृषि मंत्री इस निगम के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह सब जानते हैं कि जैसी उसकी हालत है, उससे उसकी साख गिर चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में 3/4 मिसालें देना चाहता हूं कि किस स्थिति में यह निगम हमको मिला था और उसके सुधार में कितना समय लगेगा। जो अधिकारी वहां थे उन्होंने इस निगम को परसनल बेनिफिट्स के लिये कितना मिस-मैनेज किया। इसकी भी एक हिस्टरी इस प्रदेश के अन्दर है। मैंगो जूस बम्बई भेजा गया। 10 लाख का डेमरेज देना पड़ा है। 12 लाख का मैंगो जूस वहां बाहर पड़ा हुआ है। और एक लाख का फैक्टरी में है।

वह अच्छे दामों पर जाता किन्तु न बेचने की वजह से कितना नुकसान हमको हुआ। इसके अतिरिक्त कायमगंज में मटर प्रोसेसिंग की फैक्टरी है जहां डिब्बों में इसे भरा जाता है। 5 लाख का मटर वहां पर खराब हो गया। काशीपुर में एक कोल्ड स्टोरेज बनाया है। उसमें भी काफी खामियां पायी गई। वह आडिट रिपोर्ट में आयेगा इसलिये उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। पिछले शासन के समय में जब पिछली सरकार जा रही थी तो ऐग्रो की एक परचेजिंग कमेटी थी जिसमें उस समय के कुछ माननीय सदस्य थे। जब यह देखा कि सरकार जा रही है और सत्ता छिनने वाली है तो मई 1977 में कुछ परचेजेज फैक्टरी के लिये किये गये। श्रीमन, वहां पर जो परचेचेज की गई वह तीन फर्मो से की गई। एक उदाहरण है कि चूनी परचेज होनी थी उसमें अरहर की चूनी परचेज हुई जब कि मौठ की चूनी आनी थी इसमें को निगम करीब 83 हजार रु0का घाटा हुआ। इसी तरह से फिस मील की कोई आवश्यकता नहीं थी वह स्टाक में मौजुद था लेकिन फिर भी कमेटी ने फिशमील खरीदना पसंद किया। जों उसके प्रिवलेंट रेट थे 210 रु0 पर क्विन्टल थे लेकिन तीन सौ रु0 पर क्विन्टल के हिसाब से फिशमील खरींदा गया। इससे निगम को 48 हजार रु0 की हानि हुई। जो फिशमील खरीदा गया उस की एनेलिसिस हमने कराई और वह खराब और दुषित हो चूका है। इस तरह से ढेड़ लाख को और हानि होगी। इस तरह की और भी चीजें है।

एक हमारी फैक्टरी है जो केटल फीड बनाती है उसे सालाना वेरीफिकेशन स्टाक का नहीं कराया गया उसमें 93 हजार रु0की शार्टेज स्टोर मे पाई गई है। एफ0 आई आर0 लोज करा दिया गया है। जो संबंधित व्यक्ति थे उनको सस्पेंड किर दिया गया है और कार्यवाही होगी।

श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि निगम को पिछले वर्ष करीब एक करोड़ 20 हजार रु0 की हानि है और पिछले चार सालों से वह हानि दे रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो मिसमैनेजमेंन्ट हैं, दूसरे-वहां पर कई और चीजें हैं। डेलीवेजेज पर लोग 1971 से चल रहे हैं कोई पोस्ट नहीं है उनको डेलीवेजेज के नाम पर पेमेंट हो रहा है। जगह नहीं है लेकित लोग रखे जा रहे हैं। इस तरह की कई शिकायतें हैं।

जिस स्थिति में निगम हमको मिला है उसमें मैं माननीय सदन को आश्वस्थत कर सकता हूं कि हम पूरा प्र यास करेंगे कि निगम में घाटे की परिपाटी समाप्त करेंगे। जब हम इस परिपाटी को समाप्त करेंगे तभी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसको जानकारी काफी पत्रों के द्वारा होगी कि जो दोषी पाये जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। कई लोग जा चुके हैं, कुछ निकाले जा रहे हैं, कुछ इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ से हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो वर्ना निकालना पड़ेगा। तो कोई कसर निगम को प्राफिट में लाने में हम नहीं छोड़ेंगे।

दूसरा श्रीमन्, मेरे चेयरमैन बनने से दो लाख रुपए पर इयर की सेविंग होगी। यह अलग बात है यह कोई मैटीरियल फैक्टर नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब परम्परा पहले से बनी है तो ठीक है। किसी व्यक्ति ने कह दिया होगा। आपके चेयरमैन बनमें में क्या बुराई है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय सदन की मेरे साथ कृपा है, मुझे उनकी दुवाई हासिल है मैं इतना कह सकता हूं कि मैं निगम को सही करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। यही चीज मुझे कहनी थी। मैंने अधिक समय लिया अब मैं समाप्त कर ता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 96 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। इन सब अनुदानों में कटौती का प्रस्ताव रखने का मुख्य उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना अनुदान प्रस्तुत किया और दो तीन मुख्य बातें बतायीं। उसमें उन्होंने यह बात कही कि यह सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि किसान को जो उसका उत्पादन है उसका उचित मूल्य मिले और मान्यवर, इसको हम कसौटी पर देखें तो इस सरकार ने क्या किया, यह हमारे सामने है। इनका खुद ही कृषि मूल्य आयोग है उस के पास इन्होंने लिख कर भेजा कि गेहूं के उत्पादन पर प्रति क्विन्टल जो लागत आती है वह 113 रु0 प्रति क्विन्टल आती है। मूल्य निर्धारित हुआ 112.50 रुपया इनके हिसाब से 50 पैसे कम मूल्य निर्धारित हुआ जो लागत है उससे। दूसरी बात बताऊं। गांव का किसान गन्ने की खेती करता है। आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस देश और प्रदेश में बहुत जमाने से कृषि का कार्य सबसे अच्छा कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ? अब लोग सोचने लगे हैं कि खेती करें या न करें। ऐसी एक समस्या सामने हो गयी है। ऐसा लगता है कि कृषि मूर्खस्य जीवनम्, जो मूर्ख है वही खेती करता है। यदि खेती करने वाले को उसकी पैदावार का उचित मूल्य न मिले तो वह क्या सोचेगा? जो परफारमेंस बजट है 16 अप्रैल का जिसे आपने दिया है, आपने उसमें यह भी देखा है कि कितनी पैदावार इस प्रदेश में हुई। 1950-51 में इस प्रदेश में 117.75 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। 1970-71 में यह 194.67 लाख हो गया। दस साल में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1976-77 में 195.24 लाख टन हुआ। कितनी वृद्धि हुई? हरित क्रान्ति का जमाना था और बढ़ते-बढ़ते 1977-78 में 215 लाख का लक्ष्य आपने बनाया उसने उपलब्धि हुई है 206.70 लाख टन की। यह किस हिसाब से जोड़ा आपने। आप दखिए 1976 का उत्पादन, फिर देखिए कि 1977-78 का लक्ष्य और उत्पादन क्या था। 1978 में गेहूं किसान का कट रहा है। उत्पादन लिख दिया गया 90 लाख टन गहूं का हो गया। यह परफार्मेन्स बजट 15 अप्रैल का बना हुआ है। इसमें उत्पादन लिख दिया गया 206.70 लाख टन। खरीफ की बात मैं मान सकता हूं। लेकिन रबी के सम्बन्ध में कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गये? (व्यवधान) संभावित नहीं है। उत्पादन लिखा है। लक्ष्य और

उत्पादन लिखा है। सम्भावित लिखते तो मैं मान लेता। इतना फरेब, भ्रम। सही बात कहनी चाहिए। यह लिखते कि सम्भावना इस बात की है। पूरे प्रदेश और पूरे सदन को भ्रमित करने के लिए यह स्टेटमेंट कैसे रख दिया ? यह नहीं रखना चाहिये।

मैं मान्यवर, आगे की बात बताता हूं। जो आपका 1978–79 का लक्ष्य है उसको भी आप देख लें। इसमें आपने फिर जो लक्ष्य रखा है वह 215 लाख टन का रखा है आप उसका प्रबन्ध कैसे करेंगे इसके लिये कहा गया कि खाद भूमि संरक्षण आदि पर बल दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, एक चीज जो बहुत ही महत्व रखती है उसको यह भूल गये और वह है बीज। इसको कैसे भूल गये ? जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है उसके लिये बीज बहुत ही आवश्यक है। लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें अच्छे बीज को उपलब्ध कराना होगा लेकिन आपने किया क्या है। आपने यह किया है कि 77–78 में 70.7 लाख हेक्टर अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विस्तार किया है और इसके लिये गुणात्मक बीज 1.40 लाख टन वितरित किया। अगर आप 51.78 लाख टन बीज किसानों को दे देते तो उत्पादन और बढ़ता। जितना बीज देना चाहिये था उतना आपने नही दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन इतना अधिक सिंचाई से हुआ, खाद से हुआ। इतना अधिक उत्पादन एक मात्र अच्छे बीज के कारण हुआ। वही एक मात्र कारण है कि कृषि में क्रान्ति हुई। डाक्टर बोर लोग मार्च, 1963 में भारत आए और उन्होंने अनेक गेहूं के किस्मों को जन्म दिया। मैं क्सिकन गेहूं आया जिसके कारण हमारे यहां का उत्पादन अधिक हुआ और खेती के मामले में आत्म निर्भर हो गये। तो आपने इस बीज की उपेक्षा क्यों की ? मैं चाहता हूं कि जो महत्व आप खाद और सिंचाई को देते हैं उससे अधिक महत्व बीज को देना चाहिये तभी निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, वैसे यह नही बढ़ सकगा। जो सिंचित क्षेत्र है करीब 45 प्रतिशत है। सिंचाई की सुविधा बढ़ा दी जायेगी तो उत्पादन भी बढ़ जायेगा, बीज, खाद, सिंचाई आदि की व्यवस्था कर दी जाये तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ जायेगा।

अब मैं नकदी फसल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में नकदी फसल जैसे तम्बाकू है, कपास है। यह चीज किसी कारण से हमारे प्रदेश से हटती जा रही है और दूसरे प्रदेश में जा रही हैं। कैश कार्टस किसानों के लिये बड़ी सहायक है लेकिन इनमें कोई सुधार न होने के कारण हमारे प्रदेश से हटती जा रही है। तम्बाकू नियंत्रण से इस पर बहुत असर पड़ा है और यह उद्योग गुजरात और आन्ध्र में चला गया है। हम खाद्यान्नों में आत्म निर्भर हो सकते हैं उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यकता है कि किसान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये नकदी फसलों में सुधार करने का प्रयास किया जाये। यह सब आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। कपास का उद्योग दूसरे प्रदेश में चला गया। फल की स्थिति ऐसी है कि जब वह अधिक उत्पादित हो जाता है तो उसको कोई पूछता नहीं है। इसी कारण फल हिमान्चल प्रदेश में चला गया। हमारे यहां से तरकारी के भाव बिक गया मेरे कहने का मलतब यह है कि आप उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। गन्ना की कीमत 20 रुपये प्रति क्विन्टल देने की बात कही थी और गेहूं की कीमत 150 रुपया प्रति क्विन्टल देने की कही थी। अगर आप ने जो वाद किए थे उनको पूरा कर दें तो मैं मानूं कि आप किसान के हमदर्द हैं। मैं मानता हूं कि आप किसानो के हमदर्द नही हैं। आपने नारा दिया कि आप गांवों की ओर चलेंगे। म जानना चाहता हूं कि क्या आप गांवों को उजाड़ने के लिये जायगे ? मैं यह जानता हूं कि आप (मंत्री जी) किसान हैं, मैं भी किसान हूं, लेकिन जितनी भी आपकी नीतियां हैं उनसे आज किसान बहुत ही परेशान है और इतना परेशान है कि आज तक उतना परेशान भी नहीं हुआ है।

[श्री देव बहादुर सिंह]

जब किसान की फसल ज्यादा होती है तो उसको अच्छा भाव नहीं मिलता और जब उसकी फसल कम होती है तो उसको सही कीमत नहीं मिलती। जब ओला गिरता है तो उसका अरबों रुपये का नुक्सान हो जाता है। तो आप उसके लिये बीमा योजना क्यों नहीं लागू करते हैं? जब तक आप उनकी फसलों के बीमे की योजना नही चलायेंगे तब तक किसानों को कोई राहत नही हो सकती है पहले लोग इस प्रदेश में डरते थे कि किसानों को ऋण बैंक कैसे देगा। उसका व्यवसाय नीली छत के नीचे होता है। कांग्रेस सरकार ने बैंकों को मजबूर कर दिया था कि वे किसानों को ऋण दें। आज वे उससे सर सब्ज हो रहे हैं।

(कुछ सदस्यों के आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आपस में बातें न करें?

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक क्रांतिकारी कदम उस समय हुआ। आप किसान की फसलों का बीमा कर डालिए, फिर देखिए यह किसानों के लिये कितना लाभप्रद होता है। वह आश्वस्त रहेगा कि जो फसल उसने बोई है वह उसको मिले भी और अगर कोई दैवी आपदा भी आ जाती है तो उसे अधिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी।

बीज के बारे में मेरा निवेदन है कि जैसे कभी बाढ़ आ गयी या सूखा पड़ गया तो उस समय आपने एफ0 सी0 आई0 से गेहूं खरीद कर बीज के लिए दे दिया। जब तक उस बीज की शुद्धता की प्रमाणिकता न हो जाय तो वह किसी को न दिया जाय। जितने आपके बीज गोदाम हैं या एजेन्सीज हैं उन पर यह प्रतिबन्ध लगा दें कि जो बीज प्रमाणित और शुद्ध नहीं होगा उसको न दिया जाय। जब तक आप यह सिद्धान्त नहीं बनायेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है।

आपका फाउन्डेशन सीड बहुत महंगा होता है। किसान भी कहता है कि पैसा नहीं है कहां से खरीद। जब अच्छे बीज से क्रान्ति आ सकती है तो उसका समुचित उपयोग हो। अगर वे नहीं खरीद सकते हैं तो सरकार को चाहिये कि वह किसानों को फाउंडेशन सीड खरीदने के लिये वह सुपरसबसिडी दे। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो इससे भी किसानों को बडा लाभ हो सकता है।

जब नये बीज निकलते हैं, उनको आप कहीं पर भेज देते हैं। जब आप बीज भेजें तो क्षेत्रीय परीक्षण होना चाहिये कि उस क्षेत्र म यह अच्छी पैदावार दे सकता है या नहीं और जब यह सिद्ध हो जाय तभी आप वहां पर बीज भेजे। जब आप क्षेत्रीय परीक्षण कराकर बीज को भेजेंगे तभी अच्छी फसल हो पायेगी।

कृषि में तकनीकी बात बहुत बढ़ गयी है। रोज नयी-नयी बातें आ जाती हैं चाहे वह पौधे की रक्षा की बात हो या बीज की या मिट्टी के परीक्षण की बात हो। आपकी कोई एजेन्सी होनी चाहिये जिसके द्वारा यह तकनीकी ज्ञान किसानों तक पहुंचे। आज आपके ग्राम सेवक है, वह किस प्रकार से हर किसान के पास पहुंचा सकेगा? अगर उसके ही माध्यम से पहुंचती हैं तो जो नयी-नयी उपलब्धियां हैं, कृषि में, कृषि वज्ञानिकों की जो नयी-नयी बातें बतलाते हैं, या तो उसमें उन ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित करें या कोई ऐसी एजेंसी बनावें जो गांव में जाकर वहां बतावे। मिट्टी परीक्षण की बात मंत्री जी ने कही। उसमें होता यह है कि मिट्टी से ज्ञात होता है कि किसमें किस में खाद की कमी है, फास्फोरस की, पोटाश की, नाइट्रोजन की। लेकिन उसके साथ तत्वों की भी कभी मालूम करनी चाहिये और आप ऐलान करते कि हमने ऐसा कर दिया है। अगर कर दिये होते....

(एक आवाज–शुरू कर, दिया है)। कई जगह हमने देखा कि जहां जिंक की कमी है उस खेत में खैर लग गया और किसी अन्य तत्व की कमी है तो अन्य बीमारियां लगी। तो तत्व का ज्ञान भी अगर किसान को कराया जाय तो किसान को लाभ हो सकता है। आपके यहां लक्ष्य निर्धारित है। ग्राम सेवक से कहा जाता है कि अमुक संख्या में मिट्टी के सैम्पिल लाओ और एक सैम्पिल पर आठ आना किसान से लेते हैं। लेकिन वह पैसा ग्राम सेवक अपने ही पास से देता है और कहीं नहर के किनारे की मिट्टी खोद करके परीक्षण केन्द्र पर पहुंचा देते हैं। साथ ही यह भी होता है कि एक ही जगह की मिट्टी का भिन्न भिन्न रिजल्ट परीक्षण केन्द्र वाले दे देते हैं, वह भी फर्जी तौर पर समझा देते हैं कि इतनी इतनी चीजों की कमी है। मैं समझता हूं आप इस तरीके में सुधार करें। मिट्टी परीक्षण की ऐसी व्यवस्था अवश्य कर दें कि सही रिपोर्ट आवे जिससे उसका उपयोग ठीक से हो सके।

एक बात और है। परीक्षण के लिये मिट्टी गयी गेहूं बोआयी के पहले और परिणाम आये गेहूं बोने के बाद ? उससे क्या फायदा हुआ ? परीक्षण का दायित्व निर्धारित कराइये। घूम कर देखें, किसान से पूछें कि तुम्हारे खेत से मिट्टी गयी है या नहीं गयी। वरना किसान उस परीक्षण से कोई लाभ नहीं उठा पायेगा। वरना जो उसकी जानकारी है उसी के आधार पर किसान खाद डालता है। खाद महंगा हो गया है तो एक एकड़ में 50–100 रुपया ज्यादा खर्च हो जाता है। उसकी बचत हो सकती है। अगर उसको सही जानकारी होगी तो वह उतनी ही डालेगा। तो इस में आमूल सुधार लावें।

पौधे की रक्षा की बात है। पौधा तो बताता नहीं कि जो दवा डाली जा रही है उससे लाभ है या नहीं। उसके रूप रंग से ही पता चलता है। इस संबंध में सरकार और किसान क साथ भी धोखा होता है। दवायें पानी की तरह बंट जाती हैं और सबसिडी भी बीच में ही बंट जाती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माडर्न खेती के लिये पौधा सुरक्षण अनिवार्य है। जब तक उसकी समस्त क्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक उससे आशान्वित उत्पादन कर लिया जाय यह संभव नहीं है। इसलिये इस संबंध में भी ध्यान देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। टेहरी के संबंध में आपके पास लिख कर आया होगा पौधा संरक्षण के संबंध में वहां भी बीमारी लगी तो उसके लिए जो दवा दी गयी सबसिडी में बांटने के लिये, उसको जब छिड़का गया तो बची बचाई फसल भी नष्ट हो गयी। जांच करायेंगे तो वस्तुस्थिति का पता लग जायगा।

इस समय मान्यवर, कृषि विभाग में कुल पद हैं 26,775, जिसमें राजपत्रित 557 हैं, लेकिन इनके पास कोई कर्मचारी नहीं हैं जो गांव में जा सके। आपको विभाग की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि लोग गांव में जांय (आन दि स्पाट) ऐसा नहीं देखे होंगे जैसा आपका विभाग है जिसका सम्बन्ध कृषि से डायरेक्ट न हो। इसलिय गांव में धरती से आपका संबंध हो जाय, एसी व्यवस्था करें तब आपको लाभ होगा। अगर आपने कुछ कर दिया होता तो हम समझते कि आप कुछ करने वाले ह। (व्यवधान)

श्रीमन्, सामुहिक नरसरी और सोयाबीन के लिये बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही गयी है। उसके लिये 1977–78 के बजट में 16,78,800 रुपया निर्धारित था, पर 35,47,100 रुपये खर्च किये गये। मेरी जानकारी है कि 85 प्रतिशत रुपया यूंही साफ हो गया है। जहां खर्च होना चाहिय था, जहां जाना चाहिये था, वहां गया ही नहीं। आप इसकी जांच करवा लें कि यह उसमें खर्च हुआ भी है कि नहीं। (व्यवधान)

[श्री देव बहादुर सिंह]—

अनाज के भण्डारण के लिये भी सब्सिडी दी जाती है। वह अमीर किसानों को ही वह मिल पाती है। उसका सही उपयोग नहीं होता है, कोई बक्सा बनवा लेता है, कोई किसी काम में खर्च कर लेता है। आप इसकी भी जांच करा लें कि सही उपयोग हुआ है या नहीं। इसी प्रकार से कृषि यंत्र के लिये भी जो अनुदान आप देते हैं वह गरीब किसानों को मिल ही नहीं पाता, उसका जो लाभ किसानों को पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच रहा है।

एक बात रसायनिक खाद क बारे में कहूंगा। यह जो डी0 ए0 पी0 खाद दी जाती है इसमें तरह तरह की मिलावट की जाती है। कई चीजें इसमें मिला दी जाती हैं। इसका री-बैगिंग भी किया जाता है और री-बैगिंग करते समय इसमें मिश्रण कर दिया जाता है। जब किसान इसको ले जाता है तो जो लाभ इस खाद का होना चाहिये वह होता ही नहीं। इसलिये आप ऐसे आदेश करें कि जो भी खाद किसान को मिले वह अपन उसी रूप में मिले जिस रूप में वह आती है।

एक बात फल उद्यानों के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी बड़े खुश होते होंगे कि हमने इनाम पाया ह.....

एक सदस्य—

कद्दू में मिला है। (हंसी)

श्री देव बहादुर सिंह—

कद्दू में मिला हो या किसी चीज में मिला हो, मगर मैं तो यह चाहता हूं कि सेव जो इतनी भारी मात्रा में पैदा होता है, आप उसका उचित मूल्य ही दिलवाने की व्यवस्था करा दें।

मान्यवर, इनके पास एक जीरा इन्सपेक्टर है जो जीरा बुआने का काम करता है। आपने क्या कभी भी यह भी देखा कि जिस व्यक्ति को आपने नियुक्त किया है उसकी उपलब्धि क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अब समाप्त करें, 25 मिनट हो गये हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

अभी समाप्त करता हूं मान्यवर, फास्फेट पर आपने जो 20 प्रतिशत की छूट दी है वह सबको क्यों नहीं दी ?

इसमें भी बहुत धांधली है। सारे का सारा ब्लैक में बिक जाता है। तो इसकी आप जांच करायें और धांधली दूर करें।

मान्यवर, भूमि संरक्षण के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। भूमि संरक्षण के बारे में बहुत धांधली है। इसके लिए योजना बनती है। इंस्पेक्टर गया, योजना बनी कमेटी से पास हुआ और किसान के दस्तखत हुए। लेकिन तीन साल बाद रिकवरी जब होती है तब किसान हाय कर दता है। भूमि संरक्षण ने किसानों को उजाड़ दिया है इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करें। किसान को मालूम हो सके कि कितना पैसा खर्च हुआ। लखनऊ में ही जांच करा लें ज्यादा दूर जानें की आवश्यकता नहीं है, पता चल जायगा कि कितनी धांधली हुई है।

लखनऊ में काकोरी क्षेत्र में एक हजार एकड़ में वन लगाने की बात थी इस संबंध में भी धांधली है। इसकी भी जांच कराइय। आपने यह कहा है कि आप एग्रो के चेयरमैन इसलिये हो गये कि उसमें सुधार लायेंगे। मैं कहता हूं कि अपने विभाग में सुधार ला दें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश की हो जायगी। मैं स्मरण दिलाऊं आपने कहा था कि निगम सफेद हाथी है। तो इस सफेद हाथी पर आप क्यों बैठ गये। सफद

हाथी पर बैठने की तबीयत कैसे आपको हो गयी। मंत्री जी ने एक और निगम बनाया है; उत्तर प्रदेश भूमि सुधार तथा विकास निगम, इसके भी आप चेयरमैन बन जायें, तब इसका भी काम आच्छा हो सकता है। एक बात कहना चाहता हूं, बुरा न मानिये। मुझ को सूचना है कि किसी कत्ल के मुकदमें में आपको सजा मिली है। अगर यह झूठ होगा तो मैं खेद प्रकाश करूंगा।

एक सदस्य—
मान्यवर, यह आक्षेप है।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—
मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देव बहादुर सिंह—
मैंने पहले कहा झूठ होगा तो वापस ले लूंगा।

श्री बाबू राम वर्मा—
व्यवस्था का प्रश्न है? क्या ऐसा प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर किसी सम्मानित सदस्य या मंत्री से किसी को पूछने का अधिकार है?

श्री अधिष्ठाता—
नहीं।

श्री देव बहादुर सिंह—
आपने एक गलती और की, डी0 पी0 सिंह साहब को पन्तनगर यूनीवर्सिटी की वाइस चांसलर बना कर भेजा। मैं तो कहता हूं जो काम अच्छे आपके होंगे तो आप का नाम होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था आप करें जिससे आपकी बदनामी न हो। 72–73 में इनके बारे में विजलेंस ने जांच किया था। आप वह रिपोर्ट देखते। उनके वहां जाने से गोली चल गयी। गोली चलने से आपका नाम तो अच्छा नहीं होगा उनका भी जीवन कलंकित होगा जहां जायेंगे यही कहा जायगा इन्होंने गोली चलायी थी। गरीब मजदूर मारे गये। उनका विरोध बहुत दिनों से मजदूरों से रहा है। कानपुर म रहे तो इसी प्रकार की बातें सुनने में आयीं। पन्त नगर यूनीवर्सिटी में कुछ लड़कें अपना सामान लाने पी0 ए0 सी0 के साथ पन्त नगर गये। और पन्तनगर के पुलिस के सामने अन्य छात्रों को पीटा यह राज्य आपका है। आपके साथ पुलिस है क्या उसका दुरूपयोग आप इसी प्रकार से करेंगे। होना यह चाहिए कि हम सुख से रहें और दूसरों को सुख से रहने दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह धांधली नहीं चलेगी।

इस प्रदेश में किसी की धांधली नहीं चली है। पता नहीं कितने दिन चलें। चन्द दिन रहें या बहुत दिन रहें लेकिन आराम से रहें और रहने दें तो मैं मानूंगा कि आपने द्वितीय क्रांति की है। क्रांति लाने का मतलब यह नहीं है कि तानाशाही हो, जो चाहें वह करें। जितनी धांधली ये कर रहे हैं, मुझको लगता है कि जनतंत्र की अन्त्येष्टि इन्हीं के हाथों से होने वाली है। यह अपने हाथ से कब्र खोद रहे हैं और दफनाने की तैयारी में है।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समय दिया।

*श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है। जहां भारतवर्ष के 70 फीसदी आदमी इस पर निर्भर करते हों उसके लिये हमें इस पर विचार करना है। जैसा पीछे की सरकारों से चला आया है और पं0 जवाहर लाल नेहरू के समय से खेती की उपेक्षा की गयी और इसके बजट को कम किया गया। इसके सम्बन्ध में हमारे चौधरी चरण सिंह ने काफी कहा है कि खेती चीज ऐसी है जिस पर निर्भर होकर भारत तरक्की कर सकता है। यदि खेती किसी देश की कमजोर है तो वह उन्नति नहीं कर सकता विशेषकर भारतवर्ष। लेकिन उन्होंने इस बात को न मानकर 15 प्रतिशत खेती के बजट को रखा। बाद में इसको समझकर इसके बजट को कुछ बढ़ाया गया लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसको दुबारा फिर चौपट कर दिया और 15 प्रतिशत फिर कर दिया। इसलिये खेती के बारे में ऐसा कहा गया कि शायद यहां की खेती समाप्त न हो जाय।

खाद की कीमतों में बढ़ोत्तरी की गयी। जो खाद पहले 55 रुपये में मिलती थी उसको बढ़ाकर 105 रुपया कर दिया गया खेती की दूसरी चीजों पर टैक्स लगा दिया गया जिससे किसान परेशान हो गया। जबसे जनता सरकार बनी है उसने जो वायदे किये थे उनको पूरा किया है। मैं समझता हूं कि अब खेती की तरक्की होगी।

बजट का सेन्टर खेती पर सेन्टर में 30 प्रतिशत दिया गया है जो कि खुशी का विषय है। यह पहला मौका है जबकि खेती पर इतना दिया गया है। इसलिये 70 प्रतिशत लोगों में जागृति आयी है कि अब यहां की खेती में तरक्की होगी। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कई क्षेत्रों में उन्नति हुई है। खासतौर से खाद में 20 प्रतिशत की छूट दी गयी है जिसने किसानों को प्रोत्साहित किया है। मैं समझता हूं कि खाद खेती में ऐसी चीज है जिससे किसानों में जागृति आयी है मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस खाद में और छूट दे। जो हरी खाद है उसमें किसानों को प्रोत्साहित किया जाय कि कम्पोस्ट खाद बनायें। मंत्री नें एक रसायनिक खाद के बारे में बताया कि जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है और किसान हरी खाद जो है, उसको बना सकता है, इसलिये इस पर जोर दिया जाय, खाद को पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़का जाय तो खाद में पैसा कम खर्च होगा जैसे अगर 10 किलो एक बीघे में दिया जाता है तो एक किलो इससे खर्च होगा इस तरह से उससे बचत होगी और पैदावार बढ़ेगी।

दालों का जिक्र करते हुए हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां इनकी बड़ी कमी है। खास तौर से मूंग का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यह कदम स्वागत योग्य है। मान्यवर, मूंग की फसल जायद की होती है जिसे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बोया जाता है और उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी की जा सकती है। क्योंकि इस बीच हमारे खेत खाली रहते हैं, इसलिये हम इसका खाद और दालों की प्राप्ति के लिये प्रयोग कर सकते हैं और दालो की कमी को पूरा कर सकत है।

तिलहन, लाही और सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि का भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है, इससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़ सकती है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

लाल बत्ती देखकर ही माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों। इसका मतलब है अभी दो मिनट वक्ता के लिये बाकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण न हीं किया।

श्री लीलवत सिंह––

मान्यवर, ट्रैक्टरों के मूल्य में 15 हजार से 52 हजार की वृद्धि हो जाना कोई उपलब्धि नहीं कही जा सकती। उनकी कीमत को घटाया जाना चाहिए। कृषि यंत्रों के दामों में समुचित कमी की जानी चाहिए ताकि साधारण किसान को भी खेती के लिये उपलब्ध हो सके।

मैं प्लान्ट प्रोटेक्शन के बारे में कहना चाहूंगा कि जो दवायें किसानों को मिल रही हैं, वे प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है ? कृपा करके इसका परीक्षण करायें और ऐसी दवायें सप्लाई करें जिनसे कीड़े तुरन्त मर सकें।

बीजों के बारे में कहना है कि नित्य प्रति खोजों की जानकारी किसान तक नहीं पहुंच पाता है। जो भी नई सेलेक्टेड वेराईटीज बीजों की किसानों को मिलती है, वे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। अतः इनको किसानो को पर्याप्त मात्रा में दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इन बीजों की कीमत भी किसान की पहुंच के बाहर है। अतः इन्हें भी घटाया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट अनुदान की मांग का समर्थन करता।

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें जो कृषि मंत्री मिला है, वह एक किसान का बेटा है और किसान का बेटा होने के नाते उनके दुःख दर्द को समझने वाला है और उनक लिये पूरी तरह चिन्तित है। पिछले दस माह में उनके द्वारा किए गए कार्यों से साफ हो जाता है कि उन्हें किसानों की बड़ी फिक्र है। उनके द्वारा किसानों की बहबूदी के लिये किये गये कामों के लिये उनकी सराहना करते हुए मैं कुछ बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता का जीवन सिर्फ कृषि पर आधारित है। जब तक इन 70 प्रतिशत की बहबूदी के लिये योजनायें नहीं बनती, तब तक बाकी 30 प्रतिशत की भलाई नहीं हो सकती। क्योंकि यदि किसानों का जीवन स्तर उन्नत होगा तो प्रदेश की बाकी जनता का भी जीवन स्तर ऊंचा होगा।

हमारे किसानों के सामने दो समस्यायें है। एक तो यह कि उनके उत्पादों का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता, अतः इस ओर सरकार अविलंब ध्यान दे। पिछले दिनों में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य न मिल पाना इसका एक उदाहरण है। जिसकी इस सदन में काफी जोरों पर चर्चा हुई। हमें अपने कृषि मंत्री जी से बड़ी आशा थी कि वह किसानों को गेहूं का उचित मूल्य दिलाने के लिये जोरदार काम करेंगे, लेकिन वह इस ओर सफल नहीं हो पाए। और जब सारी सरकारी मशीनरी, अधिकारी और विशेषज्ञ आंकड़े देकर यह मानते हैं कि किसानों के गेहूं का जो मूल्य है, वह 125 रु0 क्विन्टल आती है। कुछ आंकड़े कहते हैं कि 113 रुपया आती है, तो फिर कौन सा धंधा है जो घाटे में चलता रहेगा लेकिन इस बात को नहीं किया गया। 10 से साढ़े 12 हो गया यह तो एक तरह से उपहास ही हुआ है। जो लोग आज लू और लपट में खड़े हो कर गेहूं निकाल रहे हैं, हम समझते हैं उनके साथ सरकार कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है। वातानुकूलित सदन में बैठकर उनकी उपेक्षा की जा रही है। कम से कम किसान को उसके मूल्य जो लागत का होता है वह तो मिलना ही चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर सिंह]—

दूसरी समस्या यह है कि किसान को आज यह विश्वास नहीं रहा है कि उसकी धरती कबतक उसके पास रह पाएगी। 80 एकड़, 40 एकड़, 18 एकड़ और फिर नारा लगता है साढ़े 12 एकड़, फिर उसी के ऊपर कमेटी बनती है, मंगलदेव कमेटी बनी ,रोज–रोज किसानों से जमीन खींचने के भाषण होते हैं, इसलिये किसानों को विश्वास नहीं रह गया है। किसानों की अपनी मान्यता होती है, वह भूमि को अपनी माता मानता है। उसी में लोटपोट कर वह बड़ा होता है और उसी पर मरता भी है तथा मरने के बाद उसकी ख्वाहिश यही होती है कि खेत के किसी कोने में उसे जला दिया जाय। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों की बरबादी यहीं के अधिकारियों के हाथ से होती है जो कि शहर में जन्म लेते हैं और मरने के बाद बिजली की भट्टी में जलाये जाते हैं।

एक समस्या और है,उनकी मुख्य समस्या यह है कि उनकी फसल का बीमा होना चाहिये। जितनी लागत होती है उसके बाद आपत्ति आ जाती है तो उसका सत्यानाश हो जाता है, उसके पास खान को नहीं रहता, इसलिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरी समस्या यह है। कि कृषि से सम्बन्धित जो औजार हैं उनकी कीमत तिगुनी और चौगुनी हो गयी है। जो ट्रैक्टर 10, 12 हजार में आता था वह 40, 50 हजार में आ रहा है और जो 19, 20 हजार में आता था वह 60, 65 हजार में आ रहा है। चाहे पम्पिंग सेट हो, चाहे उर्वरक हो सभी में बढ़ोत्तरी हो गयी है। इसलिये किसान की जरूरत की चीजों के मूल्यों में नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आज आप तहसीलों में जाकर देखें, किसान हवालातों में पड़े हुए हैं। बैंक से कर्जा लिया, अदा नहीं कर पाए हवालात में डाल दिए गए। आज उनसे 18 प्रतिशत का बढ़ा हुआ ब्याज लिया जा रहा है। जब बड़े-बड़े उद्योगों को कर्जा दिया जाता है तो ढाई या तीन परसेन्ट पर दिया जाता है, मेरी राय है कि इसी रेट पर इन लोगों को भी कर्जा दिया जाय और इतना ही ब्याज इनसे भी वसूला जाय। इससे किसान अपने ऋणों की अदायगी आसानी से कर सकेंगे। फासफोटिक खाद के दाम गिरे हैं लेकिन नाइट्रोजन खाद के दाम नहीं गिरे हैं, इनके दाम भी कम करने चाहिये।

मान्यवर, जहां पर प्रयोगशालायें होती हैं वही पर वे काम देती हैं। बुन्देलखंड में एक प्रयोगशाला अवश्य खोली जानी चाहिये जिससे काली मिट्टी का प्रयोग हो सके। समतलीकरण के बारे में, हमारे क्षेत्र बुन्देलखंड में देखें, सभी क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, वास्तव में अगर समतलीकरण की आवश्यकता है तो इसी क्षेत्र में है।

माननीय मंत्री जी ने जो स्कीम बतलायी है वह सराहनीय है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। जो जरूरी है, वह लिख कर भेज दें।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां एक मंडी है और बहुत फैला हुआ इलाका है। जहां पर घना प्रदेश है, वहां पर तो ठीक है लेकिन जहां दूर-दूर आबादी है, वहां पर कम से कम एक-एक मंडी और खोलने की कृपा करें।

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंत्री जी हमारे पड़ोस के ही हैं। अच्छे विद्वान हैं, खुद कृषक हैं। 5 साल ब्लाक में प्रमुख रहे हैं। काफी जानकारी है। मान्यवर, एक बात बड़ी गम्भीर है। आप, हम और सभी देहात के हैं और देहातों की जो हालत है, वह सभी जानते है। वहां पर गन्दगी, मच्छर बहुत होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ग्राम स्तर पर कोई भी

कर्मचारी, नाम कुछ भी रखें, कम्पोस्ट खाद के लिये अलग से रखें ताकि वहां पर स्वच्छता हो, बीमारी कम हो और खेती का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो आपने अच्छे सुझाव रखे हैं और मैं आपका समर्थन करने के लिये ही खड़ा हुआ हूं लेकिन साथ ही साथ एक बात गम्भीर है। गांवों में जो मुकदमेबाजी होती है, वह नाली और चकरोड नाली के कारण ज्यादा होती है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें, किसानों को चकरोड़ की सुविधा मिल जाय। दूसरी बात यह है कि आप कितने ही नये नये बीज इजाद करें, कितनी ही वैज्ञानिक खाद इजाद करें लेकिन आगे चल कर खेती की प्रगति रुकेगी। उसका कारण यह है कि विज्ञान के युग में सभी साधन मशीनरी से चलेंगे तो बे पढ़े किसान न आपका ट्रैक्टर चला पायेंगे, न इंजन ठीक कर पायेंगे और न दवाइयों का प्रयोग कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि गांवों में 80 फीसदी वही बेचारे बेपढ़े खेती कर रहे हैं। पढ़े लिखे क्यों करेंगे। मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। एक लड़का है जो राजस्थान में क्लर्क है, उसने लाखों की सम्पत्ति करली है और जैसा देव बहादुर जी कह रहे हैं जिन लोगों ने आपके बैंक से ऋण लिया है, उनके खेत नीलाम हो रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग खेती में क्यों जायेंगे। वह तभी जायेंगे जब शहर के मुकाबिले में वहां पर पैसे की आमदनी ज्यादा होगी। देहातों में जो हमारा उत्पादन होता है, उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखें, आपने 112.50 रु0 गेहूं का दाम ऐलान किया है लेकिन 110 में मुश्किल से खरीदा जा रहा है।

आपके विभाग ने बीज दिया है लेकिन प्राकृतिक देन है कि गेहूं में जई और चटरी मटरी की वजह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है और किसान बेचारा बहुत तंग है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक रुपया दो रुपया, चार रुपया कम खरीदें लेकिन उनको केन्द्र से गेहूं वापस नहीं करना चाहिये। भारतवर्ष में, दुनिया में और आपने वैदिक काल में भी देखा होगा कि कृषि हमेशा वैश्यों के हाथ में रही है, वैश्य के मानी पढ़ा लिखा हिसाब में जानकार। और जो व्यापार में निपुण हैं, आप देखें, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे खेती में जांय और वह तभी संभव होगा जब विशेष सुविधा उन को मिलेगी। मुझे इतना ही कहना है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन् मैं आप का बहुत आभारी हूं कि इस बजट में आपने चर्चा करने का अवसर दिया। श्रीमान्, आपको याद हो कि सामान्य प्रशासन के अनुदानों पर बोलते हुए मैंने केन्द्रीय गृह मंत्री की परिवार कल्याण की योजना बताई थी और उस योजना के माननीय मंत्री जी सदस्य हैं। श्रीमन्, परिवार कल्याण केन्द्रीय गृह मंत्री से संबंधित थी और मैंने बड़े विस्तृत रूप में बताया था इस के बारे में। श्रीमन्, जो यह कृषि विभाग है इसमें कितनी अनियमिततायें इन 10–12 महीनों में हुई है मैं समझता हूं किसी अन्य विभाग में नहीं हुई होंगी। श्रीमन्, बड़ा हल्ला किया जाता है कि मंत्री जी किसान के बेटे हैं, धरती के बेटे हैं, लोकतंत्र की दुहाई की बात है। श्रीमन्, मैं आप को स्पष्ट बता देना चाहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि कृषि विभाग मंत्री जी के विशेष सजाति वर्ग का मंत्रालय हो गया है।

अब श्रीमन्, आप जरा देखें एक सजाति वर्ग ने किस तरह से षडयन्त्र किया। डी0पी0 सिंह जो वाइस चान्सलर पंत यूनिवर्सिटी के जिनको कि भ्रष्टाचार के आरोप में यहां से हरियाणा भेज दिया गया केवल इसलिये बुलाया गया कि वे एक जाति विशेष के आदमी हैं और जब श्रीमन्, उसको पंत नगर भेजा जिस पर कितने ही आरोप हैं, मैं जानता हूं उसने वहां पर दस महीनों

[श्री गुलाब सेहरा]—

में जितनी नियुक्तियां की, वहां पर जो फंड का भ्रष्टाचार हुआ है, वहां की घटनाओं की जुडीशियल जांच की घोषणा हो चुकी है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसके टर्मस आफ रिफरेन्श क्या है। अगर इसकी भी जांच टर्मस आफ रिफरेन्श में होगी तो बात साफ हो जायगी। लेकिन इतना बड़ा काण्ड करने के बाद भी श्री डी० पी० सिंह की रक्षा हुई। सजाति वर्ग ने ऐसी प्लानिंग बनायी जो मुझे अच्छी तरह याद है। 13–4–78 को यह घटना हुई और 17–4–78 को केन्द्रीय गृह मंत्री के आदेश से मुख्य मंत्री जी पर दबाव डाला गया कि डी० पी० सिंह का निलम्बन का आदेश जिसकी कि उन्होंने घोषणा की थी, वापस ले लिया जाय।

मंत्री जी, डी०पी० सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री के दामाद जो इस माननीय सदन के सदस्य भी है तीनों दिल्ली गए और डी० पी० सिंह की पूरी रक्षा की। तो मैं जानता हूं कि आपने जाति विशेष के लोगों को पैदा किया। इतने लोगों को मरवाने के बाद भी डी० पी० सिंह की रक्षा की। मुझे याद है कि 17–4–78 को एक माननीय सदस्य धर्मवीर जी ने डी० पी० सिंह को वहां भेजने के लिये जाति विशेष की लोगों की यहां पर बैठक की।

मैं इस विभाग में भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दस महीने में जाति विशेष के लोगों ने भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया.....

एक सदस्य—

कृषि अनुदान में बहस हो रही है।

श्री गुलाब सेहरा—

म इसी पर बोल रहा हूं....

श्री अधिष्ठाता—

आप इस का जवाब दे दीजियेगा।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, सब से बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हालत यह है कि अगर मंत्री जी से किसी काम को करवाना चाहें तो मेरी जानकारी है, आगरा डिवीजन का सदस्य हूं, वह काम अलीगढ़ से होता है, लखनऊ से नहीं होता है और किस प्रकार होता है उस को आप चाहेंगे तो विस्तृत रूप से बता दूंगा। अगर कृषि विभाग के मंत्री जी से काम कराना है तो मंत्री जी के बाबा से भेंट कीजिए और उसके पश्चात् काम हो गया, समझिए। दूसरी बात इस में एक्शटेन्शन आफ सर्विस की है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो लोग सेवा निवृत्त हो जायेंगे उनको हम एक्टैन्शन नहीं देंगे। मेरी जानकारी है कि सीड विभाग, बीज निगम के लिये एक व्यक्ति की श्रीमन्, दो बार मंत्री जी संस्तुति कर चुके हैं जिसका नाम है सोहनवीर सिंह, कि इनको तीन–चार साल के लिये निगम में लगा दिया जाय, संस्तुति है। और श्रीमन् मंत्री जी का दबदबा देखिये उनको अभी आदेश नहीं मिला है लेकिन वह निगम में रोज बैठत हैं और वहां के कामों में दखलन्दाजी करते हैं। मैं आपको नाम बतला रहा हूं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। उन लोगों को मंत्री जी की कृपा से कितना बड़ा लाभ मिला है। श्री श्याम सिंह राना, श्री बाल पवार, श्री हरी सिंह, श्री शिवराज सिंह ये क्लास 2 के अधिकारी हैं लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय वीरेन्द्र वर्मा उस वक्त के कृषि मंत्री और उस वक्त के कृषि निदेशक श्री बृजसिंह ने इनको निलम्बित किया था, सेवा निवृत्त कर दिया था। मंत्री जी की कृपा से उनको विभाग में वापस ले लिया। कैसे ले लिया? एक बड़ी आड़ इस बात की ली जाती है कि आपात्काल में ज्यादती हुई। लकिन इनक खिलाफ भ्रष्टाचार क आरोप थे, सर्विस से निकाल दिया गया था लेकिन आपात्काल की आड़ लेकर उनको नियुक्त कर दिया।

एक केस था श्री शिवराज सिंह, क्लास टू आफिसर, विधान सभा में भी प्रश्न उठा था और उत्तर दिया गया था कि श्री शिव राज सिंह भ्रष्टाचार के मामले में सेवा निवृत कर दिये गये हैं। इस माननीय सदन में कहा गया। आप ताज्जुब करेंगे श्रीमन्, कि उनको सेवा में रख लिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे केसेज देखें। एक जमुनापार फार्म खीरी में है। वहां पर फार्म मैनेजर रामसिंह मालिक थे। उनका स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के आधार पर किया गया था। उन्होंने इसी फार्म के पास सिकन्दराबाद में फार्म बना लिया था। वह फार्म गवर्नमेंट के साधनों से चलता था। आडिट में भी इस व्यक्ति के खिलाफ आब्जेक्शन लगा। गम्भीर अनियमितताओं की बात कही गयी। निलम्बन होने के पश्चात् स्थानान्तरण का आदेश हुआ था लेकिन उसको भी मंत्री जी के प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

इसी तरह से एक अधिकारी हैं वेदपाल मलिक डी० पी० ओ०, मेरठ। इनका भी भ्रष्टाचार के आधार पर स्थानान्तरण किया गया। लेकिन मंत्री जी की बात हो गयी। मंत्री जी की साली की लड़की की शादी उनके लड़के से तय हो गयी। अब उनको क्या चिन्ता है। जब सैइया भये कोतवाल डर काहे का। जो चाहते हैं कृषि विभाग में करते हैं। श्रीमन्, एक नियम है कि किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का। इस कृषि विभाग की तरक्की के लिये कुछ कटु सुझाव दे रहा हूं।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

कटु सुझाव मत दो, कुछ अच्छे सुझाव दो।

श्री गुलाब सेहरा—

जो फार्म सुपरिन्टेन्डेंन्ट होता है उसका एपाईन्टमेंट डायरेक्टोरेट करता है। एक उदाहरण बतला रहा हूं। मन्त्री जी ने सीधे बना दिया श्री रामपाल सिंह उनका नाम है। दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक फार्म सुपरिन्टन्डेंट की बड़ी अच्छी पोस्ट है। श्रीमन्, भोजन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। आधा उनका, आधा सरकार। श्रीमन्, फार्म सुपरिन्टेन्डेंट जितने नियुक्त हुए हैं, वे सब जाति विशेष के आधार पर हुए हैं। नाम बताता हूं। आप ताज्जुब करेंगे। ऐडवर्स इण्ट्री है। करेक्टर रोल में जिन लोगों के ऐडवर्स इण्ट्री लिखी जा चुकी है, उन्हें फार्म सुपरिन्टेन्डेंट बनाया गया है, श्रीमन्। इन लोगों के नाम हैं, श्रीमन, श्री रामपाल सिंह, श्री करन सिंह, श्री साहब सिंह तिवेतिया, बाबू सिंह और ओंकार सिंह। इन्हें फार्म सुपरिन्टेन्डेंट बना दिया गया है। पूरा सिंह खानदान इसमें आ गया। श्रीमन्, ऐसा राज्य आया है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वे आनंद कर रहे हैं और सड़कों पर अकड़ कर चल रहे हैं। श्रीमन्, हम ऐसे कृषि अधिकारियों को देखते हैं कि जिनको निकाला जाना चाहिए था, लेकिन वे शाम को हजरत गंज में ठाट से घुमते हैं। क्यों ? क्योंकि मंत्रीजी का वरदहस्त उन पर है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज यह भी हो रहा है कि जिनका कोई दोष नहीं है, उनको निलम्बित किया जा रहा है और जो दोषी हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है मैं दो व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं जिनका कोई दोष नहीं है लेकिन जिन्हें निलम्बित किया गया है और वे हैं—श्री मदन पाण्डेय, और श्री अनमोल सिंह। वहीं पर जो विजय सिंह वर्मा, उप निदेशक, बीहड़ सुधार योजना, है जिनक खिलाफ हजारों रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको संरक्षण मिल रहा है।

[श्री गुलाब सेहरा]

श्रीमन्, एक संस्था है सीड सार्टीफिकेशन डिपार्टमेन्ट—बीज प्रमाणीकरण संस्था । श्रीमन् बड़ा डिफिकल्ट नाम हैं । हम सदस्यों की समझ में भी नहीं आ सकता इसलिये उसकी गहराई में नहीं जा सकते लेकिन अब थोड़ा सा गहराई में आ गये हैं । श्रीमन्, आप ताज्जुब करेंगे अगर इस संस्था की पत्रावली मंगाले तो देखेंगे कि कितना घपला है इसमें । वहां पर एक जाति विशेष के लोगों को अप्वाइन्ट किया गया है । इन लोगों के नाम हैं, श्रीमन्-श्री प्रेमपाल-सिंह, धर्मपाल सिंह, उदयपाल सिंह, वीरेन्द्र सिंह और अशोक कुमार सिंह आदि । ये सभी बीज प्रमाणी करण अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गये हैं ।

अब एक बात और देखिए श्रीमन्, आज चारों तरफ माननीय कृषि मंत्री जी का राज्य हो गया है । वह यू० पी० एग्रो के चेयरमैन भी हो गये । जबकि पिछली दफा चर्चा में कहा (जबकि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था) गया था कि कारपोरेशन किसी को खुश करने के लिये उपहार की योजना नही बनायी जायेगी । लेकिन खुद चेपरमैन बन गये । अब मैं मंत्री जी के एक पड़ोसी का नाम बताता हूं । उनका नाम है श्री उदयवीर सिंह । अब उनको एग्रो में बुलाकर शाखा प्रबन्धक बना दिया गया है । अब एग्रो में खुलकर भ्रष्टाचार चल रहा है ।

श्रीमन्, एक श्री शिवराज सिंह तेवतिया हैं । इनके बारे में वित्त विभाग की यह राय थी कि इनका वेतन इतना नहीं होना चाहिये । लेकिन वित्त विभाग की बात नहीं मानी गयी । उनका पे-स्केल बढ़ा दिया मंत्रीजी ने । क्यों बढ़ा दिया? बढा इसलिये दिया कि जब मंत्रीजी की साली की शादी हुयी तो खाने-पीने का इन्तजाम तेवेतिया साहब ने किया । अब, जो करेगा तो उसका भला तो होगा ही । अब तेवेतिया साहब आनन्द कर रहे हैं ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ),

माननीय सेहरा साहब विषय पर बोलें । पहले वह कांग्रेस के समय का देखें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं । हम तो उधर के माननीय सदस्यों को वह चीज बता रहे हैं कि जिससे वे जल्दी इधर न आयें । तो व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ? हम तो रास्ता बता रहे हैं कि आप ऐसा न करें नहीं तो इधर आ जायेंगे ।

अब मान्यवर, मैं एक संयुक्त निदेशक के बारे में कहना चाहता हूं मान्यवर, संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर एक वर्ष से कोई नियुक्ति नहीं हो पायी । श्रीमन्, अब उसमें सीनियारिटी लिस्ट भी चेंज की जा रही है । क्यों इसमें एडहाक एप्वाइन्टमेंट करने की कोशिश की गई है । इसी तरह मंडी परिषद् के सचिव का बड़ा महत्वपूण पद है । इनके वर्ग विशेष के लोग आनन्द कर रहे हैं । बांसरी बजा रहे हैं । श्री महाराज सिंह, श्री नौनिहाल सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री राजवीर सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री रामनरायन सिंह, आदि सभी सिंह ही सिंह हैं । ये सब मन्डी परिषद् के सचिव हो गये ।

आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा । मंत्री जी की कृपा से खाद में भी बड़ा घुटाला हुआ । पिछले वर्ष मंत्री जी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की और ऐलान किया कि खाद निर्माताओं का जो स्टैन्डर्ड गिरा हुआ है उनके लाइसेंन्स को रद्द कर दिया जायगा । प्रेस कान्फ्रेन्स हो गयी लेकिन पूरे वर्ष तक उन फर्म्स से उर्वरक लिया जाता रहा और उस बात को फरवरी, 78 में कार्य रूप में लाया गया । बीच में लाखों रुपया का घुटाला हो गया । एक हिमालियन फर्टिलाइजर कम्पनी है । उसने कहा कि फासफोरस 80 प्रतिशत देगी लेकिन पाया 50 प्रतिशत । उसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया क्योंकि बहुत बड़ी फर्म थी । बाहर की फर्म्स से फर्टिलाइजर मंगा लिया गया और अनधिकृत रूप से वह

बिकता रहा और जब लाखों रुपया कमा लिया तो उसे एप्रूव किया। जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हो गयी उनके खिलाफ भी कार्यवाही रुकवा दी गयी।

इसी तरह बाराहसेनी कालेज के प्रिंसिपल की हत्या के आरोप में मंत्री महोदय, स्वयं तीन वर्ष की जेल काट चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से वेनिफिट आफ डाउट लेकर छुटे हैं तो यह जनता की सेवा क्या कर सकेंगें, यह जाति विशेष की ही सेवा कर सकते हैं। कृषि विभाग में आज एक जाति विशेष ही लाभ उठा रही है और यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लोकतंत्र की बात करने वाले यह मंत्री केन्द्र के एक मंत्री के रिश्तेदार हैं। इन बातों का वह स्पष्टीकरण देंगे।

*श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कृषि से सम्बन्धित अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि हमार प्रदेश और देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है लेकिन कृषि की जो निरन्तर दुर्दशा कांग्रेसी हुकूमत में होती रही है उसमें कोई परिवर्तन आज भी देखने को नहीं मिला। भले ही हम ऊंचे आदर्शों की बात करें लेकिन जब तक व्यवहारिक धरातल पर उतरने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जनता ने आशा की थी कि जनता सरकार बनने के बाद बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन होगा, हर दिशा में परिवर्तन होगा लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सफलता नहीं मिली। इसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं। इस सदन के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं और इतिहास पढ़ने वाले लोग भी जानते होंगें कि जब फेन्च रिवोल्यूशन हुआ था, सामन्त शाही के खिलाफ संघर्ष करके जनता ने क्रांति की थी और नई सरकार आई थी वह पूर्णतया असफल हुई थी और नई सरकार पुरानी से भी बदतर साबित हुई थी।

आज कृषि विभाग में एक एग्रो है। उसके बारे में यह आम धारणा थी कि करोड़ों की लूट हुई है। मैं एक काम से मंत्री जी से मिला था जब उन्होंने कहा था कि वह एग्रो को तोड़ने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यह ऐग्रो जो कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसका उन्मूलन होगा और कम से कम इस कृषि विभाग के अन्दर जो बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके पेट में इसका सारा रुपया जा रहा है उससे प्रदेश को छुटकारा मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस विभाग को तो समाप्त नहीं किया गया लेकिन उसके अध्यक्ष हमारे माननीय मंत्री महोदय हो गये। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। यह एक मौलिक प्रश्न है कि मंत्री महोदय को कतई इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये था। यह नैतिकता का तकाजा है। ऐग्रो जैसे भ्रष्ट निगम को समाप्त करना चाहिये।

मान्यवर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में इस कृषि विभाग का एक गौरव है जिसको कि पहले के डी0पी0 सिंह ने एक स्वर्ग बनाया था, उसमें एक हरित क्रांति आयी थी, प्रगति के पथ पर वह अग्रसर हो रहा था उसी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को एक दूसरे डी0पी0 सिंह ने तबाह कर दिया है। उसमें आज शमशान जैसी खामोशी छायी हुई है। विश्वविद्यालय आज बन्द है। उसके वैज्ञानिक जो छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं वे आज लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं कि हमको बचाओ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

मान्यवर, पंतनगर में हुई नृशंस हत्याओं को कोई भी आज नहीं भूल सकता। जहां 8/10 हजार मजदूर काम करते थे, जिसने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया था उसको शमशान की भूमि बनाने का श्रेय किसको है इस बारे में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस कृषि विभाग में ऐसा परिवर्तन आप अवश्य करें जिससे जनता में व्याप्त असन्तोष का वातावरण दूर हो सके। वहां पर एक जाति विशेष की बात चल रही है यह चीज नहीं होनी चाहिये। हो सकता है जनता सरकार 5 वर्ष बाद भी रहे या न रहे किन्तु समाज को बचाना है और जो बीज समाज में जाति विशेष के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसका खंडन होना चाहिये।

अब मैं कृषि विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कृषि विभाग एक बहुत महत्व का विभाग है। मैं मंत्री महोदय को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि विभाग का सिंगल आपरेशन होना चाहिये। स्वतंत्र इकाई के रूप में होना चाहिये और उसका आपरेशन ब्लाकस्तर पर होना चाहिये। चाहे सामुदायिक विकास हो या कोआपरेटिव हो, इनका कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये। जब तक इस विभाग को अन्य विभागों के नियंत्रण से अलग नहीं किया जायेगा तब तक कृषि विभाग का कोई भी काम चाहे वह नाली का काम हो, पाखाने का काम हो, पुलों का काम हो, प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये सिंगिल आपरेशन की पद्धति माननीय मंत्री महोदय को बनानी चाहिये।

भूमि संरक्षण विभाग भी कृषि विभाग से ही सम्बद्ध है। इससे ग्रामीण अंचलों में चाहे वह रोड बनाने का काम हो, पुलिया बनाने का काम हो उन सब में लाखों रुपयों का घोटाला है और गरीबों से वह पैसा वसूल किया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय, को लिख कर भी दिया था। देवरिया में लाखों रुपये का घोटाला इस भूमि संरक्षण के अन्तर्गत हुआ है। कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। इसके लिये मंत्री महोदय, एक कमेटी प्रदेश स्तर पर गठित कर दें जो यह जांच करे कि क्या घोटाला किया गया है।

आज जिलों में दलहन, तिलहन और गन्ने के बीज का अभाव है, गेहूं के बीज का अभाव है। इसको देने के लिये यह विभाग असफल रहा है। जब तक जिला स्तर पर किसानों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, कृषि विभाग द्वारा हर चीज किसानों को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तब तक कृषि विभाग भले ही आंकड़ें प्रस्तुत करें भले ही बड़े-बड़े बंगलों में बैठकर कितने ही आंकड़ें प्रस्तुत कर लें। बड़े-बड़े आफिसर बैठकर अच्छे अच्छे आंकड़े प्रस्तुत कर दें उससे भला होने वाला नहीं। मान्यवर, जब तक हम इन चीजों को धरातल पर नहीं लायेंगे तब तक कोई हल उसका होने वाला नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूगा कि यह जो भ्रष्ट लोग हैं उनको तत्काल हटाये और जो कुछ लोगों का पोषण हो रहा है उसको समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं मनानीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने क लिये और इसमें कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। कृषि विभाग जो है वह जब तक एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम नहीं करेगा तब तक निश्चित तौर पर कृषि उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। यह विभाग केवल ब्लाक स्तर तक ही है लेकिन गांव में उसकी कोई शाखायें नहीं है। कृषक गाव में बसता है, खेती गांव में होती है, लेकिन गावों में इनकी कोई इकाई नहीं है। यही कारण है कि आज जो कृषि क्षत्र में तमाम नये नये अनुसंधान हुये है, नई-नई खोजें हुई है उसका लाभ किसानों को नहीं पहुंच रहा है। उसका लाभ तो

कुछ बड़े-बड़े किसानों को ही हुआ है। गांव में रहने वाले किसान को जिसके पास थोड़ी सी खेती है वह इन अनुसंधान से वंचित है। उसे ज्ञान विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। आज भी वह सैकड़ों वर्ष पुराने तरीकों को खेती में अपना रहा है। आज उर्वरकों का प्रयोग भारी मात्रा में हो रहा है लेकिन वह किसान उसका फायदा नहीं ले पा रहा है कि किस तरह की खाद उसके खेत में डाली जाय या कितनी खाद की आवश्यकता है।

अखबारों के माध्यम से या मंत्री जी के भाषण से जो जानकार किसान है वह मिट्टी का परीक्षण कर लेते है। लेकिन आम किसान जो है वह मिट्टी के परीक्षण से वंचित है। मैं कृषि मंत्री जी को सलाह दूंगा कि इसकी जानकारी गांवों में कराई जाय और उसके लिये कृषि सहायक नियुक्त करें जो किसानों को उनकी मिट्टी का परीक्षण करके बतायें कि उसके खेत में किस खाद की कितनी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एग्रो की तरफ खींचना चाहता हू बड़ी चर्चा हुई है और कहा गया कि कृषि मंत्री एग्रो के चेयरमैन हो गये है। यह आलोचना का विषय नहीं है यह परीक्षण का विषय है। पिछले साल एग्रो को 102·12 लाख रुपये का घाटा हुआ है और मंत्री जी ने एक साल के अन्दर घाटे को समाप्त कर दिया है तो साबित हो जायेगा कि उनका अध्यक्ष बनाना उपयोगी है। मान्यवर, एग्रो के चेयरमैन के ऊपर कई लाख रुपये का सालाना खर्च होता है। अगर मंत्री जी उसके चेयरमैन हो गये है। तो कई लाख का घाटा वैसे ही बच जायगा। जो माननीय सदस्य इसकी आलोचना कर रहे हैं। उससे मालूम होता है कि उनका कोई खास आई० ए० एस० आफिसर है या निकाला हुआ राजनीतिज्ञ है जिसको वह उसमें बैठाना चाहते है। माननीय सेहरा साहब ने लिस्ट पेश कर दी कि इस विभाग में एक जाति के लोग भरे है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति क्या माननीय कृषि मंत्री जी ने ही की है या किसी और मंत्री ने की है। अगर किसी विभाग में किसी जाति के लोग ज्यादा हो तो क्या उस जाति के मंत्री को उसमें नहीं रहना चाहिये। ऐसी बातें कहकर दूषित भावनायें फैलाई जा रही है। हमारे मित्र गुलाब सेहरा साहब ऐसे दल से ताल्लुक रखते है जहां जाति पाति की राजनीति चलती है और उसी के कारण इस मुल्क की दुर्गति हुई है और लोगों को नुकसान हुआ है। आने वाले पचास सालों में उसका खामयाजा पूरा नहीं होगा। वह तो जाति पाति के खुदस्वरूप रहे हैं। उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप किसान है, कृषि मंत्री नहीं है। एक किसान की हैसियत से सोचें कि किसानों की परेशानियां क्या हैं। आज आपके विभाग के माध्यम से जो कर्जा बांटा गया है, उनकी हालत क्या है। कोई भी ब्लाक ऐसा नहीं है जिसके किसानों पर लाखों रुपया फर्जी कर्जा न चढा हो। सीड स्टोर इंचार्ज खाद बेचकर खा गये हैं, लाखों रुपये की खाद बेंचकर आज घूम रहे हैं और किसानों से वसूली हो रही है। कोई भी तहसील बाकी नहीं है कि जहां पर 10 फीसदी किसान खाद की बकाया में जेल में खाने में न हो। जिस तरह से सहकारिकता विभाग में कर्जों का सत्यापन हुआ है उसी प्रकार से कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को बांटे गये कर्जों का सत्यापन होना चाहिये और फर्जी कर्जे लिखे गये उनको समाप्त कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृषि

[श्री बाबू राम वर्मा]

विभाग को एक इकाई के रूप में कायम करने का प्रयास करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कृषि विभाग का विकास नहीं हो सकता। कृषि विभाग के लिये नियोजन विभाग एक अभिशाप बना हुआ है। इसको नियोजन विभाग से छीन लिया जाय और अलग किया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय कृषि मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करता हूं।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस राय का हूं कि पिछली सरकार ने किसानों को वहीं तक याद किया जहां तक वह उनको वोट के लिये आकर्षित कर सके। प्रदेश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये कृषि का प्रथम स्थान है। कृषि का उत्पादन बढ़ा ऊसर भूमि का सुधार हुआ, भूमि सुधार के लिये प्रयास किया गया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी ने वादा किया, मैं इस सब के लिये उनको बधाई देता हूं। कृषि हमारे सूबे की आधार शिला है। सारी कोशिशों के बावजूद भी देश और दूसरे सूबों के मुकाबले में प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम नहीं बढ़ा सके। सिंचाई, खाद और बीज का कृषि के लिये बड़ा महत्व है। मैं आग्रह करूंगा कि उन्नत किस्म के बीज किसानों को दिये जाये। खाद समय से दी जाय। मेरी निश्चित सूचना है कि ब्लाकों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से जो खाद, बीज वितरण के लिये दिया जाता है वह समय से किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता। आग्रह करूंगा कि यदि कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो इन प्राथमिक साधनों को समय से किसानों को उपलब्ध कराया जाय। सस्ते दामों पर। उत्पादन बरकरार रहे इसके लिये आवश्यक है कि कृषि की रक्षा की जाय। भयानक संक्रामक रोगों की भयानकता को दृष्टि में रखते हुये हमारे पास संयंत्रों और कर्मचारियों का अभाव है। एक करोड़ लोगों का भोजन चूहे खा लेते है। इस प्रदेश की उपज की रक्षा अब तक नहीं जा सकी, उस दिशा में कदम उठाये जायें।

माननीय देवबहादुर सिंह ने स्वायल टेस्टिंग के विषय में ध्यान आकर्षित किया है। स्वायल टेस्टिंग का बहुत महत्व है। आज भी किसान बिना मिट्टी की जांच कराये काली, दुमट और बलुहर मिट्टी में वही खाद देता है, जबकि होना यह चाहिये कि जिस तत्व की कमी हो उसी तरह की खाद दी जाय। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 20–25 लेबोरेट्रीज स्थापित की है और इतने परीक्षण हुये हैं। परीक्षण जैसे होने चाहिये नहीं होते नहर के किनारे स्वायल टेस्टिंग इकाइयों के कर्मचारी टहल कर झूठमूठ परीक्षण करके ले जाते है। स्वायल टेस्टिंग का काम आप तेजी से करवायें।

मान्यवर, हमारे यहां 7 करोड़ के लगभग फसल का नुकसान बाढ़ के कारण हो जाता है दैवी प्रकोप के कारण फसल नष्ट हो जाती है ओले पड़ जाते हैं। सूखा आ जाता है और बाढ़ आ जाती है। इन सब के कारण फसल को हानि हो जाती है। हमारे इलाके में खरीफ की फसल बोने में किसान असमजस में पड़ा रहता है कि वह उसे बोये अथवा न बोये क्योंकि उसे बाढ़ के प्रकोप का बड़ा भय लगा रहता है। मान्यवर, आप डाक्टर लोहिया के समर्थक रहे है और हो सकता है कि आप उनके द्वारा चलाये गये दाम बान्धों आन्दोलन में जेल भी गये होंगें। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी फसल को बेचने की रहती है, वह किस भाव से बेचे। दाम के सिलसिले में मैं अपने दो सुझाव देना चाहता हूं। कृषि से जो उत्पादन होता है और जो बड़े उद्योगों में उत्पादन होता है उसकी कीमतों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामंजस्य होना चाहिये। किसान की फसल को उचित दाम पर बेचने के लिये ऐसी इकाईयों की स्थापना करनी चाहिये जो उनकी इस काम में सहायता कर सके।

मान्यवर, हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जूट की पैदावार होती है लेकिन उसके उद्योग कलकत्ते में है। हमारे प्रदेश में पैदा होने वाला सन और जूट की कीमत उद्योगपति के ऊपर मुनहसर करती है। एस0एफ0डी0ए0 से छूट मिल जाती है। जो चीजें वह अपनी मेहनत से पैदा करता है उसके मुताबिक दाम किसान को नहीं मिल पाते है। इसके लिये सरकार को समुचित प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। माननीय कृषि मंत्री जी ने मुफ्त खाद और बीज का ऐलान किया था लेकिन गोरखपुर में वह समय से नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसकी जांच करा लें। 7 मंडियां है, गोरखपुर और परतावल की मण्डी में लाखों रुपये का घोटाला है। मैं जानता हूं कि यह सही है लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करा ले। कृषि के बहुत से अमीन नौकरी से निकाल दिये गये हैं। देवरिया और कसिया आलू उत्पादन के क्षेत्र है। कई हजार मजदूर वहां पर काम करते है। मेरा निवेदन है कि उनको स्थाई किया जाना चाहिये।

पन्तनगर की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गयी है। पंतनगर कृषि की उन्नति के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मैं जब आ रहा था तो एक किताब दी गयी क्या सत्य है क्या झूठ है। उसमें डी0पी0सिंह के बारे में तमाम चीजें लिखी गयी है। मै माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसके तथ्यों की जांच करा लें। मैं यह किताब उनको दे रहा हूं। अगर इतने तकनीकी संस्थान की बरबादी हो रही हो तो सरकार इस पर प्रभावी कार्यवाही करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रज बल्लभ (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने सुझाव कृषि के सम्बन्ध में रखने का अवसर दिया। कृषि के सम्बन्ध में यहां पर बहुत से माननीय सदस्य बोले और अपने-अपने सुझाव भी दिये। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी भी बोले लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक जिला स्तर पर कोई सुधार नहीं होगा यह सब व्यर्थ है और उनसे कोई लाभ किसान को नहीं हो सकता है।

मान्यवर, हमारे जिले बदायूं में जो कृषि अधिकारी हैं उन्होंने हाल ही में 23 स्थानान्तरण किये हैं। माननीय मंत्री जी ने तो एग्रो के 20 और 30 हजार रुपये की ही बात की है लेकिन आप सोचें कि इन 23 व्यक्तियों के स्थानान्तरण में कितना खर्च हुआ होगा और फिर जो फिजिकल वेरीफिकेशन होगा, उसमें कितना खर्च होगा। जब कि शासन के आदेश इस प्रकार के है कि ट्रान्सफर्स न किये जाये, लेकिन फिर भी वह अधिकारी रिश्वत के रूप में चाहता है कि उनसे रुपया ले और सबको सता-सता कर लेता है।

मान्यवर, हमारे जिले में 2 सुपरवाइजर हैं एक बिसौली में और एक इसलामनगर में। इसलामनगर में खाद का वितरण नम्बर एक रहा और बिसौली में नम्बर 2 लेकिन बिना किसी बात के बतायें उनको सस्पेन्ड कर दिया महज इसलिये कि वे उनको धन दें लेकिन वे नहीं दे पाये। मैं डायरेक्टर के पास गया तो कहा गया कि जांच होगी, मैं मंत्री जी के पास गया तो कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

[श्री बृज बल्लभ सिंह—]

गया कि वे भी जांच करायेंगे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । बिसौली के सुपरवाइजर को आज तक कोई तनख्वाह नहीं मिली, बिना कारण बातये उसको निलंबित कर दिया । अब मंत्री जी ही बतायें कि कैसे उसके बाल बच्चे जीवित रहेंगे ? मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में बाढ़ भी आती है । वहां पर पिछली बार गल्ला और खाद मुफ्त बांटने के लिये दिया गया । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी काश्तकार-वार जांच करायें कि क्या वास्तव में वह गल्ला और खाद उन कृषिकों तक पहुंचा या नहीं । तब उन्हें मालूम होगा कि वहां पर कितना भ्रष्ट अधिकारी है जो जिले में रहता है ।

आजकल सहायक निरीक्षकों की पदोन्नति हुयी लेकिन हमारे जिले में लोगों को नहीं बताया गया कि तुम्हारी पदोन्नति हो गयी, महज इसलिये कि जब तक उनसे पैसे की प्राप्ति न हो जाये तमाम चीजें उनको क्यों बताई जायं । नकदीकरण केवल उन्हीं कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को रिश्वत के रूप में या किसी और रूप में उसे रुपया देते हैं वरना उन कर्मचारियों को नकदीकरण नहीं स्वीकृत किया जाता है जो उनको पैसा देने को तैयार नहीं होते । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक जिला स्तर के अधिकारी ठीक नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे तब तक कोई भला नहीं हो सकता है । यही नहीं वे अधिकारी सरकारी जीप का दुरुपयोग भी करते हैं, गोदामों पर जाते हैं लेकिन कहीं पर न कोई इन्सपेक्शन करते हैं और न कहीं पर कोई एन्ट्री करते हैं, पता नहीं कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और पैट्रोल का खर्चा दिखाते हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन चीजों की भी जांच कराने की कृपा करें ?

अब गल्ले की खरीद हो रही है । पहले गन्ने की खरीद हुयी जो किसानों से 3 और 4 रुपये के भाव से लिया गया । किसानों से गल्ला 92 रुपये के हिसाब लिया जाता है । मेरे क्षेत्र बिसौली में वहां के व्यापारी द्वारा 92 रुपये में गल्ला लेकर उसे 110-50 रुपये और 112 रुपये के हिसाब से सरकारी एजेंसियों को बेंच दिया जाता है । जो किसान वहां पर गल्ला लेकर जाते हैं उनको ये दाम नहीं मिल पाते हैं । मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री जी इस गल्ले की अव्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को हानि न हो ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो सदन में अनुदान प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे देश में कृषि का विशिष्ट स्थान है । कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश में सारी संपन्नता और विकास की गति खेती के ऊपर निर्भर होती है । मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30 साल की कांग्रेस हुकूमत में कृषि को समुचित स्थान नहीं दिया गया और उनके गलत नियोजन के कारण कृषि का विकास निरन्तर गिरता चला गया । नतीजा यह हुआ कि पी0एल0 480 के अन्तर्गत सड़ा गेहूं खाते-खाते निरन्तर देश के निवासियों का स्वास्थ्य गिरता चला गया । आज खुशी है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो अपने चुनाव घोषणा-पत्र में ऐलान किया था और अपनी नीतियों को निर्धारित किया था कि हम इस देश में खेती को प्राथमिकता देंगे, गांव का विकास करेंगे मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये का गेहूं जो बाहर से आया करता था वह आयात बन्द है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं ।

केंद्रीय सरकार ने भी अपने बजट का 40 फीसदी रुपया खेती के विकास के लिए लगाया है और कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट का 50 फीसदी रुपया खेती के विकास और गांव के विकास के लिये आबंटित किया है, इससे दिशा का निर्देशन मिलता है इससे आशा है कि आने वाले समय में जनता पार्टी की सरकार खेती को विकसित करके आत्म-

निर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। यह सराहनीय कार्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं। रवींन्द्र जी ने जो सुझाव दिया है और डाक्टर राम मनोहर लोहिया की कल्पना को साकार करने की बात कही है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूमि सेना गठित करने की बात कही है और वह एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सेना गठन के साथ यह भी प्रकाश डाला जाय कि वह किस प्रकार होगा, क्या काम उसको दिये जायेंगे और जिस प्रकार गठन का स्तर होगा उसको स्पष्ट करना चाहिये।

असल समस्या हमारे प्रदेश में किसानों की यह है कि उनका क्रय शक्ति रोज घटती जा रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे उत्पादक के दो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है तो उत्पादित वस्तुओं में उन दोनों के दामों में कोई संतुलन नहीं है। नतीजा यह होता है कि खेती की पैदावार निरन्तर बढ़ती जाती है और जो लाभ उससे होने वाला होता है उस अनुपात में नहीं होता। उधर उद्योग धंधों में मनमाने तरीके से काम होता है और रोज-रोज मिल मालिक अपनी पैदावार के दाम बढ़ाते जा रहे हैं और उन पर अंकुश लगाने में सरकार असफल रही है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती और उद्योग धंधों में जो उत्पादन होता है उनके दरमियान दामों में संतुलन कायम किया जाना चाहिये।

एक और बड़ी अजीब बात है कि जब किसान के यहां गल्ला तैयार होता है गेहूं तैयार हो होता है, धान तैयार होता है तो फौरन उनके दाम बेतहाशा गिर जाते हैं और वहीचीज जब छोटे किसान को, गांव के गरीब मजदूरों की लेनी पड़ती है तो बड़े मंहगे दामों पर मिल पाती है। कोई संतुलन नहीं है, कोई नीति नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में 20 परसेंट से ज्यादा का उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिये। यह एक नजरिया होना चाहिये सरकार का जिससे हमारे किसानों की जो पैदावार है उसकी लूट के सिलसिले को रोका जा सके।

मान्यवर, हमारे देश में प्रदेश में अच्छी खेती के लिए अच्छे बीज अच्छी सिंचाई की सुविधा और उर्वरक ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनको किसान को सही दामों पर मुहइया किया जाना चाहिये। इस दिशा में कृषि मंत्री जी ने जो पुस्तिका प्रस्तुत की है जैसी बजट में व्यवस्था की है उससे साफ होता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और अनाज की समस्या का निराकरण हो पायेगा। एक बात की ओर में कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था और सवालों के जरिये भी सवाल उठाया था कि फैजाबाद जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसको विकसित करने के लिए, वहां कृषि और औद्योगिक विकास के लिये आचार्य नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। मुझे उसके लिये आन्दोलन के संबंध में जेल जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था और लम्बी लड़ाई के बाद पिछली गवर्नमेंट को मजबूर किया था। और आज उस कृषि विश्वविद्यालय को माननीय कृषि मंत्री जी दूसरी जगह ले जाने का प्रयास कर रहे है। यहां पर जब जब मैंने प्रश्न पूछा है उत्तर में यही बतलाया गया है कि परीक्षा की जा रही है। आजमगढ़ जाते समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि फैजाबाद का कृषि विश्वविद्यालय हटाया नहीं जायेगा, जब यहां प्रश्न किया तो उत्तर दिया कि परीक्षा की जा रही है। 50 लाख रुपये अब तक इस विश्वविद्यालय के कारण खर्च हो चुके हैं,

(1) श्री श्रीराम द्विवेदी—

किसानों की जमीन एक्वायर की जा चुकी है, आवश्यक सड़कें भी बनायी जा चुकी हैं। 5-7 सरकारी नलकूप भी लगाये जा चुके हैं। इतने खर्च करने के बाद अब अगर उस कृषि विश्वविद्यालय को वहां से हटाया जाता है तो यह किसी भी प्रकार से उचित न होगा। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे वहां से न हटाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। कृषि के लिये अच्छे पशुओं का होना भी नितांत आवश्यक है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि अच्छे पशुओं की व्यवस्था हो सके। गरीब किसानों को इसके लिये अनुदान भी मिलना चाहिये। ट्रैक्टरों की सुविधा भी गरीब किसानों के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिये। किसानों के लिये समय-समय पानी, बीज और खाद की भी व्यवस्था करायी जानी चाहिये। बीज अच्छा और समय से मिलना चाहिये। पानी की व्यवस्था जगह-जगह होना चाहिये। हमारे यहां गोरखपुर में सिंचाई नहरों से होती है, किन्तु जो स्थान ऊंचे हैं वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः वहां पर नलकूप की व्यवस्था होना चाहिये। पानी न मिलने से किसान बहुत परेशान रहता है और उसकी फसल चौपट हो जाती है।

खाद किसानों के लिये समय से 2 माह पहले ही पहुंच जाना चाहिये। होता यह है कि जब यूरिया खाद की जरूरत होती है तो उनको मिट्टी वाली खाद मिलती है, जब मिट्टी वाली खाद की जरूरत होती है तो यूरिया खाद मिलती है ऐसा नहीं होना चाहिये। जब जिस खाद की जरूरत हो वही खाद मिलना चाहिये।

किसानों को बीज भी उत्तम किस्म का दिया जाना चाहिये। होता है यह कि एक बार जो बीज मंगाया, उसी को दो तीन बार बो कर, फिर वही किसानों को दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

हमारे यहां दलहन और तिलहन का बहुत ही अभाव है। इसकी पैदावार बढ़ाने की अगर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। गन्ने की खेती कम कराने तथा इसके स्थान पर कपास जूट, मूंगफली आदि की खेती अधिक कराने की व्यवस्था कराना चाहिये। खेती के लिये कीटनाशक दवायें भेजनी चाहिये और ग्रामसेवकों को आर्डर देना चाहिये कि हर हफ्ते गांव में पहुंच करके फसलों को देखें और जहां फसलों में बीमारियां दिखायीं पड़ें वहां तत्काल पहुंच कर दवा छिड़कें। हर न्याय पंचायत में दवा छिड़कने की दो मशीनें होनी अनिवार्य है ताकि समय-समय पर फसलों पर दवा छिड़की जा सके और पैदावार बढ़ सके। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि फल, शाक भाजी की पैदावार बढ़ायी जाय ताकि लोग इनका प्रयोग कर सकें। इनकी पैदावार के संबंध में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये। आलू के लिये जगह-जगह पर भंडार गृह खोलने चाहिये। चूहों से फसल बचाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये ताकि फसल बरबाद न हो सके।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

श्रीमन्, जी कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी इस माह की छैं तारीख को केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री बरनाला श्रीनगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गढ़वाल पधारे थे। उद्यान और कृषि के बड़े-बड़े अधिकारी उनके सामने बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि पहाड़ का विकास में कुछ कम देख रहा हूं। मान्यवर, अधिकारियों ने कहा कि यहां पर बहुत विकास हुआ है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग में एक भी नीबू का पौधा मुझे नहीं दिखाई दिया तो फिर विकास कहां हुआ है। श्रीमन्, अधिकारियों ने कहा कि ऊंचे पहाड़ों के पीछे जायं तो वहां बड़े-बड़े उद्यान मिलेंगे। तो कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह दशा वहां की है जहां सड़क जाती है तो जहां आने जाने के साधन नहीं है उस जगह की क्या स्थिति होगी। तो मान्यवर, मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली बार एक ऐसे आदमी ने ठीक कहा और पैनी निगाह से देखा। सुन्दर अलकनन्दा और भागीरथी बह रही हैं लेकिन उनके दोनों किनारे सुनसान वीरान है एक भी फलदार वृक्ष नहीं है। तो यह तो उद्यान विभाग के लिये एक चुनौती है। आने वाले समय के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, मुनि की रेती से ऋषिकेश जहां पहाड़ शुरू होते हैं और बद्रीनाथ तथा केदार नाथ की जो घाटियां हैं उनके दोनों तरफ मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी नदियों की जो ढलान हैं उन पर 3–4 हजार फीट की ऊंचाई तक सुन्दर खेत होने चाहिये। इसके ऊपर माल्टा, सेब, अखरोट की जमकर खेती होनी चाहिये। मैं जिस जनपद का प्रतिनिधित्व करता हूं सौभाग्य से उसमें केवल 9 ब्लाक हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जोशीमठ ब्लाक में आलू, जड़ी बूटियों और चाय की खेती होनी चाहिये। इसको वरीयता मिलनी चाहिये। पराली ब्लाक में सेब और जड़ी बूटियों और चाय की खेती होनी चाहिये। मंदाकिनी, केदारनाथ ब्लाक में माल्टे की खेती को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इसी तरह से कर्ण प्रयाग, नागनाथ ब्लाक में सेब और माल्टे की खेती होनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम हमेशा गरीबों का गीत अलापते है किन्तु 40 साल में हमने देखा कि वृद्ध औरतें चाहे वह मेरी मां ही क्यों न हो वह कहती है कि भगवान मुझे मौत दे दे। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे यहां पहाड़ों में जो पीठ का बोझ पड़ता है उससे वहां लोग दुखी हैं जैसे गेहूं का बोझ, धान का बोझ, घास का बोझ इत्यादि बोझ पीठ पर लादकर 6–8 मील की दुर्गम चढ़ाइयों को, चाहे गर्मी हो या जाड़ा, चढ़ना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंत नगर में नाना प्रकार के औजारों का जिस प्रकार आविष्कार होता है उसी प्रकार उनके लिये भी ऐसे औजारों का अविष्कार करें। मान्यवर, जहां कृषि की मंत्री जी बात करते है वहीं चारे की भी व्यस्वस्था करनी चाहिये।

मान्यवर, अभी हमारे एक साथी ने रासायनिक खादों का जिक्र किया और हम उनका प्रयोग करते है। लेकिन सावन की बरसात में मेरठ और मुरादाबाद में वह खाद पहुंच जाती है। चूंकि वहां गन्ना और गेहूं ज्यादा होता है। इसलिये मान्यवर, मैंने कल भी अपने वक्तव्य में कहा था कि पहाड़ तो मुक्ति देने वाला प्रदेश है इसलिये वहां भी खाद की अच्छी व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, हमारे यहां कटाव की एक बड़ी समस्या है। इसलिये जो हमारे यहां कटाव होता है उसको रोकने के लिये मंत्री जी कुछ करें।

मान्यवर, हमारे यहां माल्टे की पैदावार अच्छी हुई जिसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन हमारे वहां गरीब चाहता है कि उसके माल्टा की बिक्री हो जाय तो 5 रुपये में 100 माल्टे के दान बिकते है जबकि जो लोग उनको खरीदते हैं वह 150 रुपये से 100 माल्टे के हिसाब से बेचते है। इस प्रकार उन लोगों का कितना भीषण शोषण होता है। इस लिये वो

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—]

जगहों पर जोशी-मठ और रुद्रप्रयाग में यदि कोल्ड स्टोरेज बनवा दें तो उससे गरीबों को प्रोत्साहन मिलेगा। मान्यवर रानीखेत में सेब पर बहुत अनुसंधान होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि रानीखेत की घाटी छिमतोली में एक अनुसंधानशाला खोलें जिससे वहां इस पर अनुसंधान हों।

मान्यवर, कृषि के अधिकारी जो ऊपर से नीचे बुलाये जाय या नीचे से ऊपर भेजे जायं, चूंकि पर्वतीय विकास विभाग का पैसा खर्च होता है, तो मंत्री जी पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री जी से कंसल्ट करके ही ऐसा करें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, ग्रामों में ग्राम सेवक ज्यादा काम करते हैं लेकिन उनकी सुविधा को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिये कृषि मंत्री जी आप अपने दिल से उनके बारे में सोचें, चूंकि वह फलों और खाद को ले जाता है और उसका प्रचार धूम-धूम कर करता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अवश्य ग्राम सेवक के बारे में विचार करेंगे। अधिष्ठाता महोद, आपने जो मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश ही क्या पूरा देश ही कृषि प्रधान देश है। लेकिन देश और प्रदेश कृषि प्रधान होते हुये भी मैं देखता हूं कि हमारे यहां कृषि को प्रधानता नहीं मिल रही है। मान्यवर, इस संबंध में कृषि को प्रधानता न देने का कारण यह है कि हमारे यहां पर्याप्त साधनों की कमी है। मैं देखता हूं कि न तो यहां अच्छे बीजों की व्यवस्था है, न खाद की और न यंत्रों की ही व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज के मूल्यों का भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है जैसे गेहूं का भाव 112.50 रु0 क्विन्टल निर्धारित किया गया जोकि आज बाजार में 100 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है।

गन्ने के गिरते हुये भावों की आजकल सर्वत्र चर्चा है। किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है। उनका गन्ना मिट्टी के मूल्य बिक रहा है। आलू का भी यही हाल है। मैं जानता हूं कि इस सरकार की गल्ला व्यापार अपने हाथ में लेने की नीति नहीं है। इससे किसानों को उनके उत्पादनों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। अतः यदि सरकार गल्ले का व्यापार अपने हाथ में ले ले तो बड़ा अच्छा होगा। इससे किसानों के कृषि उत्पादक का भाव बढ़ जायेगा और उन्हें राहत मिलेगी।

अगर भ्रष्टाचार की समता दृष्टि भूमि संरक्षण और पुलिस विभाग में की जाये तो यह विभाग आगे निकल जायेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भूमि सीमा विभाग में हो रहा है मैं अपने क्षेत्र नरैनी जिला बोदा का उदाहरण देना चाहता हूं। मेड़ों के निर्माण में बड़ी धांधले गर्दी है। ऊंची मेड़ों में थोड़ी मिटट्टी डालकर पूरी मिट्टी के दाम किसानों में वसूल किये जा रहे है। समतलीकरण के नाम पर काफी पैसा भूमि संरक्षण अधिकारी कमा रहे हैं किसान के पास इतना पैसा है नहीं जो बुल्डोजर द्वारा अपने खेतों को समतल करा सके। करतल, कालीजर, की तरफ नेवुआ, माखनपुर, खलारी, चन्द्रपुरा, करतल हुची, रेहुंची पंचमपुर, नहरी, पोगरी, कनाव, लोकिया पतोड़ा चकला, लुक धौ रही, मऊ टिटिहरी, काजीपुर, गुढ़कला, नीबी, सढ़ा अदि ऐसे गांव मेरे जिले बांदा के है जहां यदि सरकार बुलडोजरों को चलवाकर भूमि समतल करा दे तो यहां के किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी योगदान दे सकते हैं।

खाद और बीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सही है कि खाद के दामों में गिरावट आई है लेकिन उतने दाम नहीं गिरे है जितने अनाजों के दाम गिरे है। खादों में भी फर्जी कम्पनियों की एवं मिलावटी की खाद बना रही है। जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसानों को शोधित और प्रमाणित पूरे बीज का 5 प्रतिशत से

ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। उनकी कीमत इतनी ज्यादा है जो अनाज के भावों में से दुगने दाम पर बिक रहे मैं मै मानता हूं कि बीजों का शोधित और प्रमाणित कराने में काफी खर्चा लगता है। लेकिन अनाज के भाव से बीज दुगुने या तिगुने है, उनका खरीदना किसानों के लिये मुश्किल है। जैसे धान का भाव 90 या 80 रु0 प्रति क्विन्टल है लेकिन धान के बीज का भाव 180 रु0 प्रति क्विन्टल है जो कि लगभग दुगना है। दवा के सम्बन्ध में कहना है कि दवाओं की स्कीम के लिये किसी गांव के आदमी को ट्रेन्ड करके उसे दवायें दे दी जांय और वे ही गांवों में दवाइयों को छिड़काव की व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, देखा जाता है कि जो दवाइया फ्री दी जाती हैं उनका पैसा अधिकारियों द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहना है कि आप ब्लाक स्तर पर कृषि विभाग को ब्लाक से अलग कर दीजिये तो अच्छा रहेगा। कृषि इकाई ज्यादा अच्छा काम करेगी उससे कृषि की उन्नति होगी। बी0 डी0 ओ0 के अण्डर में होने से कृषि की उन्नति नहीं हो पाती है। इसको अलग करने में बी0 डी0 ओ0 ही अड़ंगा डाल रहा है जिससे कृषि विभाग अलग नहीं हो पा रहा है अगर यह योजना लागू कर दी जायगी तो इससे किसानों को काफी लाभ होगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 111 करोड़ 76 लाख 36 हजार 300 रु0 की धनराशि का मैं समर्थन करता हूं इस धनराशि को कृषि विकास, औद्यानिक विकास, भूमि तथा जल संरक्षण, क्षेत्र विकास, कृषि योजनाओं एवं अग्रिम ऋणों के अन्तर्गत व्यय किया जायगा और उस लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा कि गांव की ओर चलें। 1977–78 में 206.70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पदान हुआ जब कि चालू वर्ष में माननीय मंत्री महोदय ने 215 लाख टन का लक्ष्य रखा है। अब में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह है कि कृषि विभाग को तकनीकी विभाग घोषित किया जाय, दूसरा यह कि कृषि विभाग में एक सूत्रीय प्रशासन लागू किया जाय। जबकि सचिवालय स्तर से ब्लाक स्तर तक आई0 ए0 एस0, पी0 सी0, एस0 एस0 डी0 एम0, बी0 डी0 ओ0 आदि अधिकारी जो प्रशासन में माहिर हैं और कृषि के वैज्ञानिक स्वरुप से विशेष परिचित नही हैं कार्य का सम्पादन करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हाल ही में श्री के0 शरद बाबू ए0 डी0 एम0 परियोजना, फरुखाबाद ने बाजरे को अच्छी फसल को बहुत अच्छी गन्ने की फसल कह कर सम्बोधित किया। सारे गांव के लोग हसने लगे कृषि निरीक्षक महोदय ने श्रीमान जी को बताया कि यह बाजरे की फसल है।

वर्ष 1928 में रामल कमीशन, 1958 में नालागढ़ कमीशन, डाक्टर रामसुभग सिंह कमेटी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी एक सूत्रीय प्रशासन की स्थापना हेतु स्पष्ट मत प्रगट किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी व केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस ओर इंगित किया है कि जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा देश समृद्धिशाली नहीं होगा। कृषि विभाग का नियन्त्रण एक सूत्रीय करके कृषि उत्पादन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाय। राष्ट्रीय प्रदर्शनों की उपज 62 क्विन्टल प्रति हेक्टयर है जब कि औसत उपज 16.80 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर है यानी 45.20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर कम पैदा होता है जिस बढ़ाया जाय। सचिवालय से लकर ग्राम सेवक के स्थान पर 'कृषक सहायक तथा एक सूत्रीय प्रशासन लागू कर व कृषि विभाग को तकनीकी घोषित करें।

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]
कल्पना कीजिये कि आपका प्रदेश धनधान्य से परिपूर्ण हो जायेगा अगर यह योजना मंत्री महोदय लागू कर दें । मेरा सुझाव है कि कृषि विभाग में एक सूत्रीय प्रशासन लागू किया जाय और कृषि विभाग तकनीकी घोषित किया जाय । आज ग्राम सेवक का लगभग 80 फीसदी समय ऋण वितरण, लिंग रोड, अल्प बचत.सहकारिता, उद्योग, पंचायत युवक निर्माण आदि अन्य कामों में लगा रहता है, वह भी बहुत उपयोगी है ।

श्री अधिष्ठाता--
आप तो सभी पढ़ रहे हैं ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--
इसलिये इसके अतिरिक्त 'कृषि सहायक' की नियुक्ति की जाय जो उन्नतिशील कृषि प्राविधिक, भूमि उपयोगिहंता एवं जल संरक्षण द्वारा तत्व संकलन पौध रक्षा बहु फसली उपज, कीट भू-तत्व विनाशक ज्ञान कृषक तक पहुंचाएं और खाद अच्छे बीज व कीटनाशक औषधियों का वितरण स्वयं अपने पास रखते हुये करें तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी और हम अपने लक्ष्य से आगे बाढ़ेंगे ।

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुये)

श्री अध्यक्ष
आप बिना लाउड स्पीकर के बोलें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--
बंगाल हरियाणा और राजस्थान सहित सात प्रदेशों में यह योजना लागू की जा चुकी है। मेरा निवेदन है कि आप इस योजना को अवश्य लागू करें । एक बात और याद दिलाना चाहता हूं । यहां पर पन्तनगर की चर्चा की गई है । कानपुर में आजाद चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय है, जहां पर उपकुलपति के विषय में अनेक विवाद उठाये जा चुके हैं, अनेक बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप पन्तनगर की पुनर्वृत्ति नहीं चाहते हैं तो गम्भीरता से इसे विचार करिये और 80 वर्ष के बूढ़े उपकुलपति महोदय को रिटायर करिये और उनको बद्रीनाथ भेज दीजिये जहां पर वह नारायण-नारायण का जाप करें ।

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)--
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि अनुदान पर माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाय तो 55 फीसदी जो कृषि पैदावार है, उसकी इन्कम 55 फीसदी कृषि पैदावार से होती है । यदि देखा जाय तो 78 प्रतिशत लोगो को काम भी इसी की वजह से मिलता है । 74 में मुझे जापान जाने का अवसर मिला है मैंने देखा है कि वहां के तमाम खेती करने वाले लोंगो की पर कैपिटा इनकम दूसरे उद्योग धन्धों में लगे लोगों की पर कैपिटा इनकम से अधिक है और मुझे कहने में जरा भी संकोच नही है कि वहां के किसानों की जो पैदावार है, उस पैदावार को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है कि वहां की सरकार किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह सब साधन उपलब्ध कराती है जो किसानों को समय-समय पर जरुरत होती है । अगर किसानों की खेती के लिये यह आवश्यक है कि पानी मिले तो उसकी सुविधा सरकार करती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यदि खेती को खाद देने की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था सरकार करती है। यदि मिट्टी के परीक्षण करने की आवश्यकता होती है तो वह भी सरकार द्वारा होता है और उसके बाद जो उत्पादन होता है और उत्पादन हो जाने के बाद जो उसका मूल्य मिलता है, उसका उचित मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहां पर एक बार जो चावल पैदा हुआ था, उसमें एक प्रकार से घटौती हो गई, वहां पर जब कमी हो गई, तो उसकी पूर्ति के लिये संघर्ष हुआ। उसमें किसानों के प्रतिनिध, विशेषज्ञों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों ने लगातार 1 महीने तक डिसकशन किया। उसमें निश्चय हुआ कि किसानों की पैदावार का जो मूल्य मिलना चाहिये, वह मिले। उसमें यह निर्णय हुआ कि किसानों को उचित मूल्य जो सरकार नहीं चाहती थी, उसका निर्णय किसानों के पक्ष में हुआ।

आज अपने प्रदेश म खेती की उन्नति के लिये 4 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले सिंचाई उस के बाद अच्छा बीज, अच्छी खाद और अच्छे कृषि संयत्र। मान्यवर, अगर प्रदेश के अंदर हम इन चार चीजों को उपलब्ध करा दें तो किसानों का हित हो सकता है। लेकिन सिंचाई का मूल्य किसानों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस मूल्य पर उसे खाद मिलनी चाहिये थी उसका मूल्य कहीं अधिक है। अच्छे बीज उसे सस्ते रेट पर नहीं मिल पाते हैं और मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि कृषि यंन्त्रों का भी मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिस का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश का किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। किसानों की उन्नति जिस प्रकार से होनी चाहिये थी वह आज नहीं हो रही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कृषि मंत्री जी ने इसका प्राविधान किया है, किसानों को सहूलियत देना चाहते है लेकिन जो सहूलियत किसानों को मिलनी चाहिए थी वे उनको नहीं मिल पाती है। किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने पैदावार चरम सीमा पर की लेकिन उस सीमा तक पैदावार करने पर भी उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल सका। कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि जो गेहूं पैदा हुआ है उसको 112 रुपये 50 पैसे पर क्रय करेंगे लेकिन पिछले इतिहास को देखते हुये मैं ऐसा समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जो विचोलिये है, आढ़तिये है उनका मनोबल ऊंचा है वे किसानों से उनकी पैदावर की उचित कीमत नहीं दिला पाते है।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो पैदावार किसान बढ़ाना चाहता है वह किसान के हित में नही है भले ही राष्ट्र के हित में हो। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं क्योकि किसान उत्पादन बढ़ा कर इस देश के लाखों लोगों की अन्न की समस्या का समाधान करना है लेकनि किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता जिसका परिणाम यह होता है कि वहकोआपरेटिव बैंक के कर्ज से दब जाता है। कृषि विभाग के कर्ज से दब जता है। मुझ याद है मैं राजस्व मंत्री जी के यहां बैठा था मैंने वहां पर देखा वहां पर बात हो रही थी कि राजस्व की वसूली रोकी जाय क्योकि किसानों के पास पैसा नहीं है। मान्यवर, जो किसान उत्पादन करते है। उसका उनको उचित मूल्य मिलना चाहिये ताकि उसको कुछ लाभ हो सके।

विरोधी पक्ष के सदस्य ने आक्षेप किया कि कृषि मंत्री जी सजातीय वर्ग के हैं। मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस की परम्परा है। इस प्रकार का व्यक्तिगत आक्षेप निन्दनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के आक्षेप समाप्त किये जाने चाहिये। विरोध ही करना था तो स्वस्थ विरोध करते। इन शब्दों के साथ में कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री]
आशा करता हूं कि प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा ।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आप के माध्यम से अपने साथी श्री देव बहादुर सिंह के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं । मान्यवर मैं कृषि मंत्री जी के भाषण को बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था । उन्होंने एक बड़ा सुन्दर चित्र इस प्रदेश के कृषि उत्थान के लिये खींचा । यद्यपि मैं जानता हूं कि कल्पना के संसार में विचर रहे थे, वास्तविकता से कोसों दूर रहे । लेकिन उनके सुन्दर मनसूबे के लिये मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । उनकी एक कल्पना जिसकी मैं सराहना करूंगा, यह थी कि जो प्रदेश में 17 प्रतिशत जमीन ऐसी पड़ी है जिस पर खेती नहीं होती उस तरफ मंत्री जी का ध्यान गया है । उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सम्भवत: वह एक भूमि सेना स्थापित करके इस ऊसर और बीहड़ जमीन को कृषि योग्य बनाने का प्रयास करेंगे । यह बड़ा ही सराहनीय कार्य होगा । मान्यवर, अगर कानपुर से बुन्देलखंड की तरफ जाने के लिये आगे बढ़िये तो लाइन के दोनों तरफ ऐसी भूमि सैकड़ों मील तक दिखलाई पड़ती है जिसे देखकर मालूम पड़ता है कि वह इस बात की अपेक्षा कर रही है कि इस प्रदेश के उत्थान के लिये उस जमीन को जितनी शीघ्र हो सके, उपजाऊ बनाया जाय । हमारे कृषि मंत्री जी का ध्यान उधर गया है मैं पुन: उनको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मान्यवर, जहां तक कृषि का संबंध है यह सर्व विदित है कि कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था और सम्पन्नता का सबसे बड़ा साधन है । जहां तक कृषि से सरकार को होने वाली आय का संबंध है वह 5 प्रतिशत पैसा सरकारी कोष में कृषि से आता है लेकिन जिस किसान से इतना पैसा सरकारी कोष में जाता है वही अभागा सबसे निर्धन और गरीब है । यह प्रदेश के लिये बड़े कलंक की बात है । कृषि मंत्री जी नौजवान है और काम करने की उनकी अभिलाषा है, है, आशा है वह इस ओर ध्यान देगें ।

मैं दो-तीन बातें अपने जिले के संबंध में कहना चाहता हूं । मान्यवर, आपको विदित ही है कि हमारा जिला प्रदेश के सब जिलों में निर्धन है । वहां दो तीन चीजों की खेती इस प्रकार की होती है जो प्रदेश में ही नहीं प्रदेश में भी नहीं होती । मूली हमारे वहां की विशेष पैदावार है । 15 किलो से 20 किलो तक के वजन की मूली होती है । यह जौनपुर में ही होती है । अगर उसका बीज अन्यत्र ले जाकर डाला जाय तो उस तरह की मूली नहीं होगी । इस पर अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, यह स्वयं सिद्ध है कि यह वहीं की धरती पर होती है । मेरा निवेदन है कि इसका विस्तार करें और चाहें तो इस पर अनुसंधान करावें । इसी तरह विशेष प्रकार की वहां मक्का भी होती है । उस पर भी अनुसंधान की आवश्यकता है । हमारे जौनपुर में सुगंधित तेल बनता है और वहां, बेला चमेली, केवड़ा आदि फूलों की खेती होती है लेकिन अब किसान का उसमें परता नहीं पड़ता इसलिये एक बढ़िया उद्योग बरबाद होने जा रहा है । उस दिशा में आप ध्यान दें और उस उद्योग को फलता फलता बनावें ताकि इस प्रदेश की सुगन्ध सारे देश में फैल जाय ।

श्रीमन्, फैजाबाद के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे । शायद आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के बारे में साजिश हो रही है । उस विश्वविद्यालय को रायबरेली जिले में कहीं ले जाया जा रहा है । उसके लिये वहां जमीन देखी जा रही है । श्रीमन्, यह उचित बात नहीं होगी । क्योंकि जब फैजाबाद के लिये विश्वविद्याल का प्लान हो चुका है और उसके लिये जमीन और सारे उपक्रम और आवास बनकर तैयार हो चुके ह, तो उनको गिरा दिया जाय और उस जमीन की कोई उपयोगिता न हो और दूसरी जगह जमीन लेने का प्रयास हो, तो यह ठीक नहीं होगा । माननीय मंत्री जी इसको देखें ताकि इस तरह का कोई जघन्य अपराध न हो सके ।

दूसरी बात, श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने भाषण में कही कि इस साल आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुयी और उसमें काफी विकास हुआ। इसमें संदेह नहीं है। प्रदेश के सभी जिलो में इस प्रकार का आलू पैदा हुआ है और मैं जानता हूं पश्चिमी जिलों में जहां के मंत्री जी है, आलू की यह स्थिति है कि वह खराब हो रहा है और उसकी दुर्दशा हो रही है। एक रूपये का 4 किलो आलू ठेले पर बेचा जा रहा है। आलू में सड़न पैदा हो गयी है। रखने की जगह नहीं है। कोल्ड स्टोरेज ने जवाब दे दिया है। लोगों के घरों में सड़न पैदा हो गयी है। आलू को सड़कों में फेंकना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि प्रतापगढ़ का एक आदमी अपना आलू रखने जौनपुर के कोल्ड स्टोरेज में गया। जब वहां जगह नहीं मिली तो बनारस गया। वहां भी कोल्ड स्टोरेज में जब जगह नहीं मिली तो अपने घर वापस ले आया और उसका सारा आलू समाप्त हो गया। तो मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी है। आशा है कृषि मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे और आगे आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज का विस्तार करेंगे ताकि लोगों का आलू सुरक्षित हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी नरायण (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, किसान तो आकाश की तरफ देखा करता है उसी तरह मैंने आपकी कृपा की प्रतीक्षा की है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप विषय पर आइये।

श्री लक्ष्मी नरायण—

मान्यवर, हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जो गंगा और जमुना द्वारा सिंचित है और संसार का एक जबर्दस्त उपजाऊ भाग है। लेकिन फिर भी हमारा यह प्रदेश हिन्दुस्तान के साथ तरक्की में पिछड़ गया है। तो श्रीमन्, ऐसी कौनसी बात है जिसकी वजह से यह कृषि प्रधान प्रदेश पिछड़ गया है। हमारे प्रदेश में 55 प्रतिशत जो आमदनी है, वह कृषि से होती है। इसी से पता चलता है कि यहां हमारा कृषि प्रधान व्यवसाय है और हमारे प्रदेश् की आबादी का 78 प्रतिशत कृषि के काम में लगा है।

इसी प्रदेश का भू-भाग बुन्देलखंड है जिसके नाम से लोग चौंक जाते हैं। लेकिन चौंकने की क्या बात है? इस प्रदेश का 11.4 भाग बुन्देलखंड पड़ता है और प्रदेश में जब कभी कोई लड़ाई आयी, और सरकार को अन्न देने का मौका आया तो ये चार जिले-जालौन, झांसी, बांदा और हमीरपुर ने काम किया, ऐसे सीमित साधन हैं, वहां कि वहां की धरती पानी के लिये तरसती है जबकि हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हमारे सिंचाई मंत्री जी बुन्देलखंड के थोड़े से भू-भाग में गये हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वहां के और भी भू-भाग को देखने की जरूरत है जहां पर कि 50/50 गांव ऐसे हैं जो कि 2/3 मील से पानी पीने के लिये लाते हैं। ऐसी प्यासी जमीन के हम रहने वाले हैं। यद्यपि इसका पुराना इतिहास है। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलन्द थी। लेकिन हमारे बुन्देलखंड की धरती प्यासी है। हजारों साल पहले जो बुन्देलखंड पृथ्वीराज की लालच का विषय था, जहां की जमीन हीरा उगलती है और जहां के जंगल फलों से भरे थे, जहां शरीफा पैदा करते थे और आज भी पैदा कर रहे हैं। तो वह क्षेत्र आपकी नजरों से ओझल न हो जाय। उत्तर प्रदेश का एक किनारा उत्तरी किनारा है। उस पर काफी खर्च किया जा रहा है। उससे हमको जलन नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस बुन्देलखंड क्षेत्र से निकल कर ही कुछ भाई बहन वहां जाकर बस गये हैं। हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हिमांचल प्रदेश को आबाद किया और इसी उत्तरी किनारे के लिये यह ठीक है कि पर्वतीय विकास निगम बना दिया गया लेकिन दूसरा किनारा

श्री लक्ष्मी नरायण—

यानी जो बुन्देलखंड क्षेत्र है वह धूल धूसरित बना रहे, तो जो सुन्दरता है उसमें क्या चार चांद लग सकते हैं जिस तरह आपने उत्तरी प्रदेश के लिये निगम कायम किया है और उसी तरह आपको बुन्देलखंड के लिये विशेष तौर से एक निगम स्थापित करना होगा ।

इधर हमारे कुछ भाइयों ने यह बतलाया कि फैजाबाद से कृषि विश्वविद्यालय हटाया जाय । आज हटाने की जरूरत नहीं है । 11 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में एक-एक करोड़ की आबादी के मध्य एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये । और विश्वविद्यालय चाहें समाप्त हो जांय लेकिन बुन्देलखंड क्षेत्र के लिये कृषि विश्वविद्यालय अत्यन्त आवश्यक है । हमको यह बात सुन कर हर्ष होता है कि कुछ दिलचस्पी कानपुर के चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय ने लेना शुरू कर दिया है । बेला ताल एक जगह है वहां फसल संबर्द्ध केन्द्र कायम किया गया है लेकिन साहबी तरीके से काम किया जाता है । जरूरत इस बात की है कि हर लेविल पर साहबी तरीके से काम न करें लेकिन जहां कृषि का सम्बन्ध है वहां तो मजदूर किसान बन कर गांव के एक एक खेत पर काम करना चाहिये ।

मेरे जिले में दो इंटरमीडियेट कालेज कृषि के हैं और एक डिग्री कालेज भी है । इन्टर मीडियेट कालेज में 6–6 स्नातक है और डिग्री कालेज में 15–20 स्नातक होंगे । चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय के जो बड़े-बड़े प्रवक्ता हमारे जिले में आते हैं वह साहबी तरीके से थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं वहां जो तीन दर्जन कृषि के प्रवक्ता और स्नातक ह क्या उन्होंने उनकी एक्टिविटी करने की कोशिश की है तो जवाब होगा नहीं की है । विद्यालय के अध्यापक तरसते हैं कि उनसे काम लिया जाय । स्कूल में जो प्रयोगात्मक विषय के अध्यापक हैं वे सम्पर्क चाहते हैं और इतवार को भी काम करना चाहते हैं बिना पैसा लिये हुए । 35 वर्ष से मैं उस क्षेत्र में पढ़ाता आ रहा हूं । ये विद्यालय जो देहाती क्षेत्र में हैं कृषि के सम्बन्ध में उनके शिक्षक चाहते हैं कि उनसे थोड़ा ही काम ले लिया जाय तो जो मोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं वे देखेंगे कि कैसी ते जी से वे काम करते हैं । हम अपने क्षेत्र से पूरे प्रदेश का 10 प्रतिशत गेहूं देते हैं, चना 25 प्रतिशत और तिलहन 30 प्रतिशत देते हैं । हमारा जिला तिलहन के लिये विशेष स्थान रखता है । अगर हमारे कृषि के विशेषज्ञ तिलहन की तरफ विशेष ध्यान दें तो हमारे किसान का जीवन बहुत अच्छा बन जायगा ।

कुछ मुझे एग्रो के सम्बन्ध में कहना है । सफेद हाथी इसे कहा गया है । सीधी सी बात है करोड़ों रुपया जिसमें लगा हो वहां फायदा न होता हो, घाटे में सारा काम चलता है उसके मानी यह हैं कि जरूर कहीं त्रुटि है । इसकी जांच के लिये एक समिति विधायकों की बनाई जाय । जो लोग वहां काम करते हैं वे अभी तक अस्थायी हैं, उनको स्थायी भी नहीं किया गया । मैं आपका ध्यान इन दो लाइन्स की तरफ खींचना चाहता हूं ।

जब यह भू-भाग धन-धान्य से भरा था, तब

जापर विपदा पड़त है, वह आवत यहि देश,
चित्रकूट में रम रहे, रहिमन अवध नरेश ।।

लेकिन आज बुन्देलखण्ड की यह हालत है

जापर विपदा पड़त है वह आवत यहि देश,
आवत ही खिसकन चहत लखकर कठिन कलेश ।।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं इस सदन का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और मैं तो यह कहूंगा कि इसमें सभी लोगों ने मेरे कटौती

के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी भावना व्यक्त की चाहे वह कृषि रक्षा की बात हो या फसल में दवाओं के छिड़काव की बात हो। भूमि की बात माननीय सदस्यों ने कही और उन्होंने यह भी माना है कि नत्रजनिक खाद वगैरह की कीमत कम की जाय। यह भी कहा गया कि बिसौली में 92 रुपये में गेहूं की खरीद की गई। साथ ही भाई-भतीजे वाद की चर्चायें भी हुई। भूमि संरक्षण के बारे में लोगों की राय है कि इसमें बहुत पैसा बरबाद होता है। इस सम्बन्ध में कैसे सुधार हो, इसके लिये सुझाव भी आये हैं। यह भी कहा गया कि कृषि विभाग एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में काम करे और उसका प्रभाव ग्रामीण अंचलों में खेतों तक हो सके। यह भी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो उत्पादन हो रहा है उसका जो मूल्य निर्धारित होता है उसमें भी पक्षपात होता है। मूल्य निर्धारण कम होता है जिससे कृषकों को लाभ नहीं हो पाता है। यह भी कहा गया है कि बैलों और ट्रैक्टरों के लिये अनुदान दिया जाय जिससे वे सही ढंग से खेती कर सकें।

मान्यवर, पर्वतीय अंचलों में छोटे-छोटे किसान हैं। कृषि उपकरण वहां पर सुगमता से नहीं पहुंच पाते हैं। फल उद्योग के बारे में जैसा कि पुष्पवान जी ने कहा वहां पर माल्टा 5 रुपया सैकड़ा बिकता है और वही यहां आकर 150 रुपये सैकड़ा बेंचा जाता है। यही हालत सेवों और अन्य फलों की है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो पौधे किसानों को दिये जाते हैं उसमें कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है कि बीज किसी चीज का और पौधा निकलता है किसी और चीज का। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीज कृषकों तक पहुंचे वह सही हो आज प्रदेश में तिलहन, दलहन और दाल आदि की भारी समस्या है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि दलहन या तिलहन किसान पैदा करे उसकी कीमत उसको कम से कम उतनी मिले जो कि दूसरी चीजों के उत्पादन करने में मिलती है। बीज किसानों को अच्छे दिये जायं। आलू के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि आलू को पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार कहती है कि अमुक बीज बोयो लेकिन जब वह चीज पैदा हो जाती है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना बोना बन्द करो। इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास कोई योजना नहीं है। आप योजना बनायें और किसान को राय दें कि इतने में रबी की फसल बोओ, इतने में खरीफ की फसल बोओ और इतने में दाल, तिलहन, गन्ना आदि बोओ। यह सुझाव के रूप में किसान के पास जाना चाहिये जब आप ऐसा करेंगे तो उसी हिसाब से किसान की आदत पड़ जायेगी और उसी हिसाब से वे बोयेंगे। आज होता क्या है कि जब कटाई के दिन आते हैं तो किसान मृग-तृष्णा की तरह देखता है। कोई सिद्धांत और नीति सरकार के पास नहीं है।

किसान के दिल और दिमाग में हाहाकार है। खेती से उसको लाभ होगा या नहीं यह उसको नहीं मालूम है। ऐसी स्थिति किसान की आज हो गई है। इसलिए धीरे-धीरे कृषि के प्रति उपेक्षा की भावना पनप रही है। मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे किसान को लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का समर्थन कटौती प्रस्ताव को मिला है वह सर्वसम्मति से पास होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह––

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कृषि विकास के लिए अपने उत्तम सुझाव दिये। माननीय देवबहादुर जी ने कटौती प्रस्ताव में कुछ शंकायें व्यक्त की है। मैं उस संबंध में बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

श्रीमन्, सीड के बारे में काफी कुछ कहा गया और कहा गया कि सीड पूरी तादाद में मिल जाना चाहिये। कांग्रेस के तीस साल के शासन के उपरांत भी आज ढाई फीसदी किसान को प्रमाणित बीज हम दे पाये हैं। पिछले बजट के समय मैंने कहा था कि 5 साल के अन्दर हम प्रदेश में सीड के मामले में आत्म-निर्भर हो सकेंगे। कोई भी स्टेट एक साल में आत्म-निर्भर नहीं हो सकती है। आज हम जब सिर्फ ढाई फीसदी किसान को सर्टिफाईड सीड दे पाये हैं तो जब तक उसे बोयेंगे नहीं उसका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्रयत्न है कि हम 4 साल के अन्दर प्रदेश को सीड के मामले में आत्म-निर्भर बनाने में कार्य कर सकेंगे।

श्रीमन्, एक बात कही गई तम्बाकू के बारे में। उसकी खेती सहारनपुर में होती थी वहां पर उसमें डिजीज लग गई, उसका नाम तो मैं ठीक से नहीं जानता हूं टेक्निकल नाम है। जिस कारण से किसानों ने उसे बोना बंद कर दिया। उसकी खेती वहां समाप्त होती जा रही है। फिर भी अलीगढ़ में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहां पर काफी मात्रा में इसकी खेती होती है। अगर यह कामयाब हो गई तो दूसरे जनपदों में भी हम प्रचलित करेंगे।

आर्गनाईजेशन के बारे में भी कहा गया यह बात सच है। कृषि विभाग के आर्गनाईजेशन के बारे में हम प्रयत्नशील हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विभाग उस स्थान तक पहुंच जाय जहां खेती होती है। अभी तक उसमें थोड़ा सा व्यवधान है। उसमें हमारा प्रयास है और एक्सटेशन और ट्रेनिंग सरविसेज के नाम से हम स्कीम चलाने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि इस विभाग में और हमारी यूनिवर्सिटीज में सामन्जस्य रहे। यूनिवर्सिटीज के लोग कृषि विभाग में आकर एक्सटेंशन और ट्रेनिंग का काम करें और कृषि विभाग के लोग जो 4-6 साल तक एक सा काम करत-करते मोनोटोनस हो जाते हैं वह यनिवर्सिटीज में जाकर रिसर्च का काम करें और ट्रेनिंग लेकर विभाग में आये और लोगों को लाभान्वित करें। यह हम कुछ सेलेक्टेड एरियाज में कर पायेंगे क्योंकि तीसरी यूनिवर्सिटी बन नहीं पायी है। इस स्कीम के चलने पर ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। एक और बात आई कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई ने एक पत्र के माध्यम से इच्छा व्यक्त की है कि कृषि विभाग एक अहम विभाग है इसमें अच्छे टेलेंटेड व्यक्ति सर्विस में होने चाहिये जिससे उनका इंडिकेशन है कि एड-मिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह यहां के लोग भी होने चाहिये। इस बारे में जब विचार विमर्श हो जायेगा हम वैसा करने का कोशिश करेंगे।

डी0 ए0 पी0 के बारे में कहा गया। यह विदेशों से आती है और पोर्ट पर इसकी पैकिंग होती है सेंट्रल वेयर हाउसिंग के द्वारा यह प्राप्त होती है। यह एक पल्प होता है और पोर्ट पर पैकिंग होती है वह सही स्टैंडर्ड की पैकिंग नहीं कर पाते। यूनियन में क्या कैसे होता है, उसको देवबहादुर जी ज्यादा जानते हैं। हम वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से लेते है, अगर वह सब स्टैंडर्ड होती है तो हम दोबारा लते हैं। फिर भी अगर कहीं ऐसी शिकायत है। माननीय देवबहादुर जी जानते हों, कि कहीं पर डी0ए0पी0 में मिक्सचर किया है तो मैं जांच करवाने के लिय तैयार हूं।

20 परसेन्ट सब्सिडी के बारे में एक बात कह दूं। कांग्रेस के शासन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार सें कहा था कि खाद वितरण का काम कृषि विभाग के माध्यम से होना चाहिए। जितनी प्राईवट डीलरशिप है उसको एलीमिनेट कर देना चाहिए। हमने लिमिटेड रखा है, जिसमें ब्लैक होने की संभावना नहीं है। डी0 ए0 पी0 सी0 एन और ए0 एस0 जिनकी लिमिटेड सप्लाई है, हमने इच्छा व्यक्त की है कि इस तरह की खाद अपैक्स इंस्टीट्यूशंस क माध्यम से दी जाय। 20 परसेंट सब्सिडी आप सोर्स पर नहीं कर सकते। कृषि गोदामों से प्राइवेट डीलर ले लेता है। इसका क्या नतीजा होगा वह इसका अनुमान लगा सकते हैं।

इसलिये यह सम्भव नहीं होगा।

जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, हिल एरियाज के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उसको सबके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने एक प्रोजक्ट बना रखा है, पहाड़ों के सेब का मार्केटिंग कर रहे है। एक एजेंसी बना रखी है हिमांचल प्रदेश की तरह। हमने एक कोल्ड स्टोरज बम्बई में बना हुआ रखा है जिससे सेब विदेशों में भेजा जा सके। एक बात सेहरा साहब ने डाक्टर डी0 पी0 सिंह के बारे में कह दी। माननीय सदस्य नहीं समझते कि वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे होती है। उसमें मंत्री कहीं नहीं आता है। उसकी नियुक्ति की परिपाटी क्या है उसको जान लेना चाहिये। उस परिपाटी को समझ लें कि किस पद्धति से उसकी नियुक्ति होती है और मिनिस्टर का कहीं हाथ हो सकता है या नहीं। यह अच्छी तरह से पता चल सकता है।

माननीय सेहरा साहब ने काफी कहा खाद गोदामों पर गबन के सिलसिले में। हमने पहली बार इस तरह की परिपाटी चलायी है, हमारे जो गोदाम हैं उन पर गबन के केसेज काफी सामने आये। अब तक यह होता था कि हमारे बी0 जी0 आई0 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपया गबन करके चले जाते थे। उनको सस्पेंड करके उनकी सर्विसेज टरमिनेट करदी जाती थी और विभाग समझ लेता था कि कार्यवाही हो गयी। हमने पहली बार प्रयास किया है कि जिस पर गबन पाया जायगा, कम से कम जिला कृषि अधिकारी का उस पर नियंत्रण होना चाहिये, जिला कृषि अधिकारी, बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 सब पर ऐक्शन होगा। हमने जिला अधिकारी को सस्पेंड कराया है और कार्यवाही हो रही है। कोई भी बी0 जी0 आई0 थोड़े समय में गबन नहीं कर सकता। जिला कृषि अधिकारी को उस पर नियंत्रण करना चाहिये। मैंने अगस्त सितम्बर में डिप्टी डाइरेक्टर से मांग की थी कि अगर किसी जगह पर गबन होता है वह बी0 जी0 आई0 वहां से ट्रांसफर करवा कर चला जाता है तो उसको गोदाम में नियुक्त न किया जाय और अगर नियुक्त है तो हटा दिया जाय। हमने सर्टिफिकेट्स मांगे है। इसलिये शासन ने कुछ व्यक्तिगत लोगों को गोदामों पर नियुक्त कराया इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्रीमन्, एक बात गेहूं के परचेज के बारे में कही गयी। यह बात मुझसे कनेक्टेड है नहीं, जिस गेहूं में जौ की मात्रा अधिक है, उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। गुलाब सेहरा ने कुछ व्यक्तिगत लांछन लगाने की चेष्टा की है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। यहां पर एक डायरेक्टर हैं, वह सेवा निवृत्त हो चुके हैं। मेरे सामने उनकी बैड इन्ट्री के एक्सपन्ज का सवाल आया। उन्होंने काफी प्रयास किया कि जो बैंड एन्ट्री थी उसको एक्सपन्ज कर दिया जाये। मुझे निश्चित जानकारी है कि यह जो कहा गया है उसी डायरेक्टर के माध्यम से कहा जा रहा है। गुलाब सेहरा साहब को उसी शख्स ने ब्रीफ किया है। उस डाइरेक्टर की फाइल मौजूद है। उस समय माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी कृषि मंत्री थे। उन्होंने उसको बैड एन्ट्री दी थी, उसको एक्सपन्ज करना संभव नहीं था और मैं उसको एक्सपन्ज नहीं कर सका। यह सब उसी के इन्स्टीगेशन से हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि डा0 डी0 पी0 सिंह से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। माननीय सेहरा साहेब को न इस सम्बन्ध में जो रूल्स है, उनका ज्ञान है और जो प्रक्रिया है न उसका ही ज्ञान है। चान्सलर ही कम्पीटेन्ट है वाइस चांसलर के खिलाफ ऐक्शन लेने का।

मेरे ऊपर पुनः लाछन लगाया गया कि कुछ अधिकारियों को रि-इन्सटेट कर दिया गया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ इमरजेन्सी में ऐक्शन लिया गया था उन पर पुनविचार करने की बात कैबिनेट ने की थी। उसी आधार पर उनके रि-इन्सटेट करने का मामला विचारा-

[श्री राजेन्द्र सिंह]

धीन था। सभी के कैरेक्टर रोल्स को देखा गया और उनमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कैरेक्टर रोल में कोई बैड इन्ट्री नहीं मिली किसी भावना विशेष को लेकर उनको निकाला गया था। उनमें से 4–5 अधिकारियों की फाइल वर्मा जी ने डील किया था और अपने आदेशों में पुन: नोटिंग की कि उनसे गलती हो गयी है। उनका करेक्टर रोल पेश नहीं किया गया था। टरमिनेशन गलती से रेकमेन्ड कर दिया फिर उन्होंने विदड्रा करने की नोटिंग की। मिनिस्ट्री आती गयी और जाती रही। फाइल पर वर्मा जी की भी नोटिंग मौजूद है। कृषि मंत्री ने रि-इन्सटेट करने के लिये कहा लेकिन ब्यूरोक्रैसी ने उसको कार्यान्वित नहीं किया। मैं इस बात के लिये तैयार हूं इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठा दी जाये और जांच हो जाये और हमारे तथा सेहरा साहेब के कन्डक्ट का परीक्षण हो जाये। श्री सोहनवीर सिंह की बात आयी। सीड निगम है और बात आयी कि कृषि विभाग के किसी अच्छे अधिकारी की नियुक्ति की जाये। श्रीमन, अभी भी इस तरह की चीजे हो रही हैं। सीड निगम के शेयर होल्डर केन्द्रीय सरकार भी है। श्रीमन् इसी तरह से और भी लोग के बारे में कुछ बातें आयी। सेहरा साहेब को पता नहीं कि जितनी नियुक्तियां और प्रमोशन्स इस समय हुए हैं उतने शायद ही पिछले 10 साल में हुए हों लेकिन एक चीज है जिसके कारण संयुक्त कृषि निदेशकों का प्रमोशन नहीं हो सका, श्रीमन, कृषि विभाग से विश्वविद्यालय सेपरेट हो गया है लेकिन अभी भी रूल्स में सेपरेट नहीं हो सका। यह परेशानी आ रही है प्रोमोशन्स करने में लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी प्रमोशन्स हुए हैं वे मैरिट के आधार पर ही हुए हैं। मुझे एक भी सिंगिल इन्सटैन्स बता दिया जाय, सेहरा जी, जब कि ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए मैं चैलेन्ज कर सकता हूं।

कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में भी कहा गया जिसे मैं समझ नहीं सका। जिन कम्पनीज को लाइसेन्स दिये गये अगर वे इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे है तो मैं उसकी भी जांच करने को तैयार हूं।

प्राइसेज दिलाने की बात भी यहां पर कही गयी। जैसा मैंने कहा जितना संभव होता है हम करते हैं लेकिन चूंकि यह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, वे ही इनके दाम तय करते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेन्ट इन्टरफियर नहीं करती है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। सेवों को अच्छे से अच्छा मार्किट भी दिलाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहां पर ये वर्क्स चल रहे है, सेवों की जिस प्रकार की नयी नयी वैरायटीज आ रही है। जितनी फर्टिलाइजर और सीड की आवश्यकता है उतनी ही कृषि की रक्षा की भी आवश्यकता है। हम उसको भी स्ट्रेन्थैन करने जा रहे हैं।

कुछ बातें पहाड़ों के बारे में भी कही गयी। जहां पर पहाड़ों में कटाव हो रहा है, भूमि के संरक्षण के कार्य में गलती हो रही है तो माननीय सदस्यों को इंगित कर देना चाहिये था। जैसे सेहरा साहब ने फरमाया कि उनके पास बड़ी चीजें है, बहुत कटाव हुये है लेकिन मुझे अफसोस है कि गत 9 महीने में उन्होंने और देव बहादुर जी ने किसानों के हित में जहां पर गोलमाल है, भ्रष्टाचार है, एक भी, सिंगिल कम्पलेन्ट नहीं दी है, लेकिन आज उन्हें किसानों का ध्यान आ गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है।

किसानों को उचित दाम दिलाने के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा यह बात सही है और मैं भी उनकी इच्छाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह बात सही कि हम उस स्थिति में नहीं आ पाये हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि किसान का प्रोडक्शन बढ़े लेकिन जब बढ़ जाता है तो मार्केट दिलाने की बात आती है। लेकिन शासन को जितनी सफलता मिलनी चाहिये उतनी उसे नहीं मिली है। फिर भी हम कोशिश करते है, नैफेड के जरिये से। अभी हमने प्रयास किया था और पी0सी0एफ0 के माध्यम से उनको 40 हजार बोरे मिल पाये हैं। अगर माननीय सदस्य बता दें कि फलां जगह पर अच्छा आलू

उपलब्ध है तो नैफेड 50—60 रुपये के प्रति क्विन्टल के हिसाब से लेने को तैयार है। किसान के आलू को जब धूप लग जाती है तो वह रखने के लायक नहीं रह जाता है, वैसे ही पड़ा हुआ है। हम नैफेड के माध्यम से आलू का मार्केटिंग कराने के लिए तैयार हैं।

एक चीज और यहां पर कही गयी और बात सही है कि आलू के लिए जब तक हम कोई नये प्रोजक्ट नहीं बनायेंगे तब तक उसके खपत के लिये परेशानी होगी। हमारा डिहाइड्रेशन का एक प्रोजेक्ट मेरठ में मोदीपुरम के पास चलाने जा रहे है और दूसरा हम फर्रुखाबाद में चलाने की सोच रहे है लेकिन वह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, व्यवधान हो गया है लेकिन हम प्रयास कर रहे है कि वह फर्रुखाबाद में हो ताकि पोटेटोज का प्रोसैसिंग हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हालांकि कृषि के विषय पर मुझे बोलने का अवसर नहीं हुआ कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के इन्टरेस्ट में जो किसानों को फंउन्डेशन सीड दिया जाता है बजाय कामर्शियल बेसिस के उसे इन्सैन्टिव की शक्ल में सप्लाई करने का प्रयास किया जायगा? दूसरे, यहां मेसा फर्ग्यूसन पर कंट्रोल है, उसको डिकंट्रोल कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई अप्रोच करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन, जो पहला प्रश्न आपने किया कि फाउन्डेशन सीड को कामर्शियल आधार पर न बेच कर किसानों को इन्सैन्टिव बेसिस पर दिया जाय तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज फाउन्डेशन सीड को करती है तो हर साल किसान मेला एक लगाया जाता है वहां पर और हर साल जितने भी किसान जाते है उनको एक-एक किलो और दो-दो किलो के पैकेट वहां मिल जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा था, फाउन्डेशन सीड इतनी मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा है कि हम पूरे प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करा सकें, लेकिन रियासत साहब का बड़ा अच्छा सुझाव है। मेरे विचार में भी एक बात थी कि इसका मल्टिप्लिकेशन न करके कि सर्टिफाइड सीड दें, यह हो सकता है कि हम छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फाउन्डेशन सीड उनको दें। यह बात भी बता दूं इसी सिलसिले में कि इसके एक्सपेरिमेंट कराये जाते हैं रिसर्च सेन्टरों पर है। 11 रिसर्च सेंटर्स हैं। हम तब तक कोई सीड रिलीज नहीं करते जब तक कि आबोहवा और वहां की कंडीशन्स को टेस्ट न कर लिया जाय। फिर भी सुझाव अच्छा है।

जहां तक दूसरा सुझाव है, फर्ग्यूशन के बारे में हमें लिखने में कोई गुरेज नहीं है, अगर वह कर दें तो वह बड़ा अच्छा है.... (व्यवधान)

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

हमें बोलने का टाइम नहीं मिला, प्रश्न तो कर ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का सिलसिला नहीं, मैं मतदान शुरू करता हूं जो लोग इसमें बोले है वह अपने प्रश्नों के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगेंगे तो उन लोगों को मौका दिया जायगा, अन्य को नहीं। (श्री गुलाब सेहरा से) आपने कोई प्रश्न किया हो तो उसी तक सीमित रहिये।

श्री गुलाब सेहरा——

अभी आपने देखा कि 8 बार मेरा नाम लिया, इसलिए · · · ·

श्री अध्यक्ष——

आपको तसल्ली हुई या नहीं ?

(हंसी)

श्री गुलाब सेहरा——

इसका मतलब यही हो सकता कि मैंने कुछ ऐसे ठोस सुझाव दिये जिनसे मंत्री जी प्रेरित हैं। मैं मंत्री जी को सूचना दे रहा हूं। उन्होंने एक आरोप लगाया कि किसी अफसर ने ये तथ्य सेहरा जी के पास भिजवाये। तो मैं बतला दूं कि किसी अफसर ने नहीं भिजवाये। यह मैंने अपने प्रयास से ही मंगवाये थे। लेकिन उनका उन्होंने जवाब तो दिया नहीं।

मंत्री जी ने पिछले वर्ष प्रेस कानफ्रेंन्स में एक बात डिक्लेयर की थी कि 'ऐंटीका' जो निर्माता है उनका सब-स्टैंडर्ड हो गया है इसलिये उन उर्वरक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जायगा। जो बात उन्होंने उस प्रेस कान्फ्रेंस में कही थी उसका कार्यान्वियन फरवरी, 1978 में क्यों किया गया, इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री राजेन्द्र सिंह——

ऐसा नहीं है। जिस समय कहा गया था उसी समय पर 8—8—8 रोक दिया गया था। सेहरा साहब आ जाये तब उनको कनविंस कर सकता हूं।

दूसरी चीज जो मुझ पर एक लांछन लगाया था, आपने कहा कि मेरी कभी सजा हुई है, यह असत्य है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष——

देव बहादुर जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह——

मान्यवर, उसका सवाल ही नहीं है। मैंने फसल बीमा की बात कही थी, लेकिन उस सम्बन्ध में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसको लागू करने जा रहे हैं या नहीं। वह कहते हैं कि बीज की व्यवस्था 5 साल में, गरीबी को दूर 10 साल में कर पायेंगे और अपने डिफरेंसेज 5 साल में खत्म करेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं था वापस लेने का।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,25,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 2,41,50,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,61,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,48,54,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,07,75,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 96—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,95,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 में जो मुझे सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उसमें श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी और श्री गुंजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने यह सूचना दी है जिसका विषय दिनांक 10 मई, 1978 को कानपुर जनपद के कलेक्टरगंज थाने के अन्तर्गत छोटे लाल योगेश चन्द फर्म में एक लाख की डकैती तथा फर्म के मालिक को गोली मारकर घायल किया जाना है। तो इसको मैंने स्वीकार किया है। श्री बाबू राम शुक्ल तथा श्री रवीन्द्र सिंह ने इसी प्रकार की सूचना दी है। उनका नाम इसमें सम्बद्ध कर दिया जाय।

श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री राम अधार राय ने सूचना दी है जो हरदोई जनपद में दिनांक 10 मई, 1978 को बूढ़े बाबा मंदिर में विषाक्त भोजन खाने से लगभग 30 व्यक्तियों के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में 13 तारीख को वक्तव्य देने की कृपा करें और बाकी सूचनायें मैंने अस्वीकार की है।

मनकापुर, जिला गोण्डा में श्री राम कृष्ण द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् पर किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, दिनांक 5 मई, 1978 को श्री राम कृष्ण द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् को मनकापुर बाजार के रामलीला ग्राउन्ड में कांग्रेस (रेड्डी गुट) के प्रत्याशी की चुनाव सभा में अपने भाषण के दौरान श्री आनन्द सिंह की आलोचना की जिसे उनके समर्थकों व अनुयायियों ने पसन्द नहीं किया। सभा समाप्ति पर श्री द्विवेदी अन्य नेताओं के साथ मनकापुर स्थित अपने दल के कार्यालय में गये जहां श्री आनन्द सिंह के कथित 25–30 अनुयायियों ने पहुंच कर श्री द्विवेदी को भला बुरा कहा तथा कार्यालय के अन्दर घुस कर उन्हें मारा और कार्यालय की वस्तुओं और बाहर खड़ी कार को क्षतिग्रस्त किया। यह भी कहा जाता है कि कुछ वस्तुयें उठा भी ले गये। यह कहना सही नहीं है कि जिस समय श्री राम कृष्ण द्विवेदी पीटे जा रहे थे उस समय घटनास्थल पर एक दरोगा तथा पी0 ए0 सी0 के सात जवान मौजूद थे। सही यह है कि श्री रामकृष्ण द्विवेदी को मनकापुर से गोंडा तक सुरक्षित पहुंचाने के लिये कान्स्टेबिल श्री शिव प्रसाद दूबे की ड्यूटी लगा दी गयी थी। जब सभा को सम्बोधित करने के बाद श्री द्विवेदी अपने दल के कार्यालय में गये तो एकाएक 25–30 व्यक्तियों ने मारना आरम्भ कर दिया। कान्स्टेबिल शिव प्रसाद ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने शोर मचाया जिस पर पी0 ए0 सी0 के कुछ जवान दौड़ पड़े। उन्हें देख कर आक्रमणकारी भाग गये। वहां कोई सब इन्सपेक्टर नहीं था। इस घटना के

पश्चात् श्री द्विवेदी गोंडा आये जहां उन्हें सिविल अस्पताल, गोंडा में भर्ती करा दिया गया तथा उन्हें हर सम्भव चिकित्सीय सुविधा प्रदान की गयी व उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध भी कर दिया गया। श्री द्विवेदी दिनांक 7 मई, 1978 को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गये। घटना की सूचना पाते ही जिलाधिकारी, गोंडा ने श्री द्विवेदी से चिकित्सालय में भेंट की तथा वहां की व्यवस्था सुनिश्चित कर पुलिस अधीक्षक के साथ शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु मनकापुर पहुंचे।

उक्त घटना के सम्बन्ध में कांग्रेस (रेड्डी गुट) के अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र नाथ ने दिनांक 5 मई, 1978 को कोतवाली गोंडा में धारा 395 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत सर्वश्री के0 पी0 सिंह, घनश्याम पांडे, रामनरेश मिस्त्री तथा 25–30 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई। अब तक तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये व नामजद अभियुक्तों में से एक श्री के0 पी0 सिंह ने दिनांक 8 मई, 1978 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है। पी0 ए0 सी0 की दो और प्लाटून तैनात करके पुलिस व्यवस्था और भी सुदृढ़ कर दी गई है।

निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी देखें इसमें लिखा है कि यह कहना सही नहीं है कि जिस समय श्री राम कृष्ण द्विवेदी पीटे जा रहे थे उस समय घटनास्थल पर एक दरोगा तथा पी0 ए0 सी0 के सात जवान मौजूद थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना किसने दी, किसकी सूचना पर यह कहा है कि मारपीट हुई थी। दूसरी बात जब मारपीट हुयी तो उसके बाद जो भी आदमी गिरफ्तार हुये वह किस सेक्शन में गिरफ्तार हुये ?

श्री राम सिंह—

मैंने कहा है कि धारा 395 के अन्तर्गत दर्ज हुआ और उसी के अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि कांस्टेबिल लेकर जा रहे थे, तो शोर मचाया, इस पर पी0 ए0 सी0 के कुछ जवान दौड़े। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कितनी दूर पर थे, क्या इतनी दूर थे तो मार पीट जब हो रही थी तो नहीं दौड़े और बाद में दौड़े ? दूसरी बात यह बता दें कि क्या यह बात सही नहीं है कि श्री राम कृष्ण द्विवेदी, जो कि पुराने गृह मंत्री इस प्रदेश के रहे हैं उन्होंने दरोगा और 7 कांटेबिल जो वहां मौजूद थे उनसे यह कहा और 20 आदमियों के सामने कहा कि अरे भाई यह याद रखो कि मैं पुराना तुम्हारा गृह मंत्री हूं इस लिये आप लोग इसमें हस्तक्षेप करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि उस इलाके में जनता पार्टी के दफ्तर मेंजनता पार्टी के लोगों ने वहां के डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 को लिखा था कि उस इलाके में काफी आतंक है और झगड़े तथा मार की संभावना है, फिर भी वहां पुलिस क्यों तैनात नहीं हुई ? साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 कई बार बुलाने पर कई घंटे बाद आये, दरोगा नजदीक रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आये, तो इसका कारण क्या है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, पहली बात जिसको श्याम धर मिश्र जी वक्तव्य पढ़ने के बाद शायद उनको समझने में दिक्कत हुई कि सभा स्थल पर जब राम कृष्ण भाषण दे रहे थे तो आनन्द सिंह के विरुद्ध जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग किया उसके ऊपर कांग्रेस (आई) के लोगों में रेसेन्ट-

[श्री राम सिंह--]

मेन्ट हुआ। उसके बाद यह महसूस हुआ कि राम कृष्ण को रास्ते में दिक्कत होगी। इस लिये सिपाही भेज दिया। मनकापुर में पहुंचने पर उनको 25--30 व्यक्तियों ने घेर लिया और उनके साथ मार-पीट किया। इस पर पुलिस के लोगों ने छुड़ाया।

मान्यवर, दूसरी बात जो वह जानना चाहते है कि जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने वहां कोई शिकायत की तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। तीसरी बात एक दरोगा या पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे तो उसकी भी सूचना कोई मेरे पास नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस (आर) के कार्यालय पर हमला किया, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गोंडा के यहां कांग्रेस कार्यालय की मालकिन ने अपने एफिडेविट में कहा है कि 5--5--78 को जब वह अपने मकान में मौजूद थी तो उस दिन कोई घटना शाम तक नहीं हुई और गंगा प्रसाद तथा सुरेन्द्र नाथ यहां पर शाम तक नहीं आये। यह भी कहा है कि मकान का दरवाजा कोई नहीं टूटा है और न कोई नुकसान हुआ है और पुलिस मुझको बयान देने के लिये मजबूर कर रही है। यह एफिडेविट दिया है। यह दिया है।

इसकी आप को जानकारी है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, माननीय सेहरा जी ने एक बात यह कही कि कांग्रेस (आई) के कार्यालय में हमला किया। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस (आर) के कार्यालय पर हमला किया।

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने कांग्रेस (आर) ही कहा।

श्री अध्यक्ष—

यही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (आर) का दफ्तर जिस मकान में था उसकी मालकिन ने यह एफिडेविट दी है तो वह कहते हैं कि आप को जानकारी है।

श्री राम सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं हां था तीन दिन। आपकी अनुमति हो तो चार वाक्यातों पर स्थिति स्पष्ट कर दूं। मंत्री जी को सुविधा होगी। आजादी के तीस साल बाद भी मनकापुर राज्य के भूतपूर्व जमींदार आनन्द सिंह श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस के नेता हैं। उनके अत्याचारों से आज भी वहां की जनता का शोषण समाप्त नहीं हुआ बल्कि एक सामन्ती अत्याचार की स्थिति विद्यमान है।

अब इस बयान को देखे (शोर) 7 तारीख को मान्यवर, वहां चुनाव होने वाला है। 5 तारीख के सांयकाल श्री द्विवेदी जी जो यहां मंत्री भी रहे थे वह अपने कार्यालय में बैठे हुये थे उन पर मान्यवर, सुनिश्चित ढंग से प्राणघातक हमला हुआ क्योंकि उन्होंने शब्दों से श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस की आलोचना की थी। वक्तव्य में यह बात स्पष्ट है। एक सिपाही वहां पर था लेकिन इस वक्तव्य में मान्यवर, यह घटना किस समय हुई इसका कोई जिक्र नहीं है। उस पुलिस के आदमी ने इस बयान के अनुसार थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। मनकापुर में इतना टेरर है। सड़क पर ट्रक लगा दी गयी—अगर भागना भी चाहें द्विवेदी जी गोण्डा जाने के लिये। जब गोण्डा पहुंचे मान्यवर, तब जाकर एफ0 आई0 आर0 लिखी। इस पृष्ठ भूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां घटना किस समय घटी और घटना

घटने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट कब लिखवाई और सात तारीख को चुनाव है यह जानबूझ कर मतदाताओं को आतंकित करने के लिये सुनियोजित षड़ यन्त्र श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के नेताओं ने किया। पुलिस ने इन हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही किस समय की और दूसरी बात श्री के0 पी0 सिंह जो राजा आनन्द सिंह के सेक्रेटरी हैं, 6 तारीख 7 तारीख को पूरे क्षेत्र में जीप पर बैठ कर चुनाव अभियान को संचालित करते रहे और उनको पकड़ा नहीं गया, 8 तारीख को वे कोर्ट में सरेन्डर करते हैं। इस प्रकार तीन चार प्रश्न इसमें से निकलते हैं। घटना कब घटी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और श्री के0 पी0 सिंह को दो दिन तक क्यों नहीं पकड़ा गया, हमलावर फार्म में बैठे हुये थे उनको पकड़ने के लिये पुलिस कब गयी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष—

घटना कब हुई, के0पी0 सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस का सिपाही था उसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई और यह रिपोर्ट गोण्डा में क्यों लिखाई गई इतने ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो रिपोर्ट सुरेन्द्र नाथ, पुत्र गंगा प्रसाद ने लिखाई वह इस घटना के संबंध में लिखाई जो मनकापुर में घटित हुई।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने पूछा है कि कितने बजे हुई।

श्री राम सिंह

5—5—78 को करीब साढ़े पांच बजे घटना बताई गई है और रिपोर्ट जो पुलिस में दर्ज की गयी है वह 8 बज कर 45 मिनट पर की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

उनका कथन है कि रिपोर्ट मनकापुर में न लिखा कर गोण्डा में क्यों लिखाई गई? दूसरे यह कि सब इन्सपेक्टर वहां था और जो सिपाही उनकी सुरक्षा में था कहना यह है उसने तुरन्त ही क्यों नहीं रिपोर्ट लिखायी ?

श्री राम सिंह—

प्लेस आफ आकरेन्स मनकापुर है। वहीं के थाने में रिपोर्ट लिखाई गयी। सिपाही और दरोगा ड्यूटी पर थे तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह तो इसमें है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपने कहा है कि जहां पर मीटिंग थी वहां घटना होने की आशंका थी इसलिए उनकी सुरक्षा के लिये सिपाही दिया था। तो उनका कहना है कि उस सिपाही की ड्यूटी थी रिपोर्ट लिखाने की और फिर यह कि 3 घंटे क्यों लगे ?

श्री राम सिंह—

इसकी जांच करा लूंगा कि देर क्यों हुई। रिपोर्ट लिखायी सुरेन्द्र नाथ ने। सिपाही ने क्यों नहीं लिखाई तो मैं जानकारी कर लूंगा और यदि कोई गलती है तो कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)

क्या इस बात की जानकारी मंत्री जी को है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिये आनन्द सिंह को भूतपूर्व मंत्री और संसद सदस्य लोक सभा को बिना वारन्ट के हवालात में बन्द रखा गया और उनके घर को एक दो रात पी0ए0सी0 ने घेरे रखा क्या इसका कारण यह नहीं था कि पुलिस और जिलाधिकारी के आदेशानुसार सारे चुनाव आन्दोलन को रोकने की कोशिश की गयी जिससे कि कांग्रेस (आई) चुनाव हार जाय ?

श्री राम सिंह

यह बात सही नहीं है कि श्री आनन्द सिंह को उनके घर में या थाने के अन्दर बन्द रखा गया हो। हुआ यह कि जब झगड़ा हो गया और रिपोर्ट लिखायी गयी तो पुलिस ने तत्परता बरती और कार्यवाही की हो सकता है आनन्द सिंह ने अपने घर या और जगह इन मुल्जिमान को छिपाया हो। इसके सिलसिले में जांच-पड़ताल की गयी।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि क्या दो दिन तक पी0 ए0 सी0 ने उनके मकान को घेरा।

श्री राम सिंह--

जब टेंशन पैदा हो गया तो इस बात का अन्देशा था कि झगड़ा न बढ़ जाय। आनन्द सिंह के मकान पर पुलिस इसलिये गयी कि कोई घटना न हो जाय।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

मैं इस घटना के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानता हूं। हमारे यहां के सत्य देव सिंह, संसद सदस्य जो सामने लाबी में बैठे हैं उन्होंने लगातार पुलिस कप्तान से शिकायत की कि मनकापुर में गुंडई होती है। कुछ लोग मारे जा सकते हैं। कोई भी नेता मारा जा सकता है, उसकी सुरक्षा की जाय। मंत्री जी माननीय सत्य देव जी को अपने कमरे में बुलाकर जानकारी कर लें। पचासों बार उन्होंने कहा तो क्या कार्यवाही पुलिस कप्तान ने की ? दूसरी बात यह है कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को मालूम हुआ तो अस्पताल देखने गये तो यह गलत है। गलत इसलिए है कि रामकृष्ण द्विवेदी जब मारे गये तो जिलाधिकारी के घर गये पुलिस कप्तान के घर गये, उसके बाद हास्पिटल आये। आपके जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने इतनी भी तकलीफ नहीं की। आखिर वह भूतपूर्व गृह मंत्री थे और एम0 एल0 सी0 हैं। उन्हें अस्पताल में उनको देखना चाहिये था। आप भी गृह मंत्री नहीं रहेंगे और मनकापुर जायेंगे, तो आपके साथ भी यही स्थिति हो सकती है। वहां हमेशा गुण्डागर्दी होती थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ भी हुई। मान्यवर, आप वहां के बारे में वाकिफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को मैंने टेलीफून किया और अस्पताल में गये, मैंने उनको काफी डांटा। तब वहां पर आये, अपने मन से नहीं आये। उसके बाद पुलिस गयी। इतनी शिकायत के बाद भी आपके ये निकम्मे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान कोई भी सुरक्षा नहीं कर सके तो..

श्री अध्यक्ष--

अब आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री दीप नरायन--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के खिलाफ माननीय गृह मंत्री जी क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं। आप रोकने के बाद भी बोलते जा रहे हैं। अब यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री दीप नरायन—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ और जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जबकि उनको इसकी सूचना दे दी गयी थी और वे व्यवस्था नहीं कर पाये ?

श्री अध्यक्ष —

आप इस तरह से प्रश्न करेंगे तो आपको मौका नहीं दिया जायेगा। आप तो भाषण दे रहे हैं।

जहां तक आपकी बात का सवाल है माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी वही बात कही है जो आपने कहा है। उसका उत्तर दिया जा चुका है। इसलिये अब इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त कह चुके हैं वहां आतंक है गुण्डई है सतर्कता नहीं है सारी चीजें वह कह चुके हैं। अब इसमें बहस नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

मान्यवर, मुझे इतना ही प्रश्न करना है कि वक्तव्य में स्पष्ट है कि 25/30 आदमी राम कृष्ण द्विवेदी जी को मार रहे थे। सिर्फ एक कान्स्टेबिल बचा रहा था। उसके शोर मचाने पर पी0 ए0 सी0 आ गयी। तो इस सारी घटना के बावजूद भी क्या किसी आदमी को मौके पर पकड़ा गया या नहीं यदि नहीं, तो क्यों ? और क्या उस कान्सटेबिल ने अपनी डायरी में किसी रोजनामचे में या कोई बात है, किस वजह से कोई नहीं पकड़ा गया ?

श्री राम सिंह

मान्यवर, में उसमें कह चुका हूं कि पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही की बात साबित होगी तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि पुलिस वहां आ गयी। सिपाही मौजूद हैं। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुयी ?

श्री राम सिंह—

पुलिस ने ही तो बचाया, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वह पूछ रहे हैं कि गिरिफ्तारी क्यों नहीं हुयी ?

श्री रामसिंह—

इसके लिये सूचना की अवश्यकता है, मान्यवर।

श्री मुकन्दी सिंह (जिला बिजनौर)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। अभी माननीय विधायक ने कहा अपने भाषण में कि उन्होंने वहां के एस0 पी0 और डी0 एम को डाटा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधायक की सीमा में है कि वह किसी एस0 पी0 और डी0 एम0 को डांट सकें

श्री अध्यक्ष—

अब बेकार की चीजों में समय न लें। मेरी इजाजत के बिना नहीं।

श्री छेदी (जिला गोण्डा)

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो घटना हुयी है माननीय द्विवेदी जी के साथ उनको जो मारा पीटा गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हैरेस करने के लिये हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पर फर्जी 395 के मुकदमें कायम करके उनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही करके उनको तबाह क्यों किया जा रहा है और जनता पार्टी के लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं उनके खिलाफ ?

आपने प्रश्न नहीं पूछा। अपनी बात कह दी।

श्री देव बहादुर सिंह—

इस पूरे कांड की जांच कौन कर रहा है और इसकी जांच क्या सी0 आई0 डी0 से कराइयेगा ?

श्री राम सिंह—

जांच तो वहां एस0 ओ0 कर रहे हैं। सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की जरूरत नहीं है।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा तथा रवीन्द्र सिंह जी का एक प्रश्न नियम 51 में स्वीकार किया था, लेकिन मंत्री जी को वक्तव्य के लिये आपने निर्देश नहीं दिया कि कब वह वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह एजेंडे पर आयेगा तो मालूम हो जायगा। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिये 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

इसमें 10, 10 मिनट का समय माननीय सदस्यों को मिलेगा। श्री शम्भूनाथ जी इस पर चर्चा शुरू करेंगे।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जिस समय चर्चा के लिये यह प्रश्न उठाया गया तब इतना विवाद नहीं था जितना इस समय उभड़ आया। मेरी धारणा यह थी कि सदन में इस पर विवाद नहीं होगा। कारण यह था कि जो आरक्षण हुआ वह 24 अप्रैल, 77 को कांग्रेस सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पहले ही कर दिया गया था जिस समय मुख्य मंत्री तिवारी जी थे। उस प्रस्ताव में शासकीय सेवाओं के अलावा शासन द्वारा अनुदानित संस्थाओं में आरक्षण देने का प्राविधान था। वह सरकार खत्म हो गयी और जनता पार्टी की सरकार आ गयी। कांग्रेस की परंपरा थी वचन से धनी और कर्म से हीन। उस परम्परा को जनता पार्टी की सरकार ने सोचा खत्म किया जाय और हम कर्म से धनी बनें। मैंने चुनाव भाषण में देखा कि जनता पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दस्तावेज के प्रति आस्था ले कर हम यहां बैठे हैं आज उसी दस्तावेज का हम विरोध कर रहे हैं। प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं? सबसे गरीब और पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाने के लिय प्राथमिकता देने की बात कही गयी है। निचले वर्ग को ऊपर उठाकर प्राथमिकता देने की बात है। प्राथमिकता देन के लिये आपने प्राविधान क्या किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने फिर कहा कि काका कालेलकर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरियों में 25 से 33 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये नौकरियां सुरक्षित रखी जांयगी और हरिजनों को मकान व जमीन देगें। यह प्राथमिकता आपने निश्चित की।

आज उस आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि यह विरोध किस बात पर किया जा रहा है जब हमारे जजेज ने ही निर्णय दे दिया है कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा जो आरक्षण हुआ था वह पहले ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर तथा अन्य नामों पर ले लिया गया और अब यह 15 परसेंट का आरक्षण पिछड़ी जातियों के नाम पर हुआ तो विप्लव उठ खड़ा हुआ सारे प्रदेश में। काका कालेलकर की रिपोर्ट के अनुसार 15 प्रतिशत तो योग्यता के मापदण्ड पर नहीं होगा।

दूसरे मेडिकल वगैरह में आरक्षण काका कालेलकर आयोग ने 17 प्रतिशत किया है। अब सरकार सोच रही है कि क्या करें।

सचिवालय दीर्घा में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

शम्भुनाथ जी, जरा रुकिये। माननीय त्रिपाठी जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह शासन पक्ष के लिये खेद जनक बात है और ऐसा लगता है कि सचिवालय क अधिकारियों पर मंत्रि-परिषद् का कोई नियंत्रण नहीं है। आज यहां पर पिछड़े वर्ग के विषय में बहस हो रही है। जब मैं उस दीर्घा की ओर देखता हूं तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं इस सदन की 35/36 साल से परम्परायें जानता हूं, लेकिन इस तरह की उपक्षा सचिवालय की ओर से नहीं हुई है। सचिवालय का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। यह उनका कर्तव्य है...

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

होम सेक्रटरी तक नहीं है। इस सदन को खतम करने दीजिये। जब तक कोई अधिकारी न आये तब तक बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आपका आदेश नहीं माना जा रहा है। सेक्रटरी भी मौजूद नहीं है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप लाउडस्पीकर पर न बोला करें। माननीय गृहमंत्री जी, कम से कम इस समय समाज कल्याण मंत्री को तो रहना चाहिए जिनका यह विषय है।

श्री राम सिंह—

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं दूंगा।

श्री अध्यक्ष

आप दीजिये, लेकिन जो सम्बन्धित मंत्री है उनको तो रहना चाहिए। आप उत्तर दे सकते हैं। उनका रहना इसलिये जरुरी है ताकि ये समस्या से अवगत तो हों।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह राष्ट्रीय एकीकरण का विषय है। मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि संसदीय कार्यों से सम्बद्ध जो विषय हैं, जैसे यह एकीकरण का विषय है, तो उसका उत्तर मैं दूंगा

श्री अध्यक्ष—

अधिकारी तो आपके रहने चाहिए। तभी तो कार्यान्वयन नहीं होता। सदन की भावना उनको मालूम तो होनी चाहिए।

बाबा राम अधार यादव—

यहां पर हम लोग आये हुए हैं। माननीय सदन बैठा हुआ है। उसके सदस्य बैठे हुए हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसका उत्तर मैं दूंगा। यह तो सही है कि इसका उत्तर वे देंगे लेकिन अधिकारी नहीं है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसके विरोध में सदन को स्थगित किया जाय और जब अधिकारी आ जाय। फिर बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष—

सदन स्थगित करना उचित नहीं है। क्योंकि अधिकारियों के न रहने से बहस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी परम्परा है कि उनको सदन की भावनाओं का पता चले ताकि कार्यान्वयन करने में आसानी हो। त्रिपाठी जी, जो इस विभाग के सचिव हैं, उनको बुला लें।

श्री मान सिंह आजाद—

एक प्रश्न मेरा सुन लें . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता, आप बैठें। (श्री मान सिंह आजाद के बार-बार खड़े होकर कुछ कहते रहने पर) मैं इजाजत नहीं देता। आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायगा. . . (व्यवधान) श्री मान सिंह आजाद—[× × ×]

श्री राम सिंह—

मान्यवर, एक निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं। इस माननीय सदन में बहुत विषय आते हैं नियम 52, नियम 51, नियम 56, और कभी-कभी अचानक कुछ प्रश्न आ जाया करते हैं। जो माननीय सदस्य मानसिंह जी कह रहे थे यह कांप्लेक्स उनका हो सकता है। हरिजन होने की हीनता की भावना उनकी होगी, कम से कम मेरे अन्दर वह भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आदेश दे दिया है कि मानसिंह जी ने जो कहा है उसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा। (व्यवधान श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर) मान सिंह जी आप बार-बार बिना इजाजत के बोलने लगते हैं। अगर अबकी मर्तबा बिना इजाजत बोले तो मैं सदन से आपको बाहर कर दूंगा।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के पेज 299 में एक कमेटी गठित करने के बारे में सुझाव दिया गया है जिसमें अधिकारी और सोशल वर्कर होंगे जो यह देखेगी कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका पालन हो रहा है या नहीं और जो पालन नहीं करता है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है उसकी वह समिति विवेचना करेगी। इसीलिये मैंने एक प्रश्न किया था, लेकिन आज तक इसका गठन नहीं

नोट :—(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है। उसका नतीजा है कि आज पिछड़ी जातियों को एक परसेंट भी नौकरियां नहीं मिल पा रहीं है। इसके विपरीत ईर्ष्या में इस जाति के लोग जल रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि यह आरक्षण सरकार ने क्यों किया था ? इसके पीछे संवैधानिक पहलू भी है उसमें शैक्षणिक और सामाजिक ही है आर्थिक नहीं। वह लोग जो आर्थिक आर्थिक चिल्लाते हैं वह संविधान के पन्ने उलटें अनुच्छेद 15 (4) में लिखा है। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विषेश उपबन्ध करने में बाधा न होगी। अनुच्छेद 16 (4) फिर देख लें वह कहता है इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

आज जो आर्थिक की बात करते हैं उन्हें संविधान को बदलना होगा और मैं साफ कहना चाहता हूं कि जिस डाक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया उसको बदलने में न जाने कौन सा विप्लव होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलें और आपकी बात भारतीय संविधान के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में जातीयता से ऊपर उठ कर सोचें। आज देश में जो 80 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश में जो 55 सैकड़ा है उनकी आज सामाजिक स्थिति क्या है ? शिक्षा में और अन्य व्यापार में उनका प्रतिशत क्या है, उसका आप ख्याल करें। मैं 1962 के पूर्व के आंकड़े देता हूं, उसके बाद तो सरकार ने देना बन्द कर दिया 1961 में नौकरियों के आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। राजपत्रित अधिकारियों की संख्या वर्गों के आधार पर।

		1946	1955	1960
हरिजन	..	16	70	194
अन्य पिछड़ी जातियां	..	34	25	67
अग्रिणी जातियां	..	1,251	4,555	8,500

अब कितना प्रतिशत हो गया है इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं। पिछड़ी जातियां 80 सैकड़ा हैं और नौकरियों में डेढ़ सैकड़ा से ज्यादा नहीं हैं। सरकार आंकड़े भी तैयार नहीं कर रही है। जिस दिन आंकड़े तैयार करेगी उस दिन दिल को टटोलेंगे। इसलिए आप सोचें। मैं पूछ रहा हूं कि क्या हमारे देश में आर्थिक क्रांति हुई ? इंग्लैण्ड में हो सकती है। देश में जाति जो है वह अर्थ का भी हीन कारण हुई है और उच्च पदों का भी कारण हुई है। अब मनुस्मृति को ले लीजिये। (लाल बत्ती जलने पर) आपने दस मिनट का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष—

दस मिनट आपने समाप्त कर दिये हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

समझाना तो है। मनुस्मृति को देखिये, क्या कहती है। अध्याय 1 में कहा है, मैं हिन्दी किये देता हूं। "विश्व की रक्षा के लिए उस परम तेजस्वी ब्रह्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न हुए वर्णों के कर्म पृथक्-पृथक निर्दिष्ट कर दिये। वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना-लेना यह छः कर्म ब्राह्मणों के लिए निश्चित किये। प्रजा-रक्षण, दान, यज्ञ, वेदाध्ययन और विषयों में अनासक्ति, यह कर्म क्षत्रियों के नियत किये। पशुपालन, दान,

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]–
यज्ञ, वेदाध्ययन, वाणिज्य और कृषि वैश्य के कर्म नियत किये । शूद्र के लिये प्रभु ने कर्म का आदेश किया कि वह उक्त तीनों वर्णों की सेवा ईर्षा छोड़ कर करे । 85–91 शूद्र को आपने कहा कि केवल हमारी सेवा ही करें । दूसरा काम न करें । काई लग गयी । गौतम महा-सूत्र में कहा है अध्याय 20, 4–6 उसका अनुवाद कर देता हूं "शूद्र यदि जानबूझकर वेद सुने तो उसके कान में गला हुआ सीसा डाल दें । यदि वेदमन्त्र का उच्चारण करे तो उसकी जबान काट ली जाय । यदि वह वेद-मन्त्र को याद करे तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जायं ।" फिर मनु जी कहते हैं, अध्याय 11, 131 "शूद्र के मार डालने में उतना ही पाप होता है जितना कि बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेढ़क, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा के मारने में होता है ।"

श्री अध्यक्ष––
शम्भूनाथ जी, 425 मनु यहां बैठे हैं । इस मनुस्मृति का आरक्षण से क्या ताल्लुक है ?

श्री रेवतीरमण रस्तोगी (जिला कानपुर)––
नारायण, यह किसकी पुस्तक है ? मनु की नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––
मनु जी ने अध्याय 11 में कहा है कि शूद्र के पास अगर धन हो तो वहां के ब्राह्मण देवता को उसको छीन लेना चाहिये । धन से विहीन क्यों हो गये, इसलिये कि हम शूद्र जाति के थे । हम विद्या अध्ययन नहीं कर सकते थे इसलिये कि शूद्र जाति के थे ।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)––
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय शम्भूनाथ जी आरक्षण पर बोल रहे हैं या धार्मिक ग्रंथों पर बोल रहे हैं ? इससे आपस में वैमनस्य बढ़ेगा और गलत कोटेशन दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––
आप लोग कृपया शांति रहिये । माननीय शम्भू नाथ जी, यहां पर हम लोगों ने संविधान के प्रति शपथ ली है । इस संविधान में छूतछात को समाप्त कर दिया गया है और इसी संविधान से हम लोग यहां बैठे हुए हैं । आप कृपया आरक्षण के विषय पर सिर्फ रहिये । आरक्षण क्यों होना चाहिये । उसमें लिखा है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से प्रगति करने के लिये राज्य सरकार आरक्षण करने में सक्षम होगी । आप इसी के समर्थन तक सीमित रहियें ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी––
हम अर्थ विहीन कर दिये गये हैं । माननीय सदस्यों की समझ में न आवे, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करूं?

श्री अध्यक्ष––
अब आपके 15 मिनट से ज्यादा हो गये । अब आप 2 मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी––
मैं तो मनु जी की बात कह रहा हूं । बुरा लगता है । अगर डाक्टर लोहिया की बात अच्छी लगे तो उसी को सुन लें ।

"जिस तरह से घर के कमजोर आदमी को सहारा देकर चलाते हैं उसी तरह से देश की छोटी और पिछड़ी जातियों को संरक्षण देना होगा। जब तक तीन चार हजार वर्ष का कुसंस्कार दूर नही होता सहारा देकर, ऊंची, जगहों पर छोटी जातियों की बैठाना होगा चाहे नालायक हो

तब भी। इस देश ने ऊंची जातियों की योग्यता को बहुत देख लिया। देश की गजटी नौकरियों, राजनैतिक पार्टियों की नेतागीरी, पलटन, व्यापार आदि में 60 प्रतिशत जगहें छोटी कही जाने वाली जातियों के लिए सुरक्षित रखनी पड़ेगी। तभी 90 प्रतिशत जनता के दिमागों पर जो हजारों वर्ष से ताला बन्द किया गया है, खुलेगा।"

मैं तो यही कह रहा हूं कि जो लोग इस जाति व्यवस्था के कारण 5 हजार वर्ष से पीछे हैं अगर आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको विशेष अवसर देना होगा। गांधी जी ने भी इसी बात को कहा था और इसी बात को डा0 लोहिया ने भी कहा था और उसी को हमारी सरकार ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि जनता पार्टी ने किया है। जिस मनु को मैंने कहा है उन्होंने आरक्षण दिया है। ब्राह्मण से कहा कि तुम यह काम करोगे और क्षत्रिय से कहा कि तुम यह काम करोगे, वैश्य से कहा कि तुम यह करोगे और शूद्र से कहा तुम यह करोगे। तो आरक्षण से उनमें योग्यता आयी। तो अगर आप अयोग्य को भी योग्य बनाना चाहते हैं तो आरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको विशेष अवसर प्रदान किया जाय तभी उनकी उन्नति हो सकती है और वे बराबरी का दर्जा पा सकते हैं और तभी देश और प्रदेश का कल्याण होगा।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) जो नियम 52 में बहस होती है पहले उसको मौका मिलता है जिसने प्रस्ताव किया उसके बाद में मन्त्री जी उत्तर देते हैं।

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, आपने इस विषय पर विवाद के लिए एक दिन तय किया था, फिर उस अवधि को घटा कर 4 घंटे किया। क्या इस पर आज 2 घंटे बहस होगी और कल भी 2 घंटे ?

श्री अध्यक्ष—

हां, कल भी इस पर 2 घंटे बहस होगी।

*गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय, श्री शम्भू नाथ चौधरी ने बताया कि इस से पूर्ववर्ती सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार किया था कि इस प्रदेश के अन्दर पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की जाय, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिनके कारण इन आदेशों को वह सरकार लागू नहीं कर सकी। उसके पश्चात् यह प्रश्न जिस समय प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था तब भी राज्यपाल महोदय के सामने उपस्थित हुआ लेकिन उस प्रश्न को यह कह कर टाल दिया गया कि चूंकि निकट भविष्य में इस प्रदेश के अन्दर विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, इस लिए इस प्रश्न को, जो जनता की चुनी हुई सरकार आयेगी, वही तय करेगी कि पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू हो या न हो।

चुनाव के तत्काल बाद यह प्रश्न जब हम सत्ता में आये तो हमारे सामने पेश हुआ। तो उस आदेश को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर हमने यह तय किया कि यह बहुत अच्छी योजना है और इस प्रदेश के अन्दर जो साधारण, दलित, पिछड़े हुए और दबाये हुए लोग हैं, उनके लिये भी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था करें। उसके अनुरूप 20 अगस्त, 1977 को जो सबसे पहला आदेश सरकार का प्रसारित हुआ, उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि पिछड़ी जातियों के लिए अनुसूचित और जन जातियों के अनुरूप ही, पहली, दूसरी और तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत और चौथी श्रेणी में 10 प्रतिशत का आरक्षण किया जाय। उसको लागू किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह—]
उसके पहले जो पहलू था वह यह था कि जो इससे सम्बन्धित विषय हैं, उन पर बहुत गम्भीरता से विचार किया गया । कई बार इसी सदन में माननीय काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र आया और अब जो बहस हो रही है उसमें भी कुछ माननीय सदस्य उस रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । माननीय कालेलकर ने सिर्फ 4 बातें तय कीं थीं । उन्होंने पहला सिद्धांत यह तय किया था कि जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है (अंग्रेजी में पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष—
इसका हिन्दी रूपान्तर पढ़ सकें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री राम सिंह—
पहली बात तो यह कही थी कि जिनका सामाजिक स्तर कम हो, पिछड़े हुए क्षेत्र में दूसरा सिद्धांत यह था कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हों उनके लिये और तीसरा सिद्धांत यह तय किया था कि राजकीय सेवाओं में जितने पिछड़े वर्गों की कमी हो उनकी जनसंख्या के अनुरूप, उनको सेवा में भर्ती नहीं किया गया और चौथा आधार यह था कि उद्योग धन्धों में, कला में या दस्तकारी में उनमें जो पिछड़े हैं, उनको सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाय । उनकी एक संस्तुति यह भी थी कि इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, सभी स्तर पर, शिक्षा की सुविधायें इनकम के आधार पर दे दी जाय । हमने इसको भी स्वीकार किया और जो 4 सिद्धांत उन्होंने तय किये उन पर भी विचार किया और यह महसूस किया कि जो 4 सिद्धांत हैं, उनके अनुसार इसमें 58 जातियां जो आती हैं, उनके आरक्षण के लिए व्यवस्था की जाय । वास्तव में तभी जाकर हमने तय किया कि आरक्षण की व्यवस्था की जाय । यह बात भी मुनासिब होगी, सही है, कि इन आरक्षणों को जब देने की व्यवस्था की तो उसके पहले यह प्रश्न विचाराधीन था कि इस आरक्षण में उन जातियों की जनसंख्या के अनुरूप भी हम आरक्षण दे सकते हैं या नहीं । लेकिन हमारे प्रदेश में 6 कैटेगरीज ऐसी थीं जो आरक्षित थीं, आरक्षण कोटा उनको मिलता था उनको हम किसी तरह से भी इस स्थिति में नहीं ला सकते थे कि सबको समाप्त कर दें, क्यों कि वे भी अपने स्थान पर पिछड़े हुए हैं । इस प्रकार किसी प्रकार हमने थोड़ा-थोड़ा दूसरी कैटेगरीज में से कम करके 15 प्रतिशत और चौथी श्रेणी में 10 प्रतिशत को पूरा किया । उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हम नहीं दे पाये हैं, यह बात सही है । इस आरक्षण में जो व्यवस्था की गयी है उसमें दो-तीन सरकारी आदेश निकाले गये, उसके पश्चात् एक मांग बीच में आयी थी कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आयु की सीमा से छूट दी जाती है तो उनको भी दी जाय । तो हमने उनकी आयु की सीमा में 8 नवम्बर, 1977 से 5 वर्ष के लिये छूट दी । वह भी लागू होगा ।

इसी तरह से इस समय सेवाओं के अतिरिक्त जो सुरक्षित संस्थायें हमारे यहां हैं जो आटोनामस बाडी हैं, जो स्वायत्त शासित संस्थायें हैं उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गयी । तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था क्या है इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य ,प्रश्न जो उपस्थित होंगे उनके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया । उसके पश्चात् जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे उनका उत्तर मैं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—
माननीय मन्त्री जी, जो अन्तर्जातीय और अन्तधार्मिक विवाह करें उनका भी कोई संरक्षण है ?

श्री राम सिंह—
मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक है । उसक लिये हमारे यहां जो हिन्दू मैरेज ऐक्ट है उसके अनुसार लड़की अगर किसी अनुसूचित जाति के लड़के से शादी करती है तो उसको स्वतः ही पिछड़े होने के नाते 1 हजार का पुरस्कार देते हैं और 5 हजार का लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री ।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आरक्षण के प्रश्न पर बहस चल रही है और सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रश्न लाया गया है। इस संदर्भ में मैं केवल पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रश्न पर ही सीमित रहना चाहूंगा इसलिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न हमारे माननीय सदस्य श्री शम्भूनाथ चौधरी के प्रश्न के अन्तर्गत अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती कि प्रदेश की सीमा में रहने वाले जो दुखियारे हैं, गरीब हैं, दबे-पीसे लोग हैं, जो सदियों से शोषित हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले फाका-कश लोग हैं, मैं महसूस करता हूं कि उनको विशेष अवसर प्रदान करना चाहिये और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सीमाओं में वर्मा जी सुनने का कष्ट करें कि हम सबके सब जो इस प्रदेश की सीमाओं में, देश की सीमाओं में हैं या जो भी जनता पार्टी के आधार पर या दूसरे पक्ष के लोग आये हैं वह भी "दर्दे दिल, पासे वफा, जजबये ईमां होना" की भावना से आये हैं और चाहे मनुस्मृति हो या दूसरे ग्रंथ हों धर्म के अनुसार चाहे सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की बात हो जो आज या 5 हजार साल पहले से रहा हो, वह गलत है। इस प्रक्रिया में तूफान और आंधियों से झगड़ कर हम इस स्थिति तक आ पाये हैं जिसमें सब बराबर की बात करते हैं।

आज भारत में ही नहीं, दुनियां में एक समता की बात कही जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के चार्टर 7 से लेकर और हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर सब में समता वादी दृष्टिकोण अख्तियार किया गया है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग में बहुत अन्तर है और उसको आप जानते हैं। यह घोषणा-पत्र भी हमारे पास है जिसमें पिछड़े वर्ग शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहीं भी पिछड़ी जाति शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है।

मेरे सामने श्रीमन्, काका कालेलकर कमीशन की भी रिपोर्ट के तीनों वाल्यूम मेरे पास हैं और मैंने तीनों को अक्षरशः पढ़ा है। मैं उनको इसलिये पढ़ना चाहता हूं ताकि इस सदन का दिल व दिमाग साफ हो जाय। वाल्यूम 1 के पृष्ठ 8 पर श्रीमन्, जो सिफारिश है वह बिलकुल स्पष्ट है। अंग्रेजी में पढ़ दूं, फिर उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा...

श्री अध्यक्ष—

पहले अंग्रेजी, फिर हिन्दी में अनुवाद करेंगे तो समय नष्ट होगा, आप कृपया हिन्दी में ही उसका केवल अनुवाद रख दें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

उसमें यह है कि जाति व्यवस्था के आधार पर किसी भी कम्युनिटी को सहायता से आप वंचित नहीं कर सकते। यह नहीं देखेंगे कि वह किस जाति में पैदा हुआ है। अगर वह गरीब है तो उसे सहायता मिलना चाहिये। उनका निश्चित मत है कि किसी भी कम्युनिटी के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं होना चाहिये। वे उसके विरुद्ध हैं। यह रिपोर्ट है और इसको देखा जा सकता है। फिर उसमें 120 उप जातियां बतायी हैं, आपने केवल 58 को ही क्यों लिया है? डा0 लोहिया की बात उठायी गयी उन्होंने हरिजन और अनुसूचित जाति के लिये आवाज उठायी थी, पिछड़ी जाति के लिये नहीं। आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे समाज की औरतें भी तो आती हैं। उनके लिये आपने आरक्षण क्यों नहीं रखा? औरतों में ब्राह्मणी भी हो सकती हैं, ठकुराइन भी हो सकती हैं, चौधराइन भी हो सकती हैं, वे किसी भी जाति की हो सकती हैं। क्या उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है? वर्मा जी को बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश,"—]

तकलीफ है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 120 पिछड़ी उप जातियां हैं, उसमें हिजड़े भी तो हैं। उनकी तरक्की के लिये क्या किया? (हंसी) और लोगों के बढ़ाने की बात की जाती है, पर हमारे वर्मा जी के साथ-साथ कम से कम उनको भी रक्खा गया होता। (हंसी)

मान्यवर, संविधान में भी शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल्ल ट्राइब्स की बात है, लेकिन पिछड़ी जाति शब्द कहीं नहीं आया है। मेरे पास भी संविधान है, अगर कहीं हो तो आप बतायें। इसमें पिछड़े वर्ग शब्द का तो प्रयोग है, पर पिछड़ी जाति शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। मानव विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे कोई विज्ञान हो, सभी में वर्ग और जाति में अंतर बताया गया है। मैं अपने वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वर्ग का अर्थ कभी जाति नहीं हुआ करता। उत्तर प्रदेश में काफी संख्या पिछड़े लोगों की है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। डाक्टर चतुर्वेदी एक विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे खेद है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न रखें। उनकी किस बात से आपको आपत्ति है? किस नियम के अनुसार है?

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष जी, आपने सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई है।

श्री अध्यक्ष—

भाषण नहीं। आपको किस बात पर आपत्ति है?

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

मान्यवर, मुझे कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। आप भाषण देना चाहते हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। मैं तो बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। तुरन्त बैठ जाऊंगा। प्रश्न यह है कि संविधान में और साथ-साथ न्यायालयों के निर्णयों में दिया है कि आधार शैक्षिक और सामाजिक होगा.....

श्री अध्यक्ष—

आप जो विषय उठा रहे हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं अपने माननीय सदस्यों से जो यहां बैठे हैं कहूंगा कि अगर उनको मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो रही है तो मैं बाद में बात कर लूंगा। संविधान पूरा पढ़ने को मैंने कोशिश की है। कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। मैं जानता हूं, कि हमारे चौधरी साहब जानते हैं कि आहूत वंशी क्षत्रियों, कुर्मी क्षत्रीय यह जो जातियां हैं यह संस्कारोय जातियां हैं। एक राजा ने सवा लाख ब्राह्मणों को न्योता दिया नहीं पकड़ में आये तो जनेऊ डालकर बैठा दिया। इस बात को देखें कि ब्राह्मणों से लेकर आहूत वंशी क्षत्रियों तक, मैं चौधरी साहब और अन्य माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से आरक्षण के पक्ष में हूं। लेकिन डाक्टर लोहिया आम सहमति के आधार पर थे, उन्होंने गरीब ब्राह्मणों को बात कही, उन्होंने महिलाओं को बात कही।

श्री अध्यक्ष—
आप समाप्त कीजिये ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—
दो मिनट समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—
एक मिनट में समाप्त करें ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश'—
मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हो जातियां और उपजातियां नहीं हैं । दूसरे देशों में भी हैं । और दूसरे देशों की जो सरकारी सेवायें हैं उनमें निश्चित रूप से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है । मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि अंग्रेजों ने 2 कौमों में झगड़ा कराया । कांग्रेस ने तीन कौमों को बनाकर झगड़ा कराया और जबसे हमारी पार्टी आई, 4 कौमों में झगड़ा बढ़ा ।

श्री अध्यक्ष—
आप समाप्त करें ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—
जो अमेरिकन पालिसी है ।

श्री अध्यक्ष—
आप बैठ जाइये । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—
जो उनकी पालिसी है जिसमें ज्यूज हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, नीग्रोज हैं, उस पालिसी के अनुसार व्यवस्था करें । वहां गोरी लड़की काले लड़के के गले में हाथ डालकर घूमती है तो कोई विद्वेष की भावनाएं नहीं होतीं ।

श्री अध्यक्ष—
आप बैठ जायें ।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर विषय है । हम लोग सदन में आये हैं, हम लोग किसी जाति या वर्ग के प्रतिनिधि नहीं हैं । हम एक बड़े विस्तृत समाज के प्रतिनिधि हैं । हम लोग इस चर्चा में गुस्से और भावनाओं में न जाकर अगर तर्क के आधार पर विचार विनिमय करेंगे तो सरकार को इससे फायदा होगा ।

मान्यवर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण के प्रश्न पर हमारा दिमाग बंधा नहीं हुआ है और न मैं बंधी धारा के अन्तर्गत सोचता ही हूं । बात सही यह है कि पश्चिम का समाज हो या पूर्व का समाज हो प्राचीन समय से यह बीमारी चली आ रही है । मशहूर दार्शनिक प्लेटो ने समाज को तीन हिस्सों में बांट दिया दार्शनिक, सिपाही और कारीगर । उसी समय यहां दूसरे वैदिक धर्मों ने समाज को चार हिस्सों में बांट दिया ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र । प्रगति के साथ योरूप में आज गुलामी मिट गयी, वर्ग मिट गये और वहां आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है । दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे यहां आदमी समाज की दीवारों में बुराइयों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर—]
ही बंधता रहा । गांधी जी ने और जय प्रकाश नारायण ने कहा कि अन्तोदय की बात को सोचना चाहिये और जो लोग गरीब हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं, जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाना चाहिये । इस सम्बन्ध में इस देश में जो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं उनमें दो राय नहीं है । इस बात पर सोचना नहीं है कि हमको इससे लाभ होता है कि नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इसको सोचना है कि जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाना है । मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, हमें ऐसा लगता है कि हमारा समाज कुछ राजनीतिक प्रश्नों को लेकर बट जाना चाहता है । दुर्भाग्य है कि पार्टियों की हार जीत तो होती ही है, लेकिन इस समय हार जीत होती है तो यह होता है कि वह कौन है, हरिजन हारा है या सवर्ण हारा है ? सारा समाज इस तरह का बन गया है कि वह सोचते हैं कि कौन कौम जीती है । इसलिये हमें राजनीतिक नीति को निकालना होगा और सोचना होगा कि इसको दूर करने का कोई रास्ता है कि नहीं ।

मान्यवर, 30 साल के बाद वास्तव में आत्मनिरीक्षण करें तो दो वर्ग पिछड़े हैं । 350 जातियां और अनुसूचित जातियां हैं । सेन्टर लिस्ट है जिसमें 250 पिछड़ी जातियां देश में होंगी । यदि आप देखें तो एक जाति का 80 प्रतिशत और बैक वर्ड में 90 प्रतिशत लोग होंगे । उसमें सारे लोग इकट्ठा होकर जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं जिन्होंने आज तक रोशनी नहीं देखी है उनको तलाश करना पड़ेगा । इसलिए आरक्षण तो होना ही चाहिये । लेकिन यह भी देखना है कि निश्चित वर्ग के हों । श्री गुलाब सेहरा हमारे दोस्त हैं, आरक्षण ठीक है । आरक्षण में जो आते हैं उनको फीस मुझसे आधी देना पड़ता है । उनकी फैक्टरी में हमारे जैसे लोग काम करते होंगे । उनके लड़कों की शिक्षा हमारे लड़कों से कम नहीं होगी । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तलाश करना पड़ेगा, उन वर्गों को जिनको हम उठाना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई गांव जाटों का है तो वहां ब्राह्मण की हैसियत वही होती है जो कुम्हार और लोहार की होती है । यदि वहां एक दुकान बनिया की होती है तो उनके सामने वह कोई निर्णय नहीं ले सकता है बल्कि उनका ही निर्णय होगा ।

चौधरी साहब बलिया का गांव देखें यदि कोई यादव का गांव है तो वहां कितना ही बड़ा कोई लोहार हो तो उसकी नहीं चलेगी बल्कि यादवों की चलेगी । इसलिये यदि इस समाज को बढ़ाना चाहते हैं तो बिरादरियों से नहीं गुजरना होगा । जो मेरी बिरादरी है लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे नेता चौधरी चरण सिंह आरक्षण के पक्षमें हैं, जाट कौम उस में नहीं आती है । मैं समझता हूं कि यह किसी कौम और किन्हीं लोगों का सवाल नहीं है । सवाल ब्राह्मण, राजपूत का नहीं है । मैं जानता हूं कि यादवों के गांवों में, यहां हमारे मित्र बीरेन्द्र पति जी हैं, उनके कई रिश्तेदार हैं बिलोनी गांव में, मेरे ही क्षेत्र में राजपूतों के बीस-बीस गांव हैं,निवासियों के लिए शिक्षा का नाम नहीं है । जिस समय हम इस बात की चर्चा करते हैं हमें उनके बारे में तय करना होगा, पिछड़े लोगों को बढ़ाना होगा । मेरे मित्र नाराज न हों । हमारे श्याम धर जी को, राकेश भाई को, चौधरी साहब को इस पर विचार करना होगा कि हम इस सदन के अन्दर कौम के नुमाइन्दे होकर नहीं आये हैं, जाति के नुमाइन्दे हो कर नहीं आये हैं, हम देश के नुमाइन्दे होकर आये हैं, क्षेत्र के नुमाइन्दे होकर आये हैं ।

मैं भाई राम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमें नीति निर्धारण करनी होगी, तय करना पड़ेगा कि आप के लड़के कहें, गुलाब सेहरा जी के लड़के को, चौधरी साहब के लड़के को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है । आरक्षण की जरूरत है नाई के लड़के को, तेली के लड़के को, गरीब के लड़के को जिन्होंने रोशनी नही देखी, आबादी नहीं देखी, अधिकार नहीं देखा । जाय जमींदार हैं, हरिजन जमींदार हैं, यादव जमींदार हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा तेली जमींदार है, कौन सा नाई जमींदार है। जब हम यहां पर चर्चा करते हैं इस बात की तो कितने

लोगों को सेहरा जी ने टिकट दिया है, श्याम धर जी ने टिकट दिया है, मान्यवर इस बात से लाभ नहीं होगा । लाभ इस बात से होगा कि किस को मिलना चाहिये । हम कानून बनाने वाले हैं और कानून हमें कौम के लिये, जाति के लिये नहीं बनाना है "देश के लिये बनाना है उन लोगों के लिये बनाना है जो हमारे बीच में नहीं है, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है । मैं एक मिनट और लूंगा । मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि जब इस बात की चर्चा करते हैं तो वास्तव में जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं उनके बारे में सोचें, उनके लिये आत्म त्याग करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि मजिस्ट्रैट के लड़के को आरक्षण नहीं मिलेगा, यह तय किया जायेगा कि गुलाब सेहरा को आरक्षण नहीं मिलेगा, यह तय कीजिये कि राम सिंह को आरक्षण नहीं मिलेगा और हरि सिंह को जो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए । आरक्षण उन लोगों को दीजिए जो वास्तव में जिनको आरक्षण की जरूरत है, जिनको कोई अधिकार नहीं मिला है । यह जब हो जायेगा तब कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा ।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव जो है बिल्कुल लिमिटेड है । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हरिजनों को उस में मत घसीटिये । आरक्षण कानस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है । शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उसमें रिजरवेशन दिया गया है । यदि होम मिनिस्टर का नाम ले कर के, गुलाब सेहरा जी का नाम ले कर के आरक्षण के खिलाफ भाषण दिया जायगा तो हमारे संविधान की मन्शा के विपरीत हम जायेंगे । आप इनको आगाह करें कि वह प्रस्ताव तक अपने भाषण को लिमिट करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शम्भू नाथ जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसमें वास्तव में कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है । श्री शम्भू नाथ जी नेप्रासंगिक बात यह बतलाया कि रिजर्वेशन होना चाहिये कमजोर वर्गों का जातियों का लेकिन उसका आधार उन्होंने बतलाया कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है मिल मालिक है तो गुलाब सेहरा से उनका मतलब हरिजन नहीं....

श्री शम्भूनाथ—[XXX]

श्री अध्यक्ष—

आप जो कहते हैं यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

जब राम सिंह, गुलाब सेहरा, हरी सिंह का नाम लिया जाता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इतने उत्तेजित क्यों हैं ? इस तरह उत्तेजित होकर बहस करेंगे तो समाप्त कर दूंगा । कोई व्यक्ति दलील देता है तो आपको अवसर मिलेगा आप उत्तर दे दीजिये ।

नोट:—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

आरक्षण के विषय में बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि 33 परसेंट का रिजर्वेशन देंगे। चुनाव में लड़ने वाले विधायक और एम0 पी0 ने गला फाड़-फाड़ कर कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों सचेत हो जाओ। जो 30 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया वह हम करने जा रहे हैं। लोगों ने सोचा कि हमारा भला करने आये हैं। लेकिन साल भर बीत गया। जो घोषणा की गयी वह पूरी नहीं हुई। हम चुनाव क्षेत्र में गये थे। तमाम लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने असत्य बोला और आप भी असत्य बोलते हैं। आप चुनाव के लिए घोषणायें करते हैं, बाद में चरितार्थ नहीं करते। आप में और उनमें फर्क क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि आरक्षण होना चाहिए। आज तक जितने आरक्षण हुए हैं वो जाति पर हुए हैं। न कि गरीबी और अमीरी पर। ईसाइयों के लिए हुआ। उसमें यह कर दिया गया कि जो मैरिट पर आयेंगे वह जनरल में लिये जायेंगे। जो मैरिट संविधान 336 के अलावा रहेंगे उनको आरक्षण दिया जायगा। जो आज आरक्षण के विपरीत कहते हैं उनको चाहिये कि इस्तीफा दें और फिर आरक्षण के खिलाफ लड़कर आवें। लोहियावादी पहले कहते रहे 100 में 60 और अब तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणाएं की उनको चरितार्थ करना चाहिये। यह नहीं कि जैसे एक पुरानी कहावत है गपोड़ शंख "तदाम छदाम नदाम" यानी हम कहते हैं, देते नहीं। तो कांग्रेस में और इधर कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह उन लोहार और नाऊ आदि को दी जायगी। यह नहीं किसी एक वर्ग को दी जायेगी। दिया उनको जायेगा जो सबसे दबे हैं। कर्पुरी ठाकुर ने भी यह कह दिया कि जिनकी एक हजार की आमदनी होगी, आरक्षण और फीस उनकी नहीं माफ होगी। तो कौन कहता है कि उनके लड़कों के लिये आरक्षण किया जाय जिनकी 10 हजार की आमदनी है। उन लड़कों का न किया जाय। लेकिन यह होना चाहिये कि जो दबे और गरीब हैं, उनका आरक्षण हो।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, यह जो आरक्षण के आधार पर बहस हो रही है कि सरकारी नौकरियों में इसका क्या आधार हो, मैं इस मामलेमें दो चीजें कहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान, जिसके अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) और 46 में आधार और परिभाषा कि इसमें किस तरह से आरक्षण का आधार होना चाहिये, मैं स्पष्ट रूप से व्याख्या संविधान के निर्माताओं ने कर दी है और उन्होंने स्पष्टरूप से कहा है कि इसका जो आधार है वह सामाजिक और शैक्षिक होना चाहिये। श्रीमन्, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी समय-समय पर हुई है जिसमें 1972 में पेज 1375 पर दिया है और दूसरा 1973 में रूलिंग हुई है। एक रूलिंग इस आरक्षण के संदर्भमें सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर हुई आधार को तय करने के सम्बन्ध में और व्याख्या की जब दूसरे वर्गों का आरक्षण तय किया जाय तो उस समय अनुसूचित जाति और जो दूसरे वर्ग हैं, उनके समन्वय के साथ उसको सामने रखकर, उसका सामन्जस्य रखकर आधार रखना चाहिये। तो श्रीमन्, इसमें संविधान की व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि सामाजिक व शैक्षिक आधार आरक्षण का होना चाहिये।

श्रीमन्, आरक्षण के सम्बन्ध में काका कालेलकर की रिपोर्ट भी है जिसके बारे में 1955में भारत सरकार को दी गयी जो 1961 में विभिन्न प्रदेशों को परिपत्र गया कि अगर आप चाहें तो आरक्षण कर दें लेकिन आज जो प्रश्न खड़ा हो गया है कि आरक्षण का क्या आधार हो, वह प्रश्न बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। उसमें कुछ कारण हैं जिनको बाद में बतायेंगे। लेकिन इसी बात पर सबसे पहले तामिलनाडु का जिक्र करूंगा। 1906 में तामिलनाडु सरकार ने इसमें आरक्षण शुरू किया और बैकवर्ड्स को आरक्षण देना शुरू किया। उसके बाद केरल गवनमेन्ट ने 31 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया। उसके बाद कर्नाटक ने भी 33

प्रतिशत आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया। आन्ध्र ने भी 26 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया। अब प्रश्न यह है कि यह आरक्षण जो 1906 से तामिलनाडु में और 8 साल पहले आन्ध्र, कर्नाटक में प्रारम्भ हुआ, वहां इसमें विवाद नहीं हुआ। वहां आरक्षण के आधार पर वह विवाद नहीं हुआ जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है। श्रीमन्, इसमें आप देखें कि बिहार में 1971 में पिछड़ा आयोग श्री मुंबेरी लाल की अध्यक्षता में बनाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी। उसी के समकक्ष में 1975 में यहां भी आयोग पिछड़े वर्ग का बना लेकिन उसका नाम जरा देखें। उसका नाम है सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके चेयरमैन श्री छेदीलाल साथी थे और मई, 77 में उस आयोग की रिपोर्ट भी आ गई।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया कि हम आरक्षण देंगे पिछड़े वर्ग को। डाक्टर लोहिया ने 60 प्रतिशत तक आरक्षण की बात कही। शेड्यूल्डकास्ट की जनसंख्या 22 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग की 53 प्रतिशत, मुसलमानों की 10, 12 प्रतिशत और जैन तथा बौद्धों की 3 प्रतिशत है। आखिर पिछड़े वर्ग की परिभाषा या उसके आधार की चर्चा अब क्यों शुरू हो गयी यह विचारणीय विषय है जब कि दक्षिण के कई राज्यों में आरक्षण आज से 7, 8 वर्ष पूर्व दिया भी जा चुका है। वहां कोई विवाद नहीं हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में आरक्षण देने पर विवाद शुरू हो गया। श्री नारायण दत्त तिवारी के समय में ही यह आधार तय हो गया था कि 15 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को दे दिया जाय। कार्यरूप में भले ही परिणत न किया हो। इसके कारण बिहार में शांति व्यवस्था भंग हो गयी। इसका कारण यह है कि जनता जो है उसको जनता पार्टी की नीयत में शक पैदा हो गया है कि इस आरक्षण के पीछे जाति विशेष के लोगों को अन्य जातियों के मुकाबले लाभ पहुंचाने की इस सरकार की नीयत है जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हो गया।

इस आरक्षण में हिन्दुओं में 37 तथा मुसलमानों में 21 जातियां हैं। लेकिन जो मुसलमानी शेख मेहतर है और हिन्दुओं में जो अहीर या कुर्मी के लड़के हैं इन दोनों का अगर मुकाबला किया जाय तो कौन आरक्षण में आ पायेगा, यह एक विवाद का प्रश्न है। शेख मेहतर का लड़का कुर्मी तथा अहीर के लड़के के नीचे पड़ेगा और उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। संविधान में आरक्षण की व्याख्या पूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में टिप्पणी दे दी है लेकिन फिर भी विवाद शुरू हो गया है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिये लेकिन राजनीतिक आधार पर 1, 2 अथवा 3 जाति विशेष को आरक्षण के द्वारा नौकरियों तथा प्रशासन में भर लिया जाय यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सोचना होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिये लेकिन इस आधार पर कई गलतियां हो सकती हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास 50 एकड़ जमीन है अगर वह एक-एक एकड़ अपने भाई को दे देता है तो वह एक एकड़ वाला पिछड़े वर्ग का हो जायेगा। अगर आर्थिक आधार मानने की बात है तो उसमें भी आर्थिक तरीके से वह चीज आनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि आरक्षण के बारे में आधार के ऊपर जो विवाद हो रहा है उस पर पुनर्विचार हो। इसका कारण यह है कि जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की और पिछड़े वर्ग के लोगों की आस्था नहीं रही है वे समझते हैं कि जाति विशेष के आधार पर ज्यादा से ज्यादा आरक्षण किया जाना है।

(श्री नरेश चन्द्र का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें, आपस में झगड़ा न करें। मैंने नरेश चन्द्र को बुलाया है।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

मान्यवर,आरक्षण के विषय में जो आज सदन के सामने चर्चा चल रही है और जिस ढंग से इस सदन में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं,उसको देखकर बड़ा ही दुख होता है। चर्चा इस ढंग से हो रही है जैसे कि मालूम होता है कि वर्ग संघर्ष होने वाला हो जो वर्ग इस आरक्षण को पसन्द नहीं करता वह इस आरक्षण के प्रश्न पर या उसके पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति पर ऐसा देखता है जैसे कि बाज एक चिड़िया पर देखता है। यह बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, मैं इस आरक्षण के प्रश्न को 3 भागों में बांटना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिये या नहीं, उसका क्या औचित्य है। दूसरा प्रश्न यह है कि आरक्षण यदि मिलना चाहिये तो कितने प्रतिशत मिलना चाहिये और तीसरा प्रश्न यह कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो या सामाजिक अथवा शैक्षिक आधार पर हो।

मान्यवर, जहां तक पहला प्रश्न है आरक्षण के औचित्य का, उसके बारे में काफी कह दिया गया है जिसकी मैं पुनरावत्ति नहीं करूंगा। जैसे कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जायेगा और यह आरक्षण 25 से 33 प्रतिशत तक दिया जायेगा। दूसरा आधार औचित्य का यह है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आर्टिकिल 15 (4) और आर्टिकिल 16 (4) में स्पष्ट दिया है। आर्टिकल 15 (4) अपने रूप में स्पष्ट है कि कोई राज्य पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिये विशेष प्राविधानों को बना सकता है। साथ ही आर्टिकिल 16 (4) में यह लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य पिछड़ी जातियों,हरिजन जातियों,जनजातियों की तरक्की के लिये या जो लोक सेवाओं में जहां पर कभी है यदि यह राज्य सम्पत्ति में आता है, तो आरक्षण कर सकते हैं हमारे पूर्व वक्ताओं ने जैसे माननीय डाक्टर राकेश चतुर्वेदी ने पिछड़ी जाति के अन्तर को लेकर गुमराह करने की कोशिश की है। जहां पिछड़े वर्ग के लिये हम "वर्ग शब्द कहते हैं तो उसमें कई जातियां आ जाती हैं। तो उस तरीके से जब पिछड़ी जातियों को एक साथ लेते हैं तो वह सारी जातियां एक पिछड़ा वर्ग बनाती है। तो मैं यह कहूंगा कि पिछड़ी जाति नहीं लिखा है बल्कि पिछड़ा वर्ग लिखा है। पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? पिछड़े वर्ग का मतलब इस प्रदेश में रहने वाली सारी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। वह सब पिछड़े वर्ग में आयेंगे।

इसके अतिरिक्त एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगा। उसमें अर्थ की कुछ बात कही जा रही है। कहा जाता है कि श्री जगजीवन राम जी सुरक्षा मन्त्री हो गये हैं लिहाजा उनके लड़कों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री हो गये लिहाजा उनके लड़कों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, श्री कर पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मन्त्री हो गये लिहाजा उनके लड़कों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। मैं इस बात को चुनौती देता हूं आज देश में ऐसी व्यवस्था है जहां पर अर्थ से ऊपर सामाजिक व्यवस्थायें हैं अगर ऐसा नहीं होता तो 24 जनवरी, 1978 को जो घटना घटित हुई जगजीवन राम जी ने सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण किया तो कुछ ब्राह्मणवादी जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने उस पर गंगाजल न डाला होता। तो क्या यही अर्थ का आधार है?

मैं इस माननीय सदन में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक यादव, एक करपुरी ठाकुर और एक जगजीवन राम के अच्छे-अच्छे पदों पर पहुंच जाने से सारी तमाम जातियां तरक्की नहीं कर लती हैं। क्या इससे सारी अहीर जाति, सारी नाई जाति, तरक्की पर पहुंच गई? जो भी जाति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होंगे उनको आरक्षण दिया जायगा। जैसा अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात आई और 1968 और 1972 की रूलिंग की बात आई। इन सभी रूलिंग में जज ने यह व्यवस्था दी है कि केवल एक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जायगा सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से अगर पिछड़ी कोई जाति है तो उस हालत में आरक्षण दिया जायेगा।

मान्यवर, जहां तक प्रतिशत का सवाल है कि कितना आरक्षण दिया जाय तो मद्रास में 31 प्रतिशत केरल में 38 प्रतिशत आन्ध्र में 25 प्रतिशत बिहार में 22 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत कर्नाटक में 58 प्रतिशत दिया गया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जहां पर 60 परसेन्ट लोग पिछड़ी जाति के हैं वहां पर कम से कम 60 परसेंट आरक्षण दिया जाना चाहिये। आरक्षण विरोधी जो लोग हैं वह केवल इसी वजह से करते हैं कि वह ऊंची जाति में पैदा हुए हैं। उनके लिए तो बराबर पहले से ही आरक्षण बना हुआ है कि ब्राह्मण यह काम करेगा, क्षत्रिय यह काम करेगा और वैश्य यह काम करेगा। उन्होंने आरक्षण अपने आप ही पहले से कर रखा है। गीता में कहा है चातुवर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग्रजम्।' उसमें कहा है कि ब्राह्मण पठन पाठन का काम करेगा, क्षत्रिय देश की सीमा की रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। लेकिन अगर शूद्र पठन-पाठन का काम करेगा तो क्या ब्राह्मण हो जायगा (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मान सिंह आजाद के व्यवधान डालने पर) मानसिंह जी आप सदन छोड़ दें या शांत बैठें। आप बार-बार व्यवधान डालते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपने अब सदन में व्यवधान डाला तो मैं बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(श्री मान सिंह आजाद बैठ गये)—

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने कहा कि यह जो आरक्षण की नीति अपनाई जाती है यह जातिगत नीति है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जाति का आधार नहीं है जहां पर 37 प्रतिशत हिन्दू जाति को और 21 प्रतिशत मुसलमान जाति को आरक्षण देने की बात कही जाती है वहां पर जातिवाद का क्या प्रश्न होता है? जातिवाद जहां पर है वहां पर आप खामोश रहते हैं। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य डा0 चतुर्वेदी उस पर कुठाराघात करने की कोशिश नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार कर रहे हैं। जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री नरेश चन्द्र—

संस्कृत विश्वविद्यालय में टोटल स्टाफ 461 का है जिसमें 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं और खर्चा होता 56 लाख, 32 हजार 400 रुपये। वहां पर जो कार्य कारिणी बनी है उसमें 21 सदस्य हैं और उन 21 सदस्यों में से एक भी सदस्य हरिजन या पिछड़ी जाति का नहीं है। जगजीवन राम जी ने सही मांग की है कि जहां पर उनको निरादर किया गया है, वहां पर भी आरक्षण होना चाहिये और 25 प्रतिशत जगहें हरिजनों को मिलनी चाहियें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आज से 400 वर्ष पहले की बात है, शिवाजी के बारे में कौन नहीं जानता है। जब उनका राजतिलक होने को था तो कोई भी ब्राह्मण उनका राज तिलक करने के लिये नहीं आया, क्योंकि वह पिछड़ी जाति के थे। और बाद में जिस पंडित ने उनका राज तिलक किया तो उसने अपने पैर के अंगूठे से तिलक किया था। मैं जानना चाहता हूं क्यों? शिवा जी कुर्मी जाति के थे। अब आप रामायण को ही ले लीजिये...

श्री अध्यक्ष—

अब वर्मा जी का भाषण नहीं लिखा जायगा। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हरी राम शाक्य (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

एक चीज कह देना चाहता हूं कि अगर यहां पर बहस हो तो शांति ढंग से हो । जिस तरह का रवैया अपनाया गया है तो मैं उसे बरदास्त नहीं करूंगा । मैं उनसे ज्यादा जोर से बोलने वाला हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप खुद बाधा डाल रहे हैं । आप लोग शांत रहिए ।

श्री हरी राम शाक्य--

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे आरक्षण पर बोलने का भी अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आरक्षण के आधार को लेकर अनेकानेक प्रकार के विचार आये हैं । मैं भी अपने विचार इस पर रखना चाहता हूं । मान्यवर, यह बराबर कहा जा रहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए । यदि आर्थिक आधार ही मान लिया जाय और इस आधार को लेकर एक सूची बना ली जाय तो यह निश्चित मानिये कि इस समय जो लोग शक्ति में जो पावर में हैं वह उस सूची में से अपने ही लोगों को उठाने का प्रयास करेंगे और जो लोग पिछड़े हैं वह पिछड़े ही रह जायेंगे । इसलिये आर्थिक आधार को मान कर आरक्षण करना उचित नहीं है इससे पिछड़े हुए लोग फिर पिछड़ जायेंगे ।

मान्यवर, समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिनको शैक्षिक योग्यता प्राप्त है, जिनको आर्थिक शक्ति प्राप्त है और जिनको राजनैतिक शक्ति भी प्राप्त है । प्रश्न उठता है आज सबसे अधिक पिछड़ा कौन है यदि पिछड़ेपन के आधार के लिये इन 3 बातों को ही माना जाय तो उनमें से सबसे अधिक कौन सी खतरनाक बात है । मेरी राय सामाजिक प्रतिष्ठा जिसके पास नहीं वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है । उसके अन्दर हीन भाव पैदा हो गयी है और वह समाज में अपमान का जीवन व्यतीत करने का अनुभव कर रहा है उदाहरण स्वरूप मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि गांव में चमार, काछी, कोरी और ब्राह्मण लोग रहते हैं । अगर आर्थिक दृष्टि से मान लिया जाय कि वे एक ही लेबिल पर हैं तो जिस समय ब्राह्मण उस गांव में धोती लपेट कर तिलक लगाकर जाता है तो गांव के सभी लोग कहते हैं कि "पांय लागन, पांय लागन, पांय लागन, सब अपना अपना स्थान छोड़ कर खड़े हो जाते हैं और अपने को धन्य मानते हैं । तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है । यदि उनको ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है तो वे सुख शांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर आरक्षण के सम्बन्ध में विवाद हो रहा है और हम सब लोग इसलिये उत्सुक हैं कि हम सब अपनी अपनी राय सदन में प्रकट कर सकें लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा साम्प्रदायिक भावना भड़काई जा रही है, बार बार ब्राह्मण, ब्राह्मण चिल्लाया जा रहा है । प्रारम्भिक वक्ता पता नहीं कहां से मनुस्मृति ले आये । हमारे शास्त्रों में लिखा है कि . . . .

श्री अध्यक्ष

आप तो व्याख्यान देने लगे ।

श्री भगवती चरण निर्मोही

मान्यवर, यहां पर ये शब्द नहीं आने चाहिये । हम तो केवल आरक्षण के बारे में सुनना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

श्री निर्मोही जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा है मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य कुछ सामाजिक और शैक्षिक की व्याख्या कर रहे थे। उनका कहना था कि गांव में काछी, कोईरी, चमार और ब्राह्मण रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति हीन हो सकती है लेकिन सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है। इसलिए साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरी राम शाक्य—

मान्यवर, मैं सामाजिक स्तर की बात कह रहा था। जब तक सामाजिक स्तर सब का बराबर नहीं होता है तब तक आर्थिक आधार को मान कर आरक्षण का जो बवेला पैदा किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आरक्षण की है वह सामाजिक स्तर की है। जो सामाजिक स्तर में बहुत नीची है, उनको हम सबसे पहले आरक्षण देंगे। इसके बाद शैक्षिक दृष्टि से और उसके बाद आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आरक्षण देना उचित है। इस प्रकार के ग्रेडेशन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा यह निश्चित मत है कि अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसका भी ध्यान होना चाहिये लेकिन नम्बर एक पर किस को आना चाहिए? सबसे पहले आरक्षण किसको मिले। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि इस पर विचार न किया गया तो जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं वे पिछड़ते-पिछड़ते सबसे पीछे की लाइन में लग जायेंगे और उनके लिये जो आगे हैं एक और नया द्वार आगे बढ़ने का खुल जायगा और पीछे वाले और भी पीछे ढकेलते चले जायेंगे इसलिये केवल आर्थिक आधार उचित नहीं है। तो मान्यवर, यह जो पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग की जो बात कही गयी है उसकी चर्चा में यह स्पष्ट हो गया है कि वह जातियां जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी मानी गयी हैं पिछड़े वर्ग में उनका ही संकलन किया गया है, उनको ही एकत्रीकरण किया गया है और उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। इसलिए दोनों में विभेद करना यह किसी प्रकार से भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है कि पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो जातियां हैं उनका निश्चित रूप से आरक्षण होना चाहिये। और उनका आरक्षण कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह आरक्षण कम से कम 25 प्रतिशत हो।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये, शाक्य जी।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह आरक्षण का देश है। यहां पर आरक्षण पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। यह सही है कि जो सामाजिक व्यवस्था इस देश की रही है, उसमें तो आरक्षण इस बात का भी रहा है कि फलानी जाति के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी भी कुछ ही लोग रहे होंगे, उनका भी आरक्षण रहा है। तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि वह आरक्षण जो इस समाज में रहा है उससे गैर-बराबरी बढ़ती रही है और उस गैर-बराबरी को कम करने के लिये आज आरक्षण की आवश्यकता पड़ गयी है। केवल आर्थिक आधार पर ही गैर-बराबरी नहीं है, जितनी भी गैर-बराबरियां दुनियां में हैं उनमें सामाजिक गैर-बराबरी और आर्थिक गैर-बराबरी भी शामिल है। तो इसीलिये मान्यवर, आज जो आरक्षण, उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 15 फीसदी की बात है और बिहार में 26 प्रतिशत की बात है तो मेरी तो स्पष्ट राय है कि आरक्षण तो इस देश में तब तक रहेगा जब तक कि गैर-बराबरी का खात्मा नहीं हो जाता है सामाजिक आधार पर भी और आर्थिक आधार पर भी।

मैं तो चाहता था मान्यवर, गंजी प्रसाद माइक के नीचे ही बोला करते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप से सीख लिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनिवाक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

थोड़ा आप भी सीख लीजिये ।

मैं तो चाहता था कि केवल नौकरी के मामले में ही आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बल्कि समाज के विकास के जहां जहां दरवाजे बने हैं उनमें जाने के लिए हर दरवाजे पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और ,तिलमिलाहट केवल 15 फीसदी के आरक्षण पर नहीं होनी चाहिए । आरक्षण तो हमेशा रहा है, पूरी की पूरी जाति को मिला है और आरक्षण का आधार क्या हो, तो भौतिक विज्ञान में एक नियम है कि क्रिया की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है । जितनी ताकत लगायी जायगी आगे बढ़ाने के लिये उतनी ही ताकत लगायी जायगी ठीक विपरीत दिशा में । तो जितनी गैर-बराबरी आरक्षण के जरिये समाज में पैदा हुई है उतना ही आरक्षण को समाप्त करने में लगानी पड़ेगी । आज मैं जहां तक समझता हूं, आरक्षण का उद्देश्य एक लक्ष्य जाति-विहीन समाज की रचना है ।

मार्क्स ने एक नारा दिया दुनिया को कि वर्ग-विहीन समाज की रचना की जाय । लेकिन हिन्दुस्तान में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी और डा0 लोहिया जैसे लोग हुये हैं जिन्होंने वर्ग-विहीन समाज की बात बाद मेंकही है। हिन्दुस्तान से शोषण से मुक्ति की कल्पना की सरकार करने के लिए उन्होंने जाति-विहीन समाज की कल्पना की है और जब तक जाति नहीं मिटेगी तब तक वर्ग-विहीन समाज की कल्पना एक सपना मात्र है । हम तो उस स्कूल में पढ़े हैं जहां यह पढ़ाया गया है कि पिछड़े लोगों कोआगे बढ़ाने के लिये 60 प्रतिशत की इजाजत देनी चाहिये । आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो आरक्षण है उसको मान्यवर, देखा जाय । मैं तो समझता हूं कि जब एक भंगी या छोटी जाति का व्यक्ति जब यहां का प्रधान मन्त्री होगा तभी महात्मा गांधी का सपना साकार हो सकेगा ।

सन् 47 के बाद सन् 67 तक उच्च जाति वालों के हाथों में सत्ता रही है । सन् 67 के बाद 9 सूबों में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई । सन् 67 से 77 तक फिर उच्चजाति के हाथों में सत्ता चली गयी । इन्दिरा गांधी की तानाशाही को हटाने के लिये सब लोगों ने सहयोग दिया और वे हटीं । जनता पार्टी का शासन आया । डा0 लोहिया का सपना आज पूरा हुआ मध्यम जाति के लोगों के हाथों में आज सत्ता आयी है । आज मध्यम जाति के सामने एकबहुत बड़ा खतरा है । आज मध्यम जाति के लोगों को ऐसा आचरण करना होगा कि वे ऊंची जाति के गुणों को तो ग्रहण करें उनके दोषों को न चुनें । ऊंचीजाति वालों के गुणों को, उनकी सूझ-बूझ को आपको अपनाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अकबर ने एक बार बीरबल से कहा बीरबल लाओ एक ऐसा नर, पीर बावर्ची, भिश्ती, खर । तो बीरबल ने जवाब दिया ब्राह्मण । (हंसी)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं तो चाहता हूं कि इस देश की गद्दी पर प्रधान मन्त्री, हरिजन का बेटा हो । मगर मैं कहना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग जाति वालों ने अगर उच्च जाति वालोंकी सूझबूझ नहीं ली तो मामला उलटा हो जायगा । आज जरूरत इस बात की है कि मध्यम और उच्च जाति के लोगों के बीच दोस्ती होना चाहिये । हरिजन और मध्यम वर्ग के बीच लोगों में दोस्ती होना चाहिये अगर देश में लोकतन्त्र को बचाना है तो यह आवश्यक है, सही मानों में शोषण से मुक्ति समाज की रचना करनी होगी । वर्ना जो साजिश चल रही है हम उसका शिकार हो जायेंगे और फिर वही होगा जो आजमगढ़ में हमें देखने को मिला । वही सारे देश में हो जायगा ।

जहां तक आरक्षण का सवाल है इसमें किसी को तिलमिलाहट नहीं होना चाहिये। न बड़ी जाति वालों को और न छोटी जातिवालों को । इसमें बुनियादी सवाल बेरोजगारी दूर करने का है । बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होगा । मगर वह हमारे सामाजिक ढांचे में नहीं हो पायेगा । इसमें हम कितने उच्च जाति के लोगों को और कितने छोटी जाति वालों को और कितनी नौकरियां दे पायेंगे ? हजार में पांच या दस को।

तो मैं कहना चाहता हूं कि उन तमाम नौजवानों से जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण के सवाल को लेकर आंदोलित हैं, तो बुनियादी सवाल आरक्षण में आर्थिक नहीं है बल्कि बुनियादी सवाल बेरोजगारी का है। इस देश में अगर किसी को इस बात का शक है कि आर्थिक गैर-बराबरी है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई सवाल सामाजिक आधार को छोड़कर तय नहीं किया जा सकता। (लाल बत्ती जलने पर) मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है। आपको समाप्त करना चाहिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

तो मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि मन और पेट दोनों को साथ लेकर चलना होगा । केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण का सवाल तय नहीं कर सकेंगे । सामाजिक आधार पर आरक्षण का सवाल तय कर सकेंगे। संतुलित जीवन जीना है तो मन और पेट को साथ लेकर चलना होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेगें।

(इसके बाद सदन 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
11 मई, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 304 पर।)

मांगे	विवरण
1—राज्य कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता।	1—दे दिया गया है।
2—आवास भत्ता।	2—दे दिया गया है।
3—नगर प्रतिकर भत्ता।	3—महापालिकाओं में इसे स्वीकृत कर दिया गया है।
4—अतिरिक्त बचत योजना समाप्त करना।	4—समाप्त कर दी गई है।
5—चुंगी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा।	5—यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि किसी चुंगी कर्मचारी को चुंगी की दरों में कमी हो जाने के कारण निकाला न जाय।
6—शिक्षा सुविधा।	6—आदेश जारी कर दिये गये हैं।
7—वेतन-निर्धारण की अतिपूर्ति।	7—विचाराधीन है।
8—दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा तदर्थ रूप से नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को नियमित करना।	8—विचाराधीन है।
9—अवकाश नगदीकरण की सुविधा।	9—विचाराधीन है।
10—पेंशन नियम।	10—नियम बनाये जा रहे हैं।
11—स्थानीय निकायों का वर्गीकरण समाप्त किया जाना।	11—सम्भव नहीं है।
12—स्थानीय निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का नामजद करना।	12—सम्भव नहीं।
13—जीवन निर्वाह निधि की सुरक्षा।	13—आदेश जारी कर दिये गये हैं।
14—सभी स्थानीय निकायों पर सामूहिक बीमा योजना लागू करना।	14—आदेश जारी किये जा रहे हैं।
15—स्थानीय निकायों में दूसरे विभागों के प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की वापसी।	15—आदेश जारी कर दिये गये हैं।
16—विभागीय पदों को सीधी भर्ती द्वारा न भरा जाय।	16—विभागीय नियुक्तियां सेवा नियमावली के अनुसार की जाती है जिसमें प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का प्राविधान है।
17—चिकित्सा सुविधा।	17—महापालिकाओं के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

18—सीधर भत्ता।	18—आदेश जारी कर दिये गये हैं।
19—वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी।	19—आदेश जारी कर दिये गये हैं।
20—राज्य कर्मचारी घोषित किया जाना।	20—सम्भव नहीं है।
21—राजकीय कर्मचारियों के वेतनमानों से समानता।	21—परीक्षण किया जा रहा है।
22—कर्मचारी संघ को मान्यता।	22—आदेश जारी किये जा रहे हैं।
23—मंहगाई भत्ते की किश्तें उन्हीं तिथियों से देना जिन तिथियों से राजकीय कर्मचारियों को मिली है।	23—राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मांग अस्वीकार कर दी गयी है।

अवर सचिव प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 308 पर।)

मांगों की सूची

1—गन्ना किसानों की समस्यायें:—

(1) तौल में गड़बड़ी:—गाड़ियों की तौल समय से नहीं की जाती कांटे पर तौल की कटौती की जाती है। गेट पर आपूर्ति करने वाले किसानों की गाड़ियां रोक कर सेन्टर की गाड़ियां पहले तौली जाती है तथा घूस लेकर अनसीरियल गाड़ियां तौली जाती है। फलस्वरूप गाड़ीवानों तथा बैलों को काफी तकलीफ होती है। गाड़ीवानों तथा बैलों की सुविधा के लिये शेड पार्किंग ग्राउन्ड तथा वार्ड की सुव्यवस्थित नहीं है।

(2) पर्ची वितरण में धांधली:—पर्ची वितरण प्रणाली में घूस लेकर पर्ची देने की शिकायतें जोरों पर हैं। सट्टे के आधार पर कैलेन्डर के अनुसार पर्ची नहीं निकलती हैं फर्जी मार्किंग दिखलाई जाती हैं।भटनी केन यूनियन की पर्ची दूसरे मिलों के किसानों को दी जाती है तथा स्थानीय किसान दर-दर घूमते हैं। विक्रय के आधार पर इन्डेण्ड नहीं मिलता है। कुछ कास्तकारों को सट्टे से अधिक पर्ची काटी गई हैं। अतिरिक्त सट्टा भरवाने की कोशिश है।

(3) पेमेन्ट के सम्बन्ध में:—शिकायत है कि 20 जनवरी के क्रय किये गये गन्ने का पेमेन्ट आंशिक रूप से हुआ है तथा उसके बाद का बिलकुल पेमेन्ट नहीं हुआ है।

(4) गन्ना पड़ताल के सम्बन्ध में:—गन्ने के पड़ताल में धांधली की जाती हैं उदाहरण के लिये भागीरथी यादव ग्राम पड़री झील्लीधार के पास डेढ़ एकड़ गन्ना है लेकिन पड़ताल केवल दो गाड़ी गन्ने की हैं। जबकि किसान 640 रुपये का कर्जदार है।

(5) जांच कार्य में यूनियन द्वारा अड़ंगेबाजी:—डी0 सी0 ओ0 देवरिया अनेकों बार शिकायतों की जांच करने आये किन्तु प्रत्येक बार उन्हें कागजात दिखाने से अस्वीकार किया गया।

2—मजदूरों का शोषण:—

(1) सीजन प्रारम्भ होते ही लगभग 150 मजदूरों को जो पिछले 10–15 वर्षों से कार्यरत हैं बैठा दिया गया। काफी संघर्ष के बाद बहुतों को रख लिया गया किन्तु लगभग 25 मजदूर अभी भी दर-दर भटक रहे हैं तथा उनका परिवार भुखमरी का शिकार है। उदाहरण के लिये भगवती प्रसाद ग्राम-मिश्रौली दीक्षित जो लगभग 11 वर्षों से कार्यरत हैं उसे अभी काम नहीं मिला है हेड टाइम कीपर ने मैनेजर के नाम पर रु0 1000 की मांग की। देने में असमर्थ होने के कारण उसे अभी काम नहीं मिला।

(2) दस पन्द्रह वर्षों से कार्यरत मजदूरों को अभी तक कैजुएल का न्यूनतम वेतन भी दिया जाता है। फलस्वरूप सिपाहियों ने इस माह (जनवरी) का वेतन नहीं लिया है। नियम का उल्लंघन करने पर परमानेन्ट कार्यवाही की जाती है।

(3) मजदूरों के साथ हुए समझौते के अनुपालन में व्यवस्थापक महोदय हिलाहवाली करते हैं। उदाहरण के लिए दधिवल मिश्र, ग्राम-जिगिन्ना मिश्र के साथ हुए समझौते का पालन नहीं हो रहा है।

(4) मजदूरों को वर्दी लकड़ी आदि की सुव्यवस्था नहीं हैं तथा सोने के लिये पुवाल की व्यवस्था नहीं है।

(5) अवजी के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तथा बोनस के सम्बन्ध में भी घपले किये जाते हैं।

(6) अवजी के लिए कार्य मांगने वाले के लिए प्रमाण-पत्र हेतु तहसील के कर्मचारियों के पीछे दौड़ाया जाता है जबकि कार्यरत मजदूर का ही प्रमाण-पत्र मान्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त मजदूरों की अन्य समस्यायें हैं जिनका मांग-पत्र पहले दिया जा चुका है।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 309 पर)

निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद के लिये निर्धारित योग्यतांएं

1—किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पांच वर्षीय डिग्री, या बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश से पांच वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा या यू0 पी0 इन्डियन मेडिसन ऐक्ट 1939 के अन्तर्गत पंजीकरण योग्य किसी अन्य राज्य के राजकीय बोर्ड या फैकल्टी द्वारा प्रदत्त समकक्ष अर्हता, 2—संस्कृत तथा अंग्रेजी का ज्ञान तथा,

3—किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में आयुर्वेद में शिक्षण अनुसंधान का दस वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का किसी उत्तरदायित्व पूर्ण पद जैसे प्रिंसिपल/प्रोफेसर मेडिकल सुपरिन्डेन्ट की हैसियत से प्रशासनिक अनुभव शामिल हो।

वरीयान

(1) मूल अनुसंधान लेखा पुस्तकों की रचना (2) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डिग्री (3) यूनानी तिब का ज्ञान तथा (4) मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नात्तकोत्तर उपाधि।

वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश की योग्यताएं

1—भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश की पंच वर्षीय उपाधि बी0आई0एम0एस0 (आयुर्वेदाचार्य)।

2—एम0ए0 (दर्शन शास्त्र)।

3—पी0 एच0 डी0 भारतीय चिकित्सा पद्धति में मनोविकृत विज्ञान दार्शनिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में।

4—संस्कृत एवं अंग्रेजी का ज्ञान बी0ए0 में संस्कृत एवं अंग्रेजी (साहित्य) विषय।

5—शैक्षिक एवं अनुसंधान का अनुभव – 12 वर्ष 2 माह।

(क) स्नातक कक्षाओं का 8 वर्ष 10 माह।

(ख) स्नाकोत्तर काक्षाओं एवं अनुसंधान 2 वर्ष 7 माह।

(ग) प्राचार्य आयुर्वेद माहाविद्यालय 9 माह।

2—प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अनुभव का 9 वर्ष के लगभग सहायक निदेशक आयुर्वेद एवं प्राचार्य आयुर्वेदिक कालेज।

वरीयान

(क) मौलिक प्रबंध पर डाक्ट्रेट की उपाधि प्रदान की गई एवं पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ इन्डियन मेडिसिन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुसंधान का अनुभव।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति में मनोविकृत विज्ञान पर पुस्तक प्रकाशित।

(ग) कई रिर्सच पेपर भी प्रकाशित।

(घ) रायल एशियाटिक सोसायटी ग्रेट ब्रिटेन इंगलैण्ड द्वारा फैलोशित (एफ0 आर0 एस0)

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर)

परिशिष्ट—1

अखिल भारतीय नाविक जल मजदूर संघ देवरिया
का मांग पत्र दिनांक 30—9—77

1—घाटों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर लाइसेन्स पद्धति लागू किया जाय।

2—ताल व पोखरियों का दस वर्षीय पट्टा तहसील के किसी भी कोने में बसने वाले मल्लाह को ही दिया जाय।

3—शिक्षा के क्षेत्र में परिगणित जातियों की भांति सभी सुविधायें मल्लाहों एवं उनकी सभी उपजातियों को दी जाय।

4—मत्सय पालन, जहाजरानी, जलसेना एवं जलसुरक्षा पुलिस आदि विभागों की नौकरियों में 80 प्रतिशत स्थान मल्लाहों को दिया जाय।

5—भूमि आबंटन में मल्लाहों को प्राथमिकता दी जाय।

6—बाढ़ में काम करने वाले मल्लाहों को मजदूरी कम से कम रु0 15 प्रति दिन किया जाय तथा प्रति बड़ी नाव रु0 20 मझली नाव रु0 15 और छोटी नाव रु0 10 किया जाय।

7—बाढ़ काल में काम करने वाले नाविकों एवं नावों का बीमा कराया जाय तथा जिसकी बीमा किस्त सरकार स्वंय भुगतान करे।

8—जल यातायात विकास हेतु जल परिवहन निगम की स्थापना की जाय।

संसदीय अध्ययन संस्थान

परिशष्ट–2

नाविक जल मजदूर संघ गोरखपुर का मांग पत्र दिनांक 1–9–77

1—पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 60 प्रतिशत स्थान को सुरक्षित करने की कृपा करें जो कांग्रेसी शासन में 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किया है जो बहुत कम है। यह पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है।

2—तहसील भर के ग्राम सभाओं के प्रधानों को आदेश दिये जायं कि ताल, पोखरा, नाला एवं नदियों की शिकारगाही करने के लिये केवट, मल्लाहों को ही पट्टा देने का आदेश करें।

3—बाढ़ में काम करने वाले नाविकों की मजदूरी तुरन्त दी जाय तथा बाढ़ में काम करने वाले नाविकों को मजदूरी प्रति मजदूर रु0 10 रोजाना तथा नाव किराया रु0 20 रोजाना दिये जाने का आदेश दिया जाय।

4—ग्राम सभाओं को अन्तर्गत पर्ती भूमि, सीलिंग की भूमि, भूमिहीन केवट एवं मल्लाहों को दिया जाय।

5—सार्वाधिक पिछड़े वर्ग को रिपोर्ट शीघ्र लागू किया जाय।

6—मल्लाह एवं केवटों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज किया जाय।

7—मत्स्य विभाग में मल्लाह एवं केवटों को प्राथमिकता दी जाय तथा 75 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किय जाय।

8—मल्लाह एवं केवटों का जाल नाव आदि बनाने के लिये अनुदान दिया जाय।

9—मल्लाह एवं केवटों के बच्चों को आश्रम टाइप स्कूल चलाये जायें। आवास, भोजन, पुस्तके आदि निःशुल्क देने की व्यवस्था की जाय।

10—जहाजरानी में नाविको (मल्लाह, केवट) के बच्चों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं स्थान वाराणसी, इलाहाबाद, बरहज, देवरिया, और गोरखपुर आदि स्थानों में हों।

11—गोला के नदी के शिकारगाहों का पट्टा नाविक जल मजदूर सहकारी समिति को दिया जाय।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ (317 पर)

संलग्नक

महराजगंज जल सम्पूर्ति योजना की अनुमानित लागत रु0 7–382 लाख है। महराजगंज को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिये इस योजना में एक नलकूप का प्राविधान है। वर्ष 1971 को जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 4,216 है।

परतावल ग्राम समूह पेयजल की योजना की अनुमानित लागत रु0 15–826 लाख है। इस जल सम्पूर्ति योजना में 2 नलकूप प्रस्तावित है और इनसे 16 रेवेन्यू ग्राम तथा 29 पुर्वो की जलापूर्ति की जायेगी। यहां की जन संख्या 1971 को जनगणना के अनुसार 21, 870 है।

धधुली ग्राम समूह पेय जल योजना (प्रारम्भिक) की अनुमातित लागत रु0 9–158 लाख है। इस योजना से 4 ग्रामों को पेयजल सुविधा प्रदान की जायगी और इस योजना में एक नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव है। यहां की जनसंख्या 1971 के जनगणना के अनुसार 6069 है।

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 66 वि0 सभा–16–9–78(2111) 1979–810. (मैग0)